डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021/2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल 10.07.2023 से 16.07.2023 ▶ वर्ष-40 ▶ अंक-28 ▶ मूल्य ₹ 10.00

मध्यप्रदेश से शुरू हुआ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

आयुष्मान कार्ड हर भारतीय के लिये अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। इस कार्ड में गरीबों के नि:शुल्क 5 लाख रुपये तक के इलाज की गारंटी है। हिन्दुस्तान में आपका कहीं भी स्वास्थ्य खराब हो, अस्पताल में जाकर यह कार्ड दिखा देना आपको 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज मिल जायेगा। गरीब की सबसे बड़ी चिंता बीमारी होती है और यह कार्ड आपके इलाज की गारंटी है। इस योजना में अभी तक 5 करोड़ गरीबों का इलाज हो चुका है। अगर यह कार्ड नहीं होता तो गरीबों को इलाज के लिये अपना घर-बार बेचना होता। मध्यप्रदेश के एक करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड दिये गये हैं। यह मोदी की हर गरीब के लिये मुफ्त इलाज की गारंटी है। इस देश में गरीबों को कभी भी किसी ने एक वर्ष में 5 लाख रुपये के इलाज की गारंटी नहीं दी, यह हमारी सरकार ने किया है। ये बातें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहडोल जिले के लालपुर में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के शुभारंभ अवसर पर कहीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करते हुए

प्रधानमंत्री की अन्य गारंटी

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन की गारंटी मिली है।
- आयुष्मान योजना 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य की गारंटी है।
- उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ महिलाओं को धुएँ से मुक्ति की गारंटी दी है।
- मुद्रा योजना से साढ़े 8 करोड़ लोगों को सम्मान से रोज़गार की गारंटी मिली है।
- सरकार ने हर सामान्य व्यक्ति की तरक्की और कल्याण की गारंटी ली है।
- देश को भ्रष्टाचार मुक्त और आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी दी गई है।

शहडोल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं जापान की यात्रा पर गया था, तब मैंने वहां एक नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक से बातचीत की, जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी पर शोध कर रहे थे। मैंने उनसे मदद मांगी। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन को हमने आजादी के अमृत काल का प्रमुख मिशन बनाया है।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में एक करोड़ से अधिक पीवीसी आयुष्मान कार्डों का वितरण प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश में साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा डिजिटल आयुष्मान कार्ड का टैब का बटन दबा कर वितरण किया। उन्होंने सिकल सेल नेशनल पोर्टल, मिशन प्रबंधन गाइड-लाइन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये आयुष्मान प्रशिक्षण मॉड्यूल, गैर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिये जागरण मॉड्यूल और बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता-पिता के लिये मॉड्यूल का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने रीना सिंह गोंड, हेमराज कोल और राजेन्द्र सिंह गोंड, मंदाकिनी नाथ जोगी और दीपक कुमार को सिकल सेल काउंसिलिंग कार्ड वितरित किये। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मध्यप्रदेश से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत हो रही है। यह संकल्प है देश के जनजातीय भाई-बहनों के जीवन को सुरक्षित करने का। इस अभियान के लिये मध्यप्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। यह संकल्प है ढाई लाख बच्चों और उनके परिवार को बचाने का। सिकल सेल एनीमिया अत्यंत कष्टदायक बीमारी होती है। यह माता-पिता से ही बच्चों में आती है। यह बीमारी आनुवांशिक है। इस बीमारी के दुनिया के आधे मामले हमारे देश में हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी गंभीर बीमारियों को समाप्त करने के लिये दिन-रात मेहनत कर रही है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2025 तक हम टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिये कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2013 में काले ज्वर के 11 हजार मामले थे, जो घटकर 1000 से भी कम रहे गये हैं। वर्ष 2013 में मलेरिया के 10 लाख मामले थे, वर्ष 2022 में यह घटकर 2 लाख से कम हो गये हैं। वर्ष 2013 में कुष्ठ रोग के सवा लाख मरीज थे, जो 70-75 हजार रह गये हैं। दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या में भी बहुत कमी आई है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिये कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश की धरती से 15 नवम्बर को हर वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, इस दिन पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाता है। सभी राज्यों में जनजातीय संग्रहालय बनाये गये हैं। हम जनजातीय नायकों के बलिदान एवं देश के लिये योगदान को निरंतर याद करते हैं। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह विश्वविद्यालय रखा गया, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया। हमने आदि महोत्सव जैसे आयोजन चालू किये। हमारी राष्ट्रपति जनजातीय वर्ग की हैं। जनजातीय युवाओं के समक्ष हमेशा भाषा की चुनौती रहती थी। हमारी नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देश में 400 से अधिक एकलव्य स्कूल संचालित हैं। मध्यप्रदेश के 24 हजार जनजातीय विद्यार्थी इन विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आशीर्वाद से मध्यप्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। नये सपनों की उड़ानें अब पर खोल रही हैं। सारी दुनिया में आज भारत का सम्मान और गौरव बढ़ा है। प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी बदलने वाले ऐसे प्रधानमंत्री का मैं मध्यप्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। मध्यप्रदेश देश का दिल है और मध्यप्रदेश के दिल में प्रधानमंत्री श्री मोदी बसते हैं। वे दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। श्री चौहान ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जन्म-दिवस 5 अक्टूबर से वर्ष भर मनाया जायेगा। रानी दुर्गावती का विशाल स्मारक जबलपुर में बनाया जायेगा। प्रदेश में एक करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। यह जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। हमारी सरकार नल-जल मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल पहुंचा रही है। हर गरीब को पक्का आवास दिलाया जा रहा है। प्रदेश के 83 हजार गरीब किसानों को सम्मान-निधि दी जा रही है। लाड़ली बहना योजना में बहनों को 1000 रुपये महीना दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

स्किल डिमांड और स्किल सप्लाय के बीच के गैप को कम करेगी

भोपाल, मध्यप्रदेश में आरंभ की गई मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना स्किल डिमांड और स्किल सप्लाय के बीच के गैप को मिटाकर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से उद्योगों, सर्विस सेक्टर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जरूरत के अनुसार युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और व्यावसायिक संस्थानों को काम के लिए रेडी वर्कफोर्स उपलब्ध होगा। यह योजना युवाओं और व्यावसायिक संस्थानों दोनों के लिए ही समान रूप से उपयोगी और लाभकारी है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज) की कार्यशाला को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देना, उनके साथ न्याय नहीं है। प्रदेश के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता है, हम उनका उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल उन्नयन कर युवाओं को प्रदेश के विकास में सहभागी बनाना चाहते हैं। कौशल सीखने के दौरान युवाओं को आर्थिक अभाव न रहे, इस उद्देश्य से स्टायपेंड की व्यवस्था भी की गई है। यह युवाओं को पंख देने की योजना है ताकि वे अपने सपने पूरे करने के लिए ऊंची उड़ान भरने में सक्षम और आत्मनिर्भर बनें।

- **पिछला सप्ताह** - देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण
- **चर्चा में** - चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **खेल चर्चा** - प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी** - देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं

संविदा कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त - मुख्यमंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश के भव्य भवन का निर्माण हो रहा है और इसकी नींव के पत्थर संविदा कर्मचारी हैं। इन्होंने नियमित कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कहीं-कहीं उनसे भी अधिक कार्य किया है। संविदा कर्मचारियों की क्षमताएं, सेवाभाव और कार्यकुशलता किसी से कम नहीं है। इस नाते इनके जीवन की अनिश्चितता को समाप्त करना आवश्यक है। यदि मध्यप्रदेश नंबर-वन है तो इसके लिये विभागों में कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों ने आगे बढ़ कर कार्य किया है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संविदा कर्मचारियों के विशाल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए

सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने संविदाकर्मियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इसमें प्रतिवर्ष सेवा के अनुबंध को समाप्त करने, नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश, बीमा योजना, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी, अनुकम्पा नियुक्ति के लाभ देने और नियमित पदों पर भर्ती में 50 प्रतिशत स्थानों पर संविदा कर्मियों को आरक्षण की सुविधाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आश्वस्त हैं कि संविदा कर्मचारी पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे। प्रदेश के नागरिकों की जिन्दगी बचाने, उन्हें विकास का लाभ देने, शिक्षा का प्रकाश फैलाने और जिन्दगी रोशन करने का कार्य संविदा कर्मचारियों को करना है। संविदा कर्मचारी अपने लिए नहीं, प्रदेश के लिए जी-जान से कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष अनुबंध की व्यवस्था उचित नहीं है। अनेक संविदा कर्मचारियों को कार्य करते हुए 20-25 वर्ष तक हो गए हैं। इनकी जिन्दगी कठिन हो गई, रिन्यूअल का चक्कर खत्म करना आवश्यक है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

01 जुलाई

रक्षा सचिव ने किया म्यांमार का दौरा

● रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने ने 30 जून 2023 से 01 जुलाई 2023 तक म्यांमार की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने राज्य प्रशासनिक परिषद के अध्यक्ष, वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने, अवैध सीमा पार आंदोलनों और मादक पदार्थों की तस्करी तथा अन्य तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की कि उनके देश के संबंधित क्षेत्रों में दूसरे देश के विरुद्ध किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

● जून 2023 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,61,497 करोड़ रुपये रहा है, जिसमें से सीजीएसटी 31,013 करोड़ रुपये है, एसजीएसटी 38,292 करोड़ रुपये है, आईजीएसटी 80,292 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 39,035 करोड़ रुपये समेत) है और उपकर 11,900 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 1,028 करोड़ रुपये समेत) है। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी के रूप में 36,224 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के रूप में 30,269 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

02 जुलाई

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के पात्रता नियमों में बदलाव

● राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों के पात्रता नियमों में शिक्षा मंत्रालय ने बदलाव किया है। इसके तहत दस साल का अनुभव रखने वाले शिक्षक या प्रधानाध्यापक ही अब इसके लिए पात्र होंगे। वहीं स्कूलों में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षक या फिर शिक्षा मित्र इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही मंत्रालय ने हर साल दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या भी बढ़ा दी है, जिसमें अब 47 की जगह देश भर के 50 शिक्षकों को यह सम्मान दिया जाएगा।

● केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल और वियतनाम के न्याय मंत्री श्री ले थान लॉन्ग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। इस दौरान विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों देशों के बीच पिछले 50 से भी अधिक वर्षों के दौरान विकसित हुए घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्मरण किया। उन्होंने भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का मुख्य भागीदार होने के कारण वियतनाम की प्रशंसा की।

03 जुलाई

पूसा संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास "मधुमास" का शुभारंभ

● केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास "मधुमास" का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने व इनके समाधान के साथ देश-दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किसानों के साथ ही हमारे कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज देश के करोड़ों-करोड़ किसानों की जुबां पर भी पूसा संस्थान का नाम है और इसकी अपनी ख्याति है।

● दक्षिण कोरिया में समुद्री नमक को खरीदने के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। बड़ी संख्या में लोग दक्षिण कोरिया का समुद्री नमक खरीदने की जुगत में लगे हुए हैं। दरअसल, इसके पीछे कारण यह है कि जापान ने निष्क्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र से 10 लाख मीट्रिक टन ट्रीटेड रेडियोऐक्टिव पानी समुद्र में फेंकने की घोषणा की है। इस पानी का इस्तेमाल संयंत्र में क्षतिग्रस्त रिऐक्टर्स को ठंडा रखने के लिए होता था।

04 जुलाई

तालिबान ने महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर लगाया प्रतिबंध

● अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने काबुल और देश के अन्य प्रांतों में महिलाओं के ब्यूटी सैलून पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए एक मौखिक फरमान जारी किया गया है। यह जानकारी प्रवक्ता मोहम्मद आकिफ महाजर ने दी है। उन्होंने कहा कि काबुल नगर पालिका को तालिबान नेता के नए फरमान को लागू करने और महिलाओं के ब्यूटी सैलून के लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया गया है। तालिबान द्वारा अफगान लड़कियों और महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आलोचना हो रही है।

● दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब और रूस ने तेल उत्पादन में कटौती बढ़ा दी है। सऊदी अरब ने कहा 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती को अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो उसके बाद भी जारी रह सकती है। अब अगस्त में सऊदी अरब का तेल उत्पादन 90 लाख बैरल प्रतिदिन होगा। जानकारी के मुताबिक ओपेक प्लस के तेल बाजार को स्थिरता देने के प्रयासों के तहत यह फैसला लिया गया है।

05 जुलाई

चीन के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप

● मध्य और दक्षिण-पश्चिमी चीन में भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जुलाई में बाढ़, आंधी और उच्चतम तापमान जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी दी है। मौजूदा समय में भारी बारिश के कारण चीन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हजारों लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। बाढ़ से हुए नुकसान के चलते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सरकारी अधिकारियों को सुरक्षा और संपत्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

● भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि 1901 के बाद से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में यह सबसे गर्म जून का महीना रहा। इस क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने मासिक मौसम समीक्षा में कहा कि मुख्य रूप से पूर्व और पूर्वोत्तर, दक्षिण प्रायद्वीप और उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में जून में 88.6 मिमी बारिश हुई, जो 1901 के बाद से सबसे कम है।

06 जुलाई

नीदरलैंड के स्कूलों में मोबाइल, टैबलेट और स्मार्टवॉच के इस्तेमाल पर लगेगी रोक

● नीदरलैंड सरकार अगले साल तक स्कूलों में मोबाइल फोन, टैबलेट और स्मार्टवॉच के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली है। सरकार का मानना है कि ये चीजें छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रही हैं। स्कूल अधिकारियों से इस मामले में अभिभावकों और शिक्षकों से सहमति जुटाने के लिए कहा गया है। नीदरलैंड सरकार ने कहा पढ़ाई के बीच मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसका परिणाम तेजी से बढ़ रहा है।

● मेक्सिको के दक्षिणी प्रांत ओक्साका में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस मेक्सिको सिटी से योसोंडुआ जा रही थी। इस दौरान मैग्डेलेना पेनास्को शहर में बस 10 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में करीब 27 लोगों की मौत हो गई। जबकि 17 लोग घायल हो गए।

07 जुलाई

दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक के लिए पंजीयन शुरू

● दिल्ली विश्वविद्यालय में बीटेक प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, जो 25 जुलाई तक जारी रहेंगे। पात्र अभ्यर्थी पंजीकरण पोर्टल engineering.uod.ac.in पर जाकर शैक्षणिक सत्र 2023-24 के बीटेक कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, डीयू कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीन बीटेक कार्यक्रम पेश कर रहा है, जिनमें जेईई मेन 2023 की मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा।

● इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (ICAI) ने सीए नवंबर सत्र की परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। ICAI के अनुसार नवंबर और दिसंबर 2023 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 अगस्त 2023 से शुरू होगा। परीक्षा कार्यक्रम के तहत सीए फाइनल ग्रुप 1 की परीक्षाएं 1, 3, 5 और 7 नवंबर 2023, और ग्रुप 2 की परीक्षाएं 9, 11, 14, और 16 नवंबर 2023 को निर्धारित की गई हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित
फोटो : गूगल से साभार)

20 वर्षों के अनुभव के साथ
Selection of PNST Nursing 2021
New Batch Start
PNST (नर्सिंग)

KAMNA MORE ANSHU DANGI RAKHI JAMARE REENA DANGI
बालाजी ट्यूटोरियल्स (Since 2004)
ऑफिस: 221, वेदा बिल्डिंग, भँवरकुआ इन्दौर
98930-53653
R-48770/2023

APPOINTMENTS
KANYA KUBJ SHAIKSHANIK AVAM PARMARTHIK NYAS
K.K. VIGYAN AVAM VYAVSAIK ADHYAYAN MAHAVIDYALAYA INDORE(M.P.)
Approved by AICTE,DTE, Affiliated to DAVV Indore
Block A,Plot No 37,Sec-E Sch.No.54 opposite Hotel Marriot and Apollo Hospital,Ph.0731-4031896,977005599 Email-kkcollegeindore@gmail.com
REQUIRES
1. Director | Principal
2.Professors | Associate Professors | Assistant Professors
Under college Code 28
For (MBA Full Time)
Finance | Marketing | Human Resource Management |
Placement officer | Librarian | Sports Officer
Eligibility as Per AICTE | UGC Norms
Interested Candidates apply within 10 Days with their CV, Credentials, Passport Size Photograph through kkcollegeindore@gmail.com or walk in college campus between 10 am to 2 pm.
Director
R-48748/2023

PEOPLE'S UNIVERSITY
(Established by M.P. Act No. 18 of 2011 & approved u/s 2 (f) of UGC act 1956)
ADMISSION OPEN
PARAMEDICAL LIMITED SEATS

MPT	Masters of Physiotherapy - (Ortho'/ Neuro'/ Cardio' & Sports) 2 yrs PG Degree Program, Eligibility : BPT	
BPT	Bachelor of Physiotherapy*	4½ yrs Degree Course
BMLT	Bachelor of Medical Lab Technology*	3 yrs Degree Course
B.Sc	Human Nutrition*	3 yrs Degree Course
DMLT	Diploma in Medical Lab Technology*	2 yrs Diploma Course
DDT	Diploma in Dialysis Technology*	2 yrs Diploma Course

Diploma in
• Anesthesia Technician • Optometric Refraction
• X-Ray Radiographer • Cath lab Technician
*Eligibility : 12th with Physics, Chemistry & Biology
0755 - 400 5203, 5295, 5281
People's Campus, Bhanpur, Bhopal (M.P.)
R-48747/2023

साप्ताहिक
रोज़गार और निर्माण
में विज्ञापन के लिए दरें
टैरिफ

क्रमांक	ब्लैक एंड व्हाइट रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)	रंगीन रेट प्रति वर्ग सेमी (sq Per cm)
1. डीएवीपी (DAVP) रेट	13.36	18.70
2. कॉन्ट्रैक्ट रेट	70.00	98.00
3. कमर्शियल रेट	80.00	112.00

फुल पेज का आकार
चौड़ाई - 25 सेंटीमीटर
लंबाई - 37 सेंटीमीटर
कुल वर्ग सेंटीमीटर - 925 वर्ग सेंटीमीटर

संपर्क करें :
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
ई मेल : madhyam.rojgar@gmail.com Website : www.mpmadhyam.in
नोट : 1. 5% जीएसटी (GST) शुल्क अलग से देय होगा।
2. 4.5X5 सेमी (cm) से कम का विज्ञापन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वर्ष 40, अंक 28 10.07.2023 से 16.07.2023
रोज़गार और निर्माण
www.rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - मनीष सिंह
- सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - अरविन्द टोप्पो
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

भारतीय समाज और भारत के मूल में सेवा का भाव

भारतीय समाज और भारत के मूल में सेवा का भाव समाहित है। एक ही चेतना सभी प्राणियों में व्याप्त है। यह भारतीय संस्कृति का मूल विचार है। संत कबीर ने भी कहा कि ''साहिब तेरी साहिबी, सब घट रही समाय, जो मेहंदी के पात हैं, लाली लखी न जाए'' अर्थात् परमात्मा प्रत्येक मनुष्य में है लेकिन दिखाई नहीं देता। जिस तरह लाल रंग हरी मेहंदी के पत्ते में समाहित, लेकिन दिखता नहीं है। सेवा और साधन से मनुष्य का योगदान दिखाई देता है। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कंवेन्शन हॉल में जी-20 के सेवा समिट के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मनुष्यों के साथ ही पशु-पक्षियों और पर्यावरण की रक्षा के लिए भी सजग रहते हैं। जन्म से ही सेवा की घुट्टी पिलाई जाती है। जियो और जीने दो भाव मन में होता है। बिना संवेदना और अपनत्व भाव के सेवा नहीं हो सकती। देश के हर गांव और कस्बे में कथाएं होती हैं, तो कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह मंत्र भारत ने ही दिया है। हमारे संतों ने हजारों साल पहले कहा कि सभी प्राणी सुखी हों इसके लिए हम मन में बंधुत्व का भाव रखें। यह सेवा समिट विश्व मानवता, विश्व बंधुत्व और सेवा के भाव को सशक्त बनाये। यह भाव जीवन को सार्थक बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण अपने आप में दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान भी है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' के भाव को सशक्त बना रहे हैं। पेड़ लगाने का कार्य आचरण में है वरन् भाषण में नहीं, तभी हमारी भूमिका सार्थक होगी। अन्य लोग भी ऐसे कार्यों से प्रेरित होते हैं। मुझे संतोष है कि मैं ढ़ाई वर्ष से निरंतर प्रतिदिन पौधा लगा रहा हूं। धरती की सेवा के लिए और कम से कम अपनी आवश्यकता की ऑक्सीजन को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। दीन-दुखियों और दरिद्रों की सेवा से भी जीवन सार्थक होता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन सेवा के भाव को एक नया अर्थ देगा। मुख्यमंत्री ने सिविल-20 सेवा समिट में देश-विदेश से आए समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति मन का और आत्मा का सुख प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई नागरिक आपराधिक प्रवृत्ति का है तो भी उसमें दया भाव विद्यमान होता है। आत्मा के सुख के लिए व्यक्ति सेवा कार्य में संलग्न हो जाता है। मन और आत्मा के सुख को प्राप्त करने का भाव परोपकार और सेवाकार्य की प्रेरणा देता है। सिविल सम्मेलन के दो दिवसीय मंथन में सेवा वर्किंग ग्रुप की सेवा पॉलिसी, नवाचार और बेस्ट प्रेक्टिसेस पर भी चर्चा हुई। इनमें अनेक अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। इनमें शामिल हैं राष्ट्रों के बीच क्रॉस-कंट्री लर्निंग सहयोग और सहयोग को बढ़ाव देने के लिए G-20 देशों से अनुकरणीय सेवा प्रथाओं का संकलन करना। सेवा ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' के दर्शन को बढ़ावा देने वाले नागरिक समाजों/स्वैच्छिक संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करना। जिससे विश्व स्तर पर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों में बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यस्तरीय सेवा अभियान करना है।

मलेरिया को खत्म करने के लिए प्राकृतिक एंटीबायोटिक

मच्छरों से फैलने वाली बीमारी मलेरिया का इलाज एलोपेथी या इलाज की अन्य पद्धतियों से डॉक्टर करते आ रहे हैं। इस दिशा में अब वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक आर्सेनिक युक्त एंटी बायोटिक की खोज करने में सफलता हासिल कर ली है। इससे मलेरिया उन्मूलन में सहायता मिलेगी। फ्लोरिडा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को शोध में यह भी पता चला है कि एंटीबायोटिक अमेरिका में 20 वर्षों से लगातार फैल रहे मलेरिया की रोकथाम में भी मददगार है। शोधकर्ताओं ने आर्सिनोथ्रिसीन (एएसटी) का निर्माण किया है, जिससे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ सकेगा। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान भी यह साबित हुआ है कि एएसटी से ई कोली और टी.बी. फैलाने वाले माइक्रोबैक्टीरिया को भी मारा जा सकेगा। दुनिया में हर साल 24 करोड़ लोग मलेरिया से पीड़ित होते हैं। खासकर अफ्रीका में इसके मरीजों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा और टेक्सास में वर्ष 2003 के बाद पहली बार मलेरिया के मरीजों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। बॉयोमॉल्यूक्यूलर साइंसेज इंस्टीट्यूट में सहायक प्रोफेसर जूनली का कहना है कि मच्छर मलेरिया के वाहक होते हैं। किसी व्यक्ति को मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और उसका रक्त संक्रमित हो जाता है। दस दिनों बाद वहीं मच्छर किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। एएसटी के जरिये मलेरिया के इस चक्र को तोड़ने में सफलता मिलेगी। शोधकर्ताओं ने पाया कि एएसटी में मलेरिया के कारक परजीवी प्लासमोडियम फाल्सीपारम को रोकने की क्षमता प्रभावी है। भविष्य में एएसटी मनुष्यों को मलेरिया से बचाने वाली प्रभावशाली दवा के रूप में सामने आयेगी।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस | 1 जुलाई

सहकारिता से ही संभव है बेहतर विश्व का निर्माण

सहकारिता एक बेहतर विश्व के निर्माण का प्रभावी और सफल माध्यम है। सहकारिता एक ऐसी कार्य शैली है जिससे क्रियाशील जनसमूह लक्षित हितग्राही की आर्थिक स्थिति में वांछित सुधार करता है और एक समूह के रूप में उन्हें सम्पन्न बनाता है। सहकारिता आन्दोलन की सफलता का मूल तत्व उसका संरचनात्मक लचीलापन है। अर्थव्यवस्था के कई अलग-अलग क्षेत्रों में, समूचे विश्व में काम करते हुए सहकारी समितियों ने औसत से अधिक भीषण आर्थिक संकट के समय भी खुद को समुचित लचीला साबित किया। सभी सहकारी समितियां प्रत्यक्ष रूप से तो आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देती ही हैं साथ ही परोक्षत: पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में, अच्छी नौकरियों के अवसर सृजित करने और खाद्य सुरक्षा में अपना योगदान भी सुनिश्चित करती हैं। सहकारी समितियों की इस दिशा में क्रियाशीलता उसके निर्धारित वित्तीय संव्यवहार से कुछ हटकर रहती है। सहकारी समितियां, स्थानीय समुदायों के भीतर वित्तीय पूंजी रखती हैं, नैतिक मूल्य श्रृंखला बनाती हैं, और लोगों की भौतिक स्थितियों और सुरक्षा में सुधार करके शान्ति की स्थापना में सकारात्मक योगदान करती हैं। सहकारिता का तात्पर्य सहभागिता है। आसान शब्दों में कहें तो मिलजुल कर काम करने को सहकारिता कहा जाता है। "साथी हाथ बढ़ाना" के मकसद से समस्त मानव जगत का कल्याण करना सहकारिता का लक्ष्य है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसे पहली बार वर्ष 1923 में मनाया गया था। आगे चलकर जुलाई महीने के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने की पहल की गई। इसे सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनियाभर में एक साथ मनाया जाता है। आजकल सहकारिता शब्द का महत्व बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में कोविड-19 अर्थात कोरोना संक्रमण काल में जब लोग तनाव भरी जिंदगी गुजार रहे थे उस समय लोगों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता थी। इसके लिए सहकारिता ही जरूरी थी। सरकार की तरफ से भी कई योजनाएं चलाई जा रही थीं।

सहकारी क्षेत्र के कानून में बदलाव पर सम्मेलन

भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ के आंकड़ों के अनुसार, भारत का सहकारी क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और हजारों लोगों की सदस्यता के साथ 98% ग्रामीण इलाकों में सहकारिता, संस्थागत स्वरूप में मौजूद हैं। भारत में इन दिनों केन्द्र सरकार सहकारी संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों में बदलाव लाने की योजना बना रही है। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने अन्य सहयोगी मंत्रालयों और प्रमुख प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से मिलने के लिए सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदमों पर ध्यान की चर्चा की गई।

सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से छोटे उत्पादकों का समूह हैं जो बाजारों में बड़े पैमाने पर और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति हासिल करने के लिए अपने संसाधनों को जमा करती हैं। एक प्रमुख पहल सहकारी समितियों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाने की भी की जा रही है, जो इस एक क्षेत्र की पुनर्संरचना करने में मदद करेगी। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में छह विषयों सहकारी समितियों का जीवन चक्र, उनके व्यवसाय के पहलू, शासन, कानूनी ढांचा, नियामक नीति की पहचान और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए परिचालन की बाधाओं से मुक्ति पर मुख्य रूप से विचार हुआ। सहकारी सिद्धांतों, उनकी पारदर्शिता और नियमित चुनाव सहित शासन को मजबूत करने के लिए कतिपय सुधार भी इस सम्मेलन के विषय थे।

सहकारिता का उन्नयन और सम्वर्द्धन प्राथमिक लक्ष्य है

सहकारिता का उन्नयन और सम्वर्द्धन ही विश्व सहकारिता दिवस का प्राथमिक लक्ष्य है। इसी अभिप्राय से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सहकारिता के उन्नयन और सम्वर्द्धन के लिये वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष सहकारिता दिवस मनाने का संकल्प पारित किया था। इसी संकल्प के अनुपालन में विश्व सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबन्धन की पहल पर वर्ष 1923 से विश्व सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 में, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। सहकारी समितियों के विकास के लिए, एक सहायक वातावरण बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसी समय कुछ दिशा-निर्देश, भी जारी किये गये थे। सहकारिता के सम्वर्द्धन पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुशंसाएं जारी की थीं। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (इण्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट), सहकारी समितियों के संवर्धन और उन्नति के लिए समिति, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन), खाद्य और कृषि संगठन (फूड एण्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन), क्रेडिट यूनियनों की विश्व परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन और सहकारी समितियों के प्रचार और उन्नति के लिए समिति के माध्यम से सहकारिता के विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रणाली विकसित की थी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह के आयोजनों में विश्व सहकारिता दिवस का अपना महत्व है। यह दिन सहकारिता से जुड़ी जनता को चिंता के मुद्दों पर शिक्षित करने, वैश्विक समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवसों, जिसमें विश्व सहकारिता दिवस भी शामिल हैं, उनका अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले का है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें एक शक्तिशाली वकालत उपकरण के रूप में अपनाया है। विश्व सहकारिता दिवस पर सहकारिता के बुनियादी सिद्धांतों पर मंथन होता है। यह सिद्धांत है स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, प्रजातांत्रिक तरीके से सदस्यता पर नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना सहकारिताओं के बीच सहयोग और समुदाय के लिए चिन्तन। इस सभी मुद्दों पर दरबार मंथन होता है।

सहकारी संस्थाओं का अस्तित्व अट्ठारहवीं सदी से है

सहकारी संस्थाओं के अस्तित्व में आने का सबसे पहला प्रमाण 14 मार्च 1761 में स्कॉटलैंड में मिला जहां पहली सहकारी समिति बनाई गई। वर्ष 1844 में इंग्लैंड के उत्तर में कपास मिलों में काम करने वाले कारीगरों के एक समूह ने पहला आधुनिक सहकारी व्यवसाय स्थापित किया। सहकारी समितियों को ऐसे संघों और उद्यमों के रूप में स्वीकार किया गया है जिनके माध्यम से नागरिक अपने समुदाय और राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उन्नति में योगदान करते हुए अपने जीवन को प्रभावी ढंग से सुधार सकते हैं। सहकारी आंदोलन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मामलों में एक विशिष्ट और प्रमुख हितधारक के रूप में भी मान्यता दी गई है। दो साल पहले सहकारी जगत की सांख्यकी संगणक विश्व सहकारी मॉनीटर के अनुसार विश्व की बारह प्रतिशत आबादी विश्व की तीन मिलियन (तीस लाख) सहकारी समितियों में से किसी एक के सदस्य के रूप में हिस्सेदार हैं विश्व की सबसे बड़ी तीन सौ सहकारी समितियां और म्युच्युअल्स दो हजार एक सौ छियालीस बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल कारोबार करते हैं। सहकारी समितियां दुनियाभर में दो सौ अस्सी मिलियन लोगों को रोजगार देती हैं जो दुनिया की नियोजित आबादी का दस प्रतिशत है। यह आंकड़े सहकारिता की व्यापकता और उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। सहकारिता केवल संगठन की दृष्टि से ही मान्य नहीं है यह व्यवस्था कि राष्ट्र और सकल विश्व की आर्थिक समृद्धि की दशा और दिशा को भी निर्धारित करता है।

लोकतान्त्रिक और स्वायत्त होने से विशिष्ट है सहकारी आन्दोलन

सहकारी आंदोलन अत्यधिक लोकतांत्रिक और स्थानीय रूप से स्वायत्त है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एकीकृत है और संघों और उद्यमों के संगठन का एक रूप है जिसके तहत नागरिक स्वयं स्व-सहायता पर भरोसा करते हैं। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनकी अपनी जिम्मेदारी है जिसमें न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्य भी शामिल हैं जैसे गरीबी पर काबू पाना, उत्पादक रोज़गार हासिल करना और सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना। इसी लक्ष्य से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन बनाया गया।

यह गठबंधन विश्व की सभी सहकारी समितियों को एकजुट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और उनका कामकाज सम्हालता है। वर्ष 1895 में स्थापित, यह सबसे पुराने गैर-सरकारी संगठनों में से एक है और प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की संख्या के आधार पर विश्व के सबसे बड़े संगठनों में से एक है जिसमें एक अरब से अधिक सदस्य हैं। गठबंधन वैश्विक और क्षेत्रीय सरकारों और संगठनों के साथ विधायी वातावरण बनाने के लिए भी काम करता है जो सहकारी समितियों को बनाने और उन्हें चलाने में सहयोग करता है।

राजा दुबे

(लेखक : जनसम्पर्क के सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं।)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya sharir) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
23/2023/06.07.2023	17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	26.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन-पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya Sharir) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन-पत्र दिनांक 18.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya sharir) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (HighSchool) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक** ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता - अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
   1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
   2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.एससी. फिजियोलॉजी।
   3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (क्रिया शारीर/दोष धातु मल विज्ञान) अथवा BAMS एवं MSc. Physiology

2. **रोज़गार पंजीयन -**
   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   (ग) **मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत** - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

रिक्त पदों का विवरण तथा अर्हताएं

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, **मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya sharir)	1	0	2	2	0	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya sharir) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	0	2	2	0	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो पद का विवरण

01	**पद का नाम**	:	**व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya sharir)**
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन शैक्षणिक अर्हता :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा एम.एससी. फिजियोलॉजी।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (क्रिया शारीर/दोष धातु मल विज्ञान) अथवा BAMS एवं MSc Physiology

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17.09.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाऐं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात आयु संगणना तिथि : 01.01.2024

आठ अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू. एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट -II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट -।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वत: निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण-पत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो, ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूल निवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश की चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे।

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ड़) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2- **परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 17.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद** आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें:
दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4- **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु** व्याख्याता क्रिया शारीर (Lecturer kriya sharir) क्रमांक 23/2023 दिनांक 06.07.2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ----------------- पुत्र/पुत्री श्री ------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------ जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ------------- -जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ----------------

हस्ताक्षर -----------------------
नाम ----------------------------
रोल नंबर ----------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(शेष अगले पृष्ठ पर)

OFFICE OF THE KRISHI UPAJ MANDI SAMITI CHAKGHAT DISTT. REWA (M.P.)

NOTICE INVITING TENDER

Online Percentage Rate E-Tenders are invited from contractors registered with the Office of the Engineer in Chief, M.P. Public Works Department, Government of Madhya Pradesh (Centralized Registration Cell) for COLOUR WASHING AND MAINTENANCE OF OFFICE BUILDING AT APMC CHAKGHAT DISTT. REWA **Tender Number :** 2023_MPSAM_287607_1 (PAC amount Rs. 8.90 Lack), and for INTERNAL ELECTRIFICATION IN OLD OFFICE BUILDING AT MANDI YARD CHAKGHAT DISTT. REWA **Tender Number :** 2023_MPSAM_287930_1 (PAC amount Rs. 4.61 Lack). The following works Tender to be received online up to **17:30 PM on 26.07.2023** Technical bid documents with EMD & Financial Offer to be received online only as per Detailed NIT. The tender documents can be obtained online on the **http://mptenders.gov.in** as per the Notice Published on the above Portal and detailed information can also be seen on website **www.mpmandiboard.gov.in**

Note :- Any corrigendum in this NIT, if required, shall be displayed only in our above portal regarding any matter included in this NIT or otherwise. Other details of Construction/ Development works and locations & key dates can also be seen on our website **www.mpmandiboard.gov.in**

M.P. Madhyam/110669/2023 **SECRETARY**

R-48752/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 231/MTN/2023 (Flood Damage-SR)

No./10598/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 05.07.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.
- **Name of Work :-** Special Repair of Roads/Culverts (Flood Damage)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Betul	1	846000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **07.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110685/2023

R-48756/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P.–462011
No./10604/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 05.07.2023

NOTICE INVITING TENDER No. 233/MTN/2023 (BW)

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below :-

Name of Work : Repair/Maintenance of Rural Roads.

1. Table-1; Name of Work : Within 5 Year Maintenance (BW)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Sehore	1	267000.00

2. Table No. 2;- Name of Work – Post 5 Years (BW)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Dewas	2	11791000.00
2.	Khandwa	1	2410000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **10.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/110687/2023 **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

R-48758/2023

M.P. POWER GENERATING COMPANY LIMITED

(A Government of M.P. Undertaking)
Block No. 9, First Floor, Shakti Bhawan, Rampur, Jabalpur-482008
No. ED (HR&A)/MPPGCL/Rectt./2022-23/2506 Jabalpur, Date : 05.07.2023

NOTICE

(Ref. : Advertisement No.-ED(HR&A)/MPPGCL/Rectt./2022-23/764, Jabalpur, Dated : 21.02.2023)

This has reference to the Advertisement No. ED(HR&A)/MPPGCL/Rectt./2022-23/764, Jabalpur dated 21.02.2023 issued by MPPGCL for recruitment on various cadres in State Power Sector Companies of M.P. on regular basis & contract basis-(2022-23). Computer Based Tests (CBTs) in reference to MPPGCL's aforesaid Advertisement were conducted on 28.04.2023, 29.04.2023 and 30.04.2023.

In compliances to the recent directions of Energy Deptt, GoMP, issued vide letters No. F 02-05/2015/thirteen dated 23.05.2023 and No. F 02-05/2015/thirteen dated 30.06.2023, directions issued by General Administration Department (GAD), GoMP, vide letters No. 07-46/2021/Aa Pra/Ek dated 09/05/2023 and No. F3/1/2/0014/2023-GAD-RC-01(GAD) dated 26.06.2023 and the guidelines issued by GAD, GoMP vide No. 07-46/2021/Aa Pra/Ek dated 29.09.2022, respective Cadre wise number of posts advertised vide aforesaid Advertisement dated 21.02.2023 have now been divided into two parts, 87% of advertised posts of each of the respective cadres **(Part-A : Main part)** and 13% of advertised posts of each of the respective cadres **(Part-B : Provisional part).**

As per the directions of GAD, GoMP issued vide its aforesaid letters dated 09/05/2023 and 26/06/2023, presently results of the 87% part of the advertised posts **(Part-A : Main part)** of each of the respective cadres shall only be declared and the results of 13% part of the advertised posts **(Part-B : Provisional part)** of each of the respective cadres shall be kept on hold and shall be declared only after the final decision in WP No. 5901/2019 filed before the Hon'ble High Court of M.P. & other prevailing court cases regarding OBC reservations, and/or as per the further directives of Energy Department, GoMP & GAD, GoMP.

For further details, please visit MPPGCL's website **(www.mppgcl.mp.gov.in).**

M.P. Madhyam/110692/2023 **CHIEF ENGINEER (HR&A)**

R-48760/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 230/MTN/2023 (Flood Damage-SR)

No./10485/22/D-12/NIT-Maint. /2023 Bhopal, Dated : 05.07.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 01.09.2017 and amendments upto issue date of NIT.
- **Name of Work :-** Special Repair of Roads/Culverts (Flood Damage)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Narmadapuram	1	494000.00
2	Sehore	1	847000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **07.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110678/2023 R-48755/2023

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, BHOPAL M.P.-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 232/MTN/2023

No./10601/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 05.07.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. **Table No. 1 :- Name of Work -** REPAIR/MAINTENANCE OF THE RURAL ROADS FOR FIVE YEARS CONSTRUCTED UNDER PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJNA. (POST 5 YEAR)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1.	Gwalior	1	1768439.00
2.	Narsinghpur	1	10696532.00
3.	Shajapur	1	5989685.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **07.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110686/2023 R-48757/2023

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हो या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हों; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हताऐं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में):-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9- **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16260/48746/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 21/2023/05/07/2023	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना/भैषज्य कल्पना)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana)	1	1	3	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	1	3	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0
प्राविधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	पद का नाम	:	व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना/भैषज्य कल्पना)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 03.09.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: **(क) आयु सीमा :** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो.

(ख) आयु सीमा में छूट : मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि :-** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। **तथा**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप

क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट -।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटि सुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटि सुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश की चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV
आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
1. **www.mponline.gov.in**
2. **mppsc.mp.gov.in**

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-
1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-

टीप :- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 03.09.2023** है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्ड्री तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं .... आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग** हेतु व्याख्याता रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना (Lecturer rasshastra evam bhaishajya kalpana) क्रमांक 21/2023 दिनांक 05/07/2023 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं...............................पुत्र/पुत्री श्री...............................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/........................ जिला ...., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं .... जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- ....

हस्ताक्षर ....
नाम ....
रोल नंबर ....

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

(शेष अगले पृष्ठ पर)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryawas Bhawan, Bhopal M.P.-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 1121
UPG, SM & UPG-Mandi Roads

No./10645/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 06.07.2023

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in** as detailed below :

- **Table-1 : Name of work :** UPG (Mandi Roads) (MPRRDA SSR : 05.11.2019)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Damoh	3	81041553.00
2	Harda	1	16216000.00
3	Jabalpur	1	48760000.00
4	Panna	1	7186984.00
5	Raisen	1	82554000.00
6	Vidisha	1	19046000.00

- **Table-2 : Name of work :** UPG (MPRRDA SSR : 05.11.2019)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Sagar	1	11069000.00

- **Table-3 : Name of work :** UPG (MPRRDA SSR : 01.09.2017)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Narsinghpur	1	50415000.00

- **Table-4 : Name of work :** State Mandi-BW (MPRRDA SSR : 01.09.2017)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (In Rs.)
1	Narsinghpur	1	32463880.00

1. Tender document can be purchased and submitted only online from the above website from **10.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document for construction & maintenance of rural roads/Bridges Sept. 2017 on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110709/2023 **R-48761/2023**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.) 462011

NOTICE INVITING TENDER No. 1122 (PMGSY-III-Bridge) (PMGSY-III, Batch-III, Year 2021-22)

No./10648/22/D-12/MPRRDA/2023 Bhopal, Dated : 06.07.2023

Online Tenders for Construction of Bridges with 5 years defect liability & maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below :

- **Name of Work –** Construction of Bridges under PMGSY including maintenance for Five year after construction.

S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Bridge	Total PAC (In Rs.)	S. No.	Name of District	No. of Packages	No. of Bridge	Total PAC (In Rs.)
1	Agar	3	3	180087040.00	23	Khargone	13	13	467249700.00
2	Alirajpur	8	8	448971910.00	24	Mandla	1	2	71588000.00
3	Balaghat	2	2	126647000.00	25	Mandsaur	2	2	106707000.00
4	Barwani	5	6	241279910.00	26	Morena	2	2	213477000.00
5	Betul	8	8	553021940.00	27	Narsinghpur	4	9	178219500.00
6	Bhopal	1	1	53876433.00	28	Neemuch	1	1	75027000.00
7	Burhanpur	4	4	163497790.00	29	Panna	4	4	313406000.00
8	Chhatarpur	1	1	53813810.00	30	Raisen	6	6	323312000.00
9	Chhindwara	7	7	264718980.00	31	Rajgarh	3	3	187266800.00
10	Damoh	6	8	231127396.00	32	Ratlam	4	4	270385000.00
11	Datia	1	1	144682500.00	33	Sagar	5	5	264413650.00
12	Dewas	2	2	85887000.00	34	Satna	1	1	29979000.00
13	Dhar	18	19	1113605060.00	35	Sehore	4	4	289875000.00
14	Dindori	5	5	159199000.00	36	Seoni	3	3	196234000.00
15	Guna	3	3	152143370.00	37	Shajapur	6	6	336682080.00
16	Gwalior	3	3	292417220.00	38	Sheopur	2	2	245193000.00
17	Harda	1	1	50111000.00	39	Shivpuri	3	3	320367000.00
18	Narmadapuram	2	2	90570740.00	40	Sidhi	1	1	29453000.00
19	Indore	3	7	409618630.00	41	Tikamgarh	3	3	103674900.00
20	Jabalpur	6	6	285650220.00	42	Ujjain	9	10	470782000.00
21	Jhabua	3	3	133039220.00	43	Umaria	3	3	112689000.00
22	Khandwa	9	9	424479770.00	44	Vidisha	3	3	168268000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission :** The bid document is available online and should be submitted online in **www.pmgsytenders.gov.in.** The bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchased online **from 13.07.2023 (17:30 hrs)** and last date for online bid submission is **04.08.2023 (17:00 hrs.)**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

M.P. Madhyam/110710/2023 **R-48762/2023** **CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना विकास निगम लिमिटेड

भदभदा रोड, भोपाल 462003 (म.प्र.)

क्रमांक- मप्रपुआ.एवं अविनि/547/2023 भोपाल, दिनांक : 07.07.23

प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसरंचना विकास निगम लिमिटेड, में बाह्य सेवा संवर्ग के अंतर्गत रिक्त वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु, अधिवार्षिकीय आयु पर सेवा निवृत्त ऐसे अधिकारियों, जिन्होंने समकक्ष पद पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा के दायित्वों का निर्वहन महालेखाकार कार्यालय में, मध्यप्रदेश वित्त सेवा अधिकारी के रूप से अथवा किसी शासकीय निगम/मण्डल में निष्ठापूर्वक सम्पादित किया हो, से दिनांक 31.07.2023 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त संविदा पद की अर्हता, अनिवार्य एवं सामान्य शर्तें, आवेदन पत्र का प्रारूप कार्पोरेशन की वेबसाइट **www.policehousing.mp.gov.in** पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/110741/2023 **R-48769/2023** **प्रबंध संचालक**

रेरा द्वारा अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने कार्यवाही जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा ऐसी परियोजनाएं जो लम्बे समय से अधूरी पड़ी हुई हैं अथवा जिनमें काम बंद है, उन परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं, जिनमें निर्माण की समयावधि व्यतीत हो चुकी है और जिनका समय-सीमा विस्तार भी समाप्त हो चुका है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 8 में नियमित समीक्षा की जा रही है।

प्राधिकरण अध्यक्ष एवं सदस्य ने इंदौर में संभागायुक्त और जिला कलेक्टर के साथ बैठकें की हैं। प्राधिकरण के सचिव द्वारा रतलाम एवं खण्डवा जिलों में अधूरी परियोजनाओं के संबंध में चर्चा की गई है। बैठकों में ऐसी परियोजनाओं को पूरे किए जाने के लिए स्थानीय स्तर पर सघन प्रयास करने के संबंध में गहन विमर्श हुआ।

आकृति एक्वासिटी, आर्चिड हाइट्स एवं एस्टर सीरीज परियोजनाओं का कार्य मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से कराने का निर्णय इसी संदर्भ में लिया गया है। प्राधिकरण ने इन 3 परियोजनाओं में आकृति एक्वासिटी परियोजना का पंजीयन विभिन्न अनियमितताओं के कारण प्रतिसंहरित किया गया था, जबकि अन्य 2 परियोजनाएं समय-सीमा समाप्त होने से व्यपगत हो गई थीं। भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 8 में ऐसी परियोजनाएं जो व्यपगत हो गई हैं या जिनका पंजीयन प्रतिसंहरित किया गया है, प्राधिकरण के विवेकाधीन हो जाती हैं और प्राधिकरण उनके बारे में समुचित निर्णय ले सकता है। इन 3 परियोजनाओं में प्राधिकरण ने यह पाया कि प्रमोटर के द्वारा आवंटितियों से प्राप्त की गई राशि का उपयोग अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है। इस कारण से संचालक श्री राजीव सोनी, श्री हेमंत सोनी, एजी8 वेन्चर्स लिमिटेड पर शास्ति अधिरोपित की गई और निर्धारित राशि परियोजना के खाते में जमा किए जाने के आदेश भी दिए गए थे।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

और/या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16210/48743/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
22/2023/06/07/2023	अंतिम तिथि 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	जमा करने की अंतिम तिथि 26.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र **दिनांक 18.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 17.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य **दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)** तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र ₹ 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. शैक्षणिक अर्हता -

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (द्रव्यगुण)

2. रोज़गार पंजीयन -

(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोज़गार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अतः समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अतः अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।
3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna)	1	0	2	1	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0
मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नानुसार रखा गया है -																
मुख्य भाग (87%)		1	0	2	1	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो **पद का विवरण**

01	पद का नाम	:	व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna)
	विभाग का नाम	:	आयुष विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित (द्वितीय श्रेणी)
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता :** **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (द्रव्यगुण)

विशेष :

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की **अंतिम तिथि 17.09.2023 तक** अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **(क) आयु सीमा:** 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट: मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।

सात **आयु संगणना तिथि** 01.01.2024

आठ **अधिवार्षिकी आयु :-** 62 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	5 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट-III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग

के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :

(1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यो/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-।।।

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होंगे। यदि अभिलेखों की जांच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जांच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हों तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं या होने वाले हों ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्यूअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्र.	अभिलेख	निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्यक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है। (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/ वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र	ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
8.	शासकीय सेवक होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ विभाग को सूचना अभिलेख	जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।
9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्यूअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक** आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in

2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 20.08.2023 से 19.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे)** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

टीप : आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 17.09.2023** है। अंतिम तिथि को **दोपहर 12:00 बजे** के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मैन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ....आयोग के **मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग** हेतु व्याख्याता द्रव्यगुण (Lecturer dravyaguna) **क्रमांक 22/2023 दिनांक 06/07/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं...पुत्र/पुत्री श्री..............................निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/.....................जिला..........................मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ....जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :-....................... हस्ताक्षर..........................

नाम..........................

रोल नंबर..........................

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हों, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ङ) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या

(शेष अगले पृष्ठ पर)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष : 07592-297254
E-mail : dean.vdsA@mp-gov-in,Website :- www.gmcvidisha.org

क्रमांक 3362/स्था./सी.एम.ओ.विज्ञप्ति-5/23 **विदिशा, दिनांक : 04.07.2023**

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018 के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के अधीन निम्नलिखित आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पद	रोस्टर				वेतनमान
			UR	SC	ST	OBC	
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	01	....	....	**01**	...	छठवे वेतनमान 15600-39100+5400 ग्रेड-पे के समकक्ष 7वां वेतनमान लेवल (12) में पे-मेट्रिक्स 56,100/- अनुसार देय होगा
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	02	....	....	**02**	....	

उक्त पदों के शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अर्हताएं निम्नानुसार हैं :–

क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1.	महिला चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	65 वर्ष
2.	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस/एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप इत्यादि शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की वेबसाइट पर **www.gmcvidisha.org** उपलब्ध है। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के नाम से बंद लिफाफे में पद का नाम व स्वयं का नाम एवं पद आवश्यक रूप से अंकित कर भेजे (आवेदन की **अंतिम तिथि 25.07.2023** सायं 5.00 बजे तक है) निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। स्क्रूटनी एवं साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु समय-समय पर संस्था की वेबसाइट आवलोकन करें।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अटल बिहारी वाजपेयी स्वशासी, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा

जी-16273/48767/2023

कार्यालय मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, प्लाट नं.-27-28
अरेरा हिल्स, भोपाल

एनआईटी नं.- 11/2023/निविदा/सा/मु.अ.भ./ **भोपाल दिनांक : 30.06.2023**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती हैं :–

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-2 भोपाल के अंतर्गत एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल के अधीन शासकीय हमीदिया अस्पताल परिसर में पुराने अस्पताल को तोड़ने/ध्वस्त करने एवं मलवा हटाने हेतु।

पोर्टल टेंडर क्र.	जिला	ठेके की अनुमानित राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)
2023_PWPIU_285534_-1	भोपाल	46.57	50000	5000	02 माह वर्षाकाल सहित
2. शासकीय महाविद्यालय भवन बरेली में 12 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य। (शेष कार्य) द्वितीय आमंत्रण					
2023_PWPIU_288820_1	रायसेन	514.56	514560	20000	12 माह वर्षाकाल सहित
3. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ में इन्डोर हाल (आप्शन-1) भवन निर्माण का शेष कार्य।					
2023_PWPIU_289008_1	राजगढ़	53.21	53210	10000	08 माह वर्षाकाल सहित
4. विदिशा जिलें अंतर्गत आंगनबाड़ी भवनों रजौदा, सकलोरी मेहरा (ब्लॉक-बासौदा) खजूरिया टप्पाबर्री, कोलुआ जागीर (ब्लॉक-ग्यारसपुर) करोदिया बागौदा (ब्लॉक-विदिशा) शेष निर्माण कार्य।					
2023_PWPIU_275529_3	विदिशा	111.48	111485	12500	09 माह वर्षाकाल सहित
5. विदिशा जिलें अंतर्गत शेष कार्य पी.जी. अंतर्गत सुधार कार्य एवं अन्य कार्य हेतु जोनल कार्य की निविदा।					
2023_PWPIU_275756_3	विदिशा	112.12	112120	12500	12 माह वर्षाकाल सहित

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे। 2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्य से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा। 3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक **30.06.2023 समय 10.30 से दिनांक 17.07.2023** समय 5.30 तक खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। 4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेबसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (भवन)
लोक निर्माण, विभाग भोपाल

जी-16250/48766/2023

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा (म.प्र.)

खेल परिसर के सामने, सांची रोड, विदिशा (म.प्र.) 464001, दूरभाष : 07592-297254
E-mail : deangmcvidisha@gmail.com, Website : www.gmcvidisha.org

क्रमांक 3360/स्था./राज/विज्ञप्त-13/23 **विदिशा, दिनांक : 04.07.2023**

विज्ञप्ति सूचना

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा के अधीन निम्नलिखित चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति वर्तमान में संचालक चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 416/स्था./राज/2022 भोपाल दिनांक 22.04.2022 के द्वारा प्राप्त अनुसूची के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी, स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के अधीन प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 3359/स्था.राज./विज्ञप्त-13/23 विदिशा, दिनांक 04.07.2023 के तहत आवेदन पत्र कार्यालय अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा में **दिनांक 25.07.2023** सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संचालक, चिकित्सा शिक्षा की **वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in** एवं अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की **वेबसाइट www.gmcvidisha.org** पर उपलब्ध है।
2. आवेदकों द्वारा अपना पूर्ण रूप से निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा की आवक शाखा में जमा कराये जावेगें।
3. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, अटल बिहारी वाजपेयी, शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, में शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम अनारक्षित (UR/**आरक्षित (SC/ST/OBC) श्रेणी** का उल्लेख स्पष्ट एवं अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डॉ. सुनील नन्दीश्वर)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, विदिशा

जी-16277/48768/2023

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :-**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल **"रोज़गार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ङ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16242/48745/2023

योजनाओं के क्रियान्वयन में रोज़गार सहायक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका

नरसिंहपुर, राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोज़गार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने उनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए हाल ही में उनके हितों में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर जिले के तेंदूखेड़ा में आंगनवाड़ी और रोज़गार सहायकों के संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहीं।

श्री चौहान का तेंदूखेड़ा के ग्राम हीरापुर, उमरपानी, भूरासुनेहटी, टेकापार, ग्वारी तिराहा, मनकापुर तिराहा, भामा और अन्य स्थानों पर लाड़ली बहनाओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम भामा में ग्रामीणों की मांग पर शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये संकल्पित है। इसी के अनुरूप मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू की गई है। इस योजना में पात्र बहनों के खाते में हर माह की 10 तारीख को नियमित रूप से 1000 रुपये की राशि अंतरित होती रहेगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ अब 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं को भी मिलेगा। इसके लिये जल्द ही पोर्टल शुरू किया जाएगा।

जन-सेवा मित्रों से संवाद

मुख्यमंत्री ने जन-सेवा मित्रों से संवाद किया। उन्होंने शिवानी विश्वकर्मा से लोगों की राय जानी। शिवानी ने बताया कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित हो रही है। जन-सेवा मित्र राज्य शासन की योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मॉनीटरिंग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने घोषणाओं का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने जन-समुदाय को बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय प्रतिमाह 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपये किया गया है। मानदेय में इन्सेन्टिव के रूप में 1000 रुपये की वृद्धि प्रति वर्ष की जायेगी। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 6500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा। सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर पदोन्नति के लिये 50 प्रतिशत पद आरक्षित होंगे। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त एक लाख 25 हजार रुपये और सहायिकाओं को एक लाख रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का शासकीय कर्मचारियों की तरह 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।

तत्काल मिली 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री ने अपने भ्रमण के दौरान श्रीमती जीरा बाई से संवाद किया। श्रीमती जीरा बाई ने बताया कि पिछले एक साल में उनके पति एवं 2 बच्चों का देहान्त हो चुका है। घर में अब कमाई का कोई जरिया नहीं है। मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए श्रीमती जीरा बाई को तत्काल 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिये। जिस पर रेडक्रॉस की ओर से 2 लाख रुपये की सहायता जीरा बाई को प्रदान कर दी गई।

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

मध्यप्रदेश के युवाओं में क्षमता प्रतिभा और टैलेंट - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

भोपाल, मध्यप्रदेश के युवाओं में क्षमता, ऊर्जा, प्रतिभा और टैलेंट है। उद्योगपति और व्यापारिक संस्थान इन्हें काम सिखाएंगे, तो वे उनके प्रतिष्ठान को मालामाल कर देंगे। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और युवाओं के हितों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इससे युवाओं को काम सीखने का मौका मिलेगा और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्किल्ड मैनपावर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। योजना के सफल क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश आगे बढ़ेगा। सीखो-कमाओ योजना का संक्षिप्त रूप एस.के.वाय. अर्थात् स्काय मतलब आसमान है। युवा आगे आएं, योजना से जुड़ें, आसमान में ऊंची उड़ान भरें और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनायें। मैं युवाओं के सपनों को किसी भी कीमत पर मरने नहीं दूंगा। चिड़िया अपने बच्चों को घोसला नहीं पंख देती है, मैं आज पंख देने आया हूं और इसीलिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू की गई है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की लॉन्चिंग के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने आईटीआई उत्तीर्ण श्री राज कुशवाह का स्वयं योजना के पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना का शुभारंभ किया।

युवाओं से मेरा प्यार, दिल और आत्मीयता का नाता

मुख्यमंत्री ने युवाओं से आत्मीय संवाद में भाव-विभोर होते हुए उन्हें 'आई लव यू' कहा और कहा कि मेरे और आपके रिश्ते मुख्यमंत्री और विद्यार्थी के रिश्ते नहीं हैं, मेरा आपसे प्यार, दिल और आत्मीयता का नाता है। यह स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। आप लोगों का बेहतर भविष्य बनाना हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश निर्माण को समर्पित हैं। उनके नेतृत्व में देश का गौरव बढ़ा है। वे सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं का बेहतर भविष्य कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं। कर्मी कल्चर को समाप्त कर नियमित शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है।

युवाओं को रोज़गार और स्व-रोज़गार के लिए व्यापक गतिविधियां जारी

श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को रोज़गार के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई थी। अब तक 55 हजार भर्तियां हो चुकी हैं और आगामी 15 अगस्त से पहले एक लाख से अधिक शासकीय भर्तियां हो जाएंगी। रोज़गार के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम आदि में स्व-रोज़गार के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। युवा स्वयं का स्टार्टअप आरंभ कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक 2800 स्टार्टअप कार्यरत हैं। प्रदेश की धरती पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास जारी हैं। उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में लगभग 15 लाख 42 हजार 550 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की गई है। इन उद्योगों से बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में आने वाले इन उद्योगों को दक्ष मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क आरंभ किया जा रहा है, जहां युवाओं को कौशल उन्नयन के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने दी योजना की जानकारी

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योजना में 18 से 29 वर्ष के युवा पात्र होंगे। मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी योजना का लाभ ले सकेंगे। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण को 8 हजार रुपये, आईटीआई उत्तीर्ण को 8 हजार 500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9 हजार रुपये, स्नातक या उच्च शिक्षित को 10 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।

मध्यप्रदेश में

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ बस्तियों के विकास के लिये बस्ती विकास योजना

भोपाल, मध्यप्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ बहुल बस्तियों, ग्राम, मजरे-टोलों और डेरों में अधोसंरचना विकास के लिये बस्ती विकास योजना संचालित की जा रही है।

योजना के अंतर्गत बस्तियों में सी.सी. रोड, नाली, सार्वजनिक शौचालय, पेयजल और बिजली व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिये राशि उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले वर्ष योजना में 72 लघु निर्माण कार्यों के लिये करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

इस वर्ष 2023-24 में योजना में विभागीय बजट में 5 करोड़ 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 51 विमुक्त, घुमक्कड़, अर्द्ध-घुमक्कड़ समुदाय हैं। इनके सामाजिक कल्याण के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

लाड़ली बहना सेनाएं बनेंगी महिला सशक्तिकरण का माध्यम - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में एक बैठक को संबोधित करते हुए

भोपाल, लाड़ली बहना सेनाएं शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मददगार और महत्वपूर्ण माध्यम बनकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी। 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की मासिक राशि अंतरण की जाएगी। यह योजना की दूसरी किश्त है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री इंदौर के सुपर कॉरिडोर ग्राउण्ड से पूरे प्रदेश की लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना सेना की सदस्य होने के नाते दायित्व निर्वहन की शपथ भी दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री लाड़ली बहनों को संबोधित करेंगे। इसका प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में होगा। श्री चौहान इसी दिन धार जिले में लाड़ली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री इसके पूर्व गुना जिले में 8 जुलाई को लाड़ली बहना सम्मेलन में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से चर्चा कर 10 जुलाई के कार्यक्रम की जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में पूछा। उन्होंने कलेक्टर्स को योजना से जुड़े शेष डी.बी.टी. कार्य को शत-प्रतिशत स्थिति में लाने के निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, युवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मध्य क्षेत्र कंपनी द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन के लिए 'सरल संयोजन पोर्टल' शुरू

भोपाल, नवीन बिजली कनेक्शन लेना अब और आसान हुआ है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब निम्नदाब घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नये पोर्टल 'सरल संयोजन पोर्टल' **https://saralsanyojan.mpcz.in:888/home** पर विधिवत आवेदन के बाद अतिशीघ्र ही नवीन बिजली कनेक्शन उपलब्ध करा रही है।

कंपनी द्वारा इस पोर्टल से अभी तक 10 आवेदकों को समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित नये बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर ही नया बिजली कनेक्शन दिया गया है। इस पोर्टल से आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में कंपनी द्वारा आवेदक को एसएमएस से आवेदन पूर्ण करने का एक अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी स्थिति को भी देखा जा सकेगा एवं उपभोक्ता को नया कनेक्शन लेने के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन सुगमता से मिले इसके लिए कंपनी द्वारा नवीन पोर्टल 'सरल संयोजन पोर्टल' का क्रियान्वयन शुरू कर विधिवत पूर्ण आवेदन पर बहुत ही कम समय में नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के लिए सभी जरूरी जानकारी भरने के साथ ही डिमांड नोट का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद अनुबंध की शर्तें दिखाई देंगी, जिन्हें स्वीकार करने पर पोर्टल में स्वतः ही अनुबंध क्रियान्वित हो जाएगा। आवेदकों को इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज तथा टेस्ट रिपोर्ट आदि अपलोड करना आवश्यक होगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

व्यापार के लायसेंस का रिन्यूअल अब दस साल के लिए किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में फेडरेशन ऑफ एम.पी. चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए

भोपाल, व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने में कोई कमी नहीं रहने देंगे। प्रदेश में उद्योग विकास दर 24 प्रतिशत है। राज्य सरकार हर सेक्टर में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। व्यापारी और उद्योगपति प्रदेश की समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करें। विकास में निरंतर भागीदारी करते रहें। प्रदेश में बेहतर निवेश और रोज़गार की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश और देश को व्यापारियों और उद्योगपतियों से बहुत आशाएं हैं। उद्योग और व्यापार के लायसेंस का रिन्यूअल अब दस साल के लिए किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कामर्स-एण्ड इंडस्ट्रीज के 7वें आउट स्टेंडिंग अवॉर्ड वितरण और 44वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों, उद्योगपतियों और संस्थानों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की जीएसडीपी 71 हजार करोड़ से बढ़कर 15 लाख करोड़ हो गई है। देश के अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार से बढ़कर एक लाख 40 हजार रुपये हो गई है। प्रदेश का बजट 21 हजार करोड़ से बढ़कर 3 लाख 14 हजार करोड़ हो गया है। कृषि के क्षेत्र में लगातार विकास दर बढ़ने का चमत्कार हुआ है।

कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावॉट से बढ़कर 28 हजार मेगावॉट हो गया है। चारों तरफ विकास और प्रगति के कार्य हो रहे हैं। रोज़गार और कौशल, सिंचाई, शहरों के विकास, पेयजल, पंचायत, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन सहित हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने की अनंत संभावनाओं को पूरा करने में आपका बेहतर योगदान हो। बासमती राइस की सुगंध कनाडा, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में है। शरबती गेहूं भी निर्यात होता है। किसानों की आय बढ़ रही है। किसानों के पास पैसा आने से व्यापारी मित्रों का व्यापार चलता है। रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त युवाओं को रोज़गार देने के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री सीखो- कमाओ योजना शुरू की है जो अद्‌भुत योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उद्योगपति स्व. रमेश अग्रवाल का स्मरण करते हुए कहा कि वे मध्यप्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर थे।

डॉ. राधाशरण गोस्वामी ने कहा कि फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

सात अगस्त से नियमित टीकाकरण - स्वास्थ्य मंत्री

भोपाल, मध्यप्रदेश में सात अगस्त से नियमित टीकाकरण युवीन पोर्टल से संचालित होगा। कोविन पोर्टल से हुए कोविड टीकाकरण की तरह ही युवीन पोर्टल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम संचालित होगा। ये बातें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भोपाल में राज्य स्तरीय मीजल्स रूबेला निर्मूलन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहीं।

डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण साल-दर-साल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान में 2 करोड़ 32 लाख का रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया। टीकाकरण में मैदानी अमले के टीकाकर्मी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य सराहनीय है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि मीजल्स रूबेला से मुक्त प्रदेश और देश बनाने के हमारे संकल्प को साकार करने में सभी जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मोबाइल फोन और आइडेंटिटी कार्ड के साथ टीकाकरण सत्र स्थल पर जाने से अगले टीके के समय का एसएमएस प्राप्त होता है। इसलिये पालक अथवा अभिभावक जो मोबाइल नम्बर टीकाकरण टीम को दें, उसे अगले 5 साल तक नहीं बदलें, ताकि बच्चों को लगने वाले टीके की जानकारी उनके मोबाइल पर एसएमएस से प्राप्त होती रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश और देश में पिछले सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। कोरोना पर नियंत्रण और कोरोना टीकाकरण में देश में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। देश ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही दुनिया के 100 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई है। भारत में इलाज कराने के लिये दुनिया के अनेक देशों से लोग आते हैं। हमारे यहाँ कई देशों की तुलना में सस्ता और अच्छा उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी।

भोपाल में 30 एकड़ में बन रहा है प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क

भोपाल, नरेला शंकरी में प्रदेश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हर सप्ताह बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा कर रही हैं। श्रीमती सिंधिया ने समीक्षा करते हुए कहा कि जीएसपी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सिंगापुर के सहयोग से बन रहे ग्लोबल स्किल पार्क में युवाओं को हम बेहतर और आधुनिक तकनीकी स्किल्स सिखा कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी सितम्बर तक जीएसपी पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य है। निर्धारित समय पर इसे पूरा करने के लिए निरंतर काम चल रहा है।

उल्लेखनीय है कि लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की लागत से 30 एकड़ में बन रहे संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में 6 हजार युवाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षण दिया जायेगा। जीएसपी में युवाओं को मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, डेटा साइंस आदि ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि का अनुसमर्थन

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 3 हजार रुपये वृद्धि के बाद अब 13 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 750 रुपये वृद्धि के बाद प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में प्रतिवर्ष 1000 और आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 500 रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि की जाएगी। साथ ही 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक लाख 25 हजार रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकताओं को एक लाख रुपये दिये जाएंगे। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णय इस प्रकार हैं -

- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में 10 नवीन महाविद्यालय की स्थापना, 4 महाविद्यालय में नवीन संकाय तथा 7 महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ किए जाने के लिये 589 नवीन पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिये आवर्ती व्यय भार 33 करोड़ 47 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय 105 करोड़ 46 लाख 70 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा 22 अप्रैल 2023 के आधार पर पाल-गड़रिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होंगे। बोर्ड के गठन से पाल-गड़रिया, धनगर वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन की कल्याणकारी/जन-हितकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
- इस वर्ग की आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सकेगा। इससे इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को गति प्राप्त हो सकेगी।
- मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम अन्तर्गत "संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास" की स्थापना एवं गठन के लिये भी स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रिपरिषद द्वारा धार जिले की बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना लागत राशि 478 करोड़ 88 लाख रुपये, सिंचाई क्षमता 15031 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से कुक्षी तहसील के 43 ग्राम को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
- मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना का क्रियान्वयन राजस्व विभाग द्वारा किये जाने एवं परियोजना के लिये प्रस्तावित केन्द्र प्रवर्तित योजना के अनुसार राज्य शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि नजूल अधिकारी जिला रीवा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार रिफ्यूजी कॉलोनी रीवा में निवासरत 30 आधिपत्य धारियों को निर्मित एवं खुली भूमि का क्षेत्रफल वर्ष 2004-05 की गाइडलाइन के आधार पर प्रब्याजि का निर्धारण करते हुए तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम 2018 में निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित करते हुए तथा इस प्रकार संगणित प्रब्याजि तथा भू-भाटक पर वर्ष 2004-05 से वर्तमान तक के ब्याज से मुक्त करते हुए 30 वर्षीय स्थायी पट्टे पर भूमि का आवंटन स्वीकृत किया जाये।
- स्थायी पट्टे का प्रारूप नगरीय क्षेत्रों के शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में प्रारूप "घ" अनुसार नजूल भूमि का स्थायी पट्टा जारी किया जाये।
- राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में एक ही वर्ग की 2 जातियां, कुड़मी एवं कुर्मी, कुरमी पृथक-पृथक क्रमांक में दर्ज होने के कारण होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये बुंदेलखण्डीय गौर समाज द्वारा मांग की गई थी।
- विभागीय प्रस्ताव अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा विचारोपरांत कुड़मी जाति को सूची क्रमांक 76 से विलोपित कर सूची क्रमांक 39 में कुर्मी, कुरमी के साथ शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया।
- निर्णय से इस वर्ग को जाति प्रमाण-पत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के साथ राज्य शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग को प्रदाय किए जा रहे लाभ प्राप्त करने के लिये समान एवं समुचित अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
- मंत्रिपरिषद द्वारा सहकारिता विभाग की सोयाबीन प्र-संस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रैप के रूप में निर्वर्तन किए जाने के लिए आमंत्रित चतुर्थ निविदा के H-1 निविदाकार उच्चतम निविदा राशि 8 करोड़ 30 लाख 6 हजार रुपये की संस्तुति एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद विक्रय अनुबंध की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रिपरिषद द्वारा कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की ब्लॉक-1, ग्राम-एहसानपुरा, तहसील- सारंगपुर, जिला-राजगढ़ भूमि परिसम्पत्ति सर्वे क्रमांक 45, 54, 55 एवं 56 कुल रकबा 17,400 वर्गमीटर के H-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा राशि 2 करोड़ 11 लाख 11 हजार 111 रुपये की संस्तुति करते हुए उसे विक्रय करने एवं H-1 निविदाकार द्वारा निविदा राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

स्वच्छता के पर्याय बन चुके इंदौर के नाम एक और उपलब्धि

इंदौर, देश में स्वच्छता के पर्याय बन चुके इंदौर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इंदौर नगर निगम (IMC) देश का पहला ईपीआर क्रेडिट अर्जन करने वाला नगरीय निकाय बन गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत नई सोच और नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन को भी मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशानुसार मध्यप्रदेश में भी सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति के इंदौर नगर निगम के अभियान से पूरे प्रदेश में इस दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी।

कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के बाद, इंदौर नगर निगम (आईएमसी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत होने वाला भारत का पहला यूएलबी बनकर 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। आज आईएमसी ईपीआर क्रेडिट अर्जित करने वाला भारत का पहला यूएलबी बन गया है। ईपीआर क्रेडिट अर्जित करने की उपलब्धि आईएमसी द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 (पीडब्लूएम) और ईपीआर नीति के सफल कार्यान्वयन को दर्शाती है। ईपीआर क्रेडिट अर्जित करने का यह नवाचार लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी और संवहनीय विकास की दिशा में एक और सशक्त कदम है।

जन-भागीदारी इंदौर शहर मॉडल की यूएसपी है। इंदौर नगर निगम ने एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध के संबंध में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'मैं हूं झोलाधारी इंदौरी', 'प्लास्टिक हाइस्ट गैंग', 'प्लास्टिक प्रीमियर लीग' और 'हल्ला बोल ड्राइव' आदि जैसे गहन जागरूकता अभियान चलाये हैं। इंदौर शहर प्रतिदिन 1162 मीट्रिक टन से अधिक ठोस कचरा (MSW) उत्पन्न करता है। आईएमसी और उसके हितधारकों के व्यापक जागरूकता अभियान और ठोस प्रयासों से घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक संस्थानों आदि में 6 प्रकार के कचरे प्लास्टिक अपशिष्ट, गैर-प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, सेने-अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और गीले अपशिष्ट में स्रोत पृथक्करण के सफल कार्यान्वयन को सफलता मिली है।

इंदौर नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन 163.8 मीट्रिक टन प्लास्टिक उत्पन्न होती है। जिसे डोर-टू-डोर कलेक्शन और बल्क कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से स्रोत से अलग तरीके से एकत्र किया जा रहा है। फिर बिना किसी मानवीय अंतःक्षेप के केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत मटेरियल रिकवरी फेसिलिटी तक पहुंचाया जाता है। परिवहन किए गए शत-प्रतिशत कचरे को उसी दिन ट्रीट किया जाता है। इसके साथ ही पीडब्लूएम नियम 2016 और ईपीआर नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए आईएमसी शहर के भीतर बैन प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, उपयोग और आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करती है। आईएमसी ने नगरपालिका सीमा के भीतर मानदंडों के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए जोन स्तर पर 19 निरीक्षण टीमों को तैनात कर एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना की है। निरीक्षण दल दैनिक आधार पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों, पर्यटक क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों, सब्जी, फल और मांस बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों आदि में नियमित रूप से दौरा करते हैं।

किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने बदले हैं मापदंड

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों के फसल क्षति राशि अंतरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले के केला उत्पादक किसानों को फसल क्षति पर राशि प्रदान की। जिले में इस वर्ष अप्रैल-मई और जून माह में हुई फसलों की क्षति के लिए प्रभावितों को यह राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से 4261 किसानों को 41 करोड़ 85 लाख रुपये की फसल क्षतिपूर्ति राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। प्रभावित फसलों का रकबा 3690 हेक्टेयर था। इसमें से प्रभावित केला फसल का क्षेत्र 3470 हेक्टेयर एवं अन्य फसल का क्षेत्र 219 हेक्टेयर है। केला फसल उत्पादक 3960 किसान हैं और अन्य फसलों के उत्पादक किसान 301 हैं।

उल्लेखनीय है कि बुहरानपुर का केला विश्व के कई देशों को निर्यात किया जाता है। राज्य सरकार ने केला उत्पादक किसानों को फसल खराब होने के संकट से मुक्ति दिलवाकर आर्थिक राहत दी है। 'एक जिला - एक उत्पाद' योजना में भी बुरहानपुर जिले में केला उत्पादन का चयन किया गया है। देश के प्रांतों के साथ ही अन्य देशों में भी बुरहानपुर का केला जाता है। यहां अनेक केला चिप्स इकाइयां और केला पकाने के लिए राईपनिंग चेंपर स्थापित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने किसानों को राहत राशि देने बुरहानपुर में हुए कार्यक्रम में वर्चुअली कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने कई मापदंड बदले हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र में समय-समय पर ऐसे परिवर्तन किए गए हैं, जिससे किसानों को लाभ मिला है। अब किसानों को फसलों और मकानों की क्षति और मवेशियों की जान जाने पर अधिक राहत राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने फसल क्षति पर नई श्रेणी भी बनाई है। अब जिन किसानों को 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत फसल हानि होती है, उन्हें भी राहत राशि प्राप्त होगी। दूसरी श्रेणी 33 से 50 प्रतिशत क्षति की है। इन्हें भी बढ़ी हुई दर से राहत राशि दी जा रही है। इसके अलावा 50 प्रतिशत से अधिक क्षति को पूर्ण हानि मानते हुए राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है। अनेक प्रांतों में 25 से 33 प्रतिशत नुकसान की श्रेणी नहीं है। राज्य सरकार ने सभी श्रेणियों में राहत राशि को दोगुना किया है।

श्री चौहान ने कहा कि केले की फसल की क्षति प्रतिपूर्ति की दर दोगुनी कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण संशोधन के अनुसार अब किसान को केले की फसलों की 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर राहत राशि 15 हजार से बढ़ा कर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। इसी तरह 33 से 50 प्रतिशत क्षति होने पर 27 हजार से बढ़ा कर 54 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से राहत राशि दी जाएगी। यदि 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है तो मिलने वाली राहत राशि एक लाख के स्थान पर 2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों को फसल क्षति पर अधिकतम राशि देने का प्रावधान भी परिवर्तित किया गया है। पूर्व में अधिकतम राशि 3 लाख रुपये तक दी जाती थी, जो अब अधिकतम 6 लाख रुपये तक दी जा सकेगी।

विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचायें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान के शासी निकाय की बैठक को संबोधित करते हुए

भोपाल, विकास और जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जिला, गांव और वार्डों में जन-जन तक सहज ढंग से पहुंचायें, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो। प्रदेश के हर क्षेत्र में हुए चहुंमुखी विकास के संबंध में लोगों को बताया जाये। सीएम फैलो और मुख्यमंत्री जन-सेवा मित्र अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पंचायतवार जिम्मेदारी दी जाये। ये बातें श्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित समत्व भवन में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के शासी निकाय की 5वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पीएच.डी. की गुणवत्ता को सुधारने का जो कार्य संस्थान ने अपने हाथ में लिया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का जीएसडीपी 550 बिलियन डॉलर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर हुई कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। कोविड-19 के समय कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही इस संस्थान के अंतर्गत 3 नवीन सेंटर बनाए जाने का अनुमोदन भी किया गया, जिसमें मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं प्रभाव आकलन केंद्र, भोपाल इंटरनेशनल सेंटर फॉर आइडियाज और मध्यप्रदेश में जीवन विज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की रणनीति के लिए नोडल केंद्र स्थापित होंगे। संस्थान के वित्तीय लेखा विवरण एवं ऑडिट रिपोर्ट और संस्थान के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट का अनुमोदन भी किया गया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में शहडोल, गुना, झाबुआ, खंडवा, कटनी, छतरपुर, पिपरिया एवं इटारसी में एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006, 9424442725, 9424444174

प्रमुख आकर्षण

- कॅरियर की खबरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

आरती होला-मैनी

अंतरिक्ष मामलों की संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की निदेशक

संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय मूल की आरती होला-मैनी को बाहरी अंतरिक्ष मामलों के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे इटली की सिमोनेटा डि पिप्पो की जगह लेंगी। नियुक्ति की घोषणा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि मैनी के उपग्रह उद्योग में अनुभवों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मैनी को 25 साल से ज्यादा प्रबंधकीय और वकालत कार्यों सहित अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। वे सेटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सलाहकार बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं।

अमेरिका ने

उड़ने वाली कार को दिया सर्टिफिकेट

अमेरिकी सरकार ने दुनिया की पहली उड़ने वाली कार एलेफ 'मॉडल ए' को सर्टिफिकेट जारी किया है। पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार 'मॉडल ए' को सड़कों पर चलाने के साथ ही उड़ाकर ले जा सकते हैं। एलेफ एयरोनॉटिक्स ने इसे बनाया है। कंपनी ने कहा है कि संघीय उड्डयन प्रशासन से कानूनी मंजूरी प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कार है। मॉडल ए को 322 किलोमीटर तक सड़क पर चलाया जा सकता है। इसके बाद 177 किलोमीटर तक उड़ान भरी जा सकती है।

अमेरिका में

चींटी से भी छोटा बैग 51 लाख में हुआ नीलाम

अमेरिका में चींटी से भी छोटे आकार का डिजाइनर बैग ऑनलाइन नीलामी में 51 लाख रुपए (63 हजार डॉलर) में बेचा गया। पीले-हरे फ्लोरोसेंट रंग का बैग लुई विंतो के डिजाइन पर आधारित है। इसकी साइज 657x222x700 माइक्रोमीटर है। 3डी प्रिंटिंग के जरिए इस बैग को बनाया गया है।

जिजाई आर्म्स

रोबोटिक हाथ करेंगे एक साथ कई काम

जापान की रोबोटिक कंपनी एएक्सआईआईआई इंक ने नवीनतम एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रोबोटिक 'जिजाई आर्म्स' तैयार किए हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में मासाहिको इनामी ने रोबोटिक आर्म्स का प्रदर्शन किया। यह नई तकनीक गोदामों में काम करने से लेकर अस्पताल में सर्जरी करने में बेहद कारगार हो सकती है। दिव्यांगों के लिए भी यह आर्म्स किसी वरदान से कम नहीं होंगे।

द स्पिटिंग वॉल को

एबिज अवॉर्ड मिला

झारखंड के युवा फिल्मकार निरंजन कुजूर की विज्ञापन फिल्म 'द स्पिटिंग वॉल' को विज्ञापन जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार एबिज अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एडवरटाइजिंग क्लब के 54वें संस्करण का अवॉर्ड गोवा फेस्ट के दौरान दिया गया। विज्ञापन जगत में इसे साउथ एशिया का सबसे बड़ा अवॉर्ड माना जाता है। निरंजन की फिल्म को नो टोबैको डे के दिन रिलीज किया गया था। एड फिल्म को स्पेशलिस्ट कैटेगरी में कॉउज मार्केटिंग के लिए पुरस्कार दिया गया।

राजिंदर सिंह

द्वितीय विश्वयुद्ध के एकमात्र जीवित सिख सिपाही पुरस्कृत

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने द्वितीय विश्वयुद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक 101 वर्षीय राजिंदर सिंह धट्ट को 'पॉइंट्स ऑफ लाइट' अवॉर्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें यह सम्मान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में दिया। धट्ट को उनकी सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों को एक साथ लाने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया।

आईएनएस किरपान

आखिरी तैनाती के लिए वियतनाम रवाना

नौसेना जहाज आईएनएस किरपान अपनी अंतिम तैनाती पर विशाखापत्तनम् से वियतनाम के लिए रवाना हो गया है। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग जब पिछले दिनों भारत यात्रा पर आए थे तब भारत सरकार ने आईएनएस किरपान को बतौर उपहार में देने की घोषणा की थी। ये भारत द्वारा किसी भी मित्र देश को इन सर्विस कार्वेट उपहार देने का पहला मौका है। ये 32 साल सेवा में रह चुका है।

रूपर्ट स्टैडलर को

कार्बन उत्सर्जन घोटाले में मिली सजा

ऑडी के पूर्व सीईओ रूपर्ट स्टैडलर को जर्मनी की कोर्ट ने 2015 में हुए कार्बन उत्सर्जन घोटाले में 1 साल, 9 महीने की जेल की सजा सुनाई है। उन पर 98 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। सॉफ्टवेयर से ऑडी कारों के कार्बन उत्सर्जन कम दिखाने को लेकर सजा पाने वाले फॉक्सवैगन बोर्ड के वे पहले पूर्व सदस्य हैं।

अंतरिक्ष यान ने

मंगल ग्रह की रंग बिरंगी तस्वीरें जारी कीं

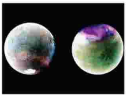

नासा के मावेन अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की हैरतअंगेज पराबैंगनी छवियां जारी की हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे मंगल के वायुमंडल, जलवायु और पानी की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। मावेन को नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। मावेन (मार्स एटमॉस्फियर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन-इन) के इमेजिंग अल्ट्रावॉयलेट - स्पेक्ट्रोग्राफ ने 2022 और 2023 में दृश्य लिए थे। तरंग दैर्ध्य को मानव आँखों के लिए दृश्यमान बनाने वाली रंग योजना में वायुमंडलीय ओजोन बैंगनी दिखाई दे रही है।

जस्टिस मुक्ता गुप्ता

एक दिन में 65 फैसले सुनाकर बनाया रिकॉर्ड

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने सेवानिवृत्ति वाले दिन ही 65 फैसले सुनाकर इतिहास रचा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अदालत में छुट्टियां होने से सभी बेंच नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने जो फैसले किए उनमें दुष्कर्म, हत्या सहित कई तरह के मामले शामिल थे। उनके फैसलों में मौत की सजा को 20 साल की जेल की सजा में बदलना शामिल था।

प्रिंसेस डायना का

ब्लैक शीप स्वेटर होगा नीलाम

ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना का मशहूर 'ब्लैक शीप' स्वेटर की नीलामी होगी। नीलामी न्यूयॉर्क में सोदबी के जरिए 31 अगस्त से 14 सितंबर के बीच होगी। प्रिंसेज ने इस स्वेटर को 1981 में पोलो मैच के दौरान पहना था। उसी वर्ष उनकी सगाई प्रिंस चार्ल्स से हुई थी।

मैक्सिको में

मेयर ने मादा मगरमच्छ से विवाह किया

मैक्सिको के छोटे से शहर सेन पेड्रो हुआमेलुला के मेयर विक्टर ह्यूगो सोसा ने 230 साल पुरानी अनूठी प्रथा को निभाते हुए एक मादा मगरमच्छ से विवाह रचा लिया। प्रथा तब शुरू हुई जब दो समूहों में शांति बनाने के लिए एक पुरुष ने मगरमच्छ से शादी की थी। मेयर विवाह के बाद मादा मगरमच्छ को हाथ में लेकर आए। मगरमच्छ का नाम एड्रियाना है।

मुंद्रा पोर्ट पहुंचा

सबसे बड़ा कंटेनर जहाज

दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) के प्रमुख बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है। इस जहाज का क्षेत्रफल चार फुटबॉल के मैदान के बराबर है। अदानी मुंद्रा पोर्ट पर 399 मीटर लंबे और 54 मीटर चौड़े जहाज को एंकर किया गया है। इस कंटेनर जहाज की वहन क्षमता 15,908 टीईयू (कंटेनर) है।

मैजिक मशरूम से

डिप्रेशन का होगा इलाज

नशीले ड्रग्स जैसे मशरूम (साइलोसाइबिन) को अब ऑस्ट्रेलिया में डिप्रेशन की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसे मंजूरी देने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है। खास तरह का ये मशरूम नशीला होता है और कई देशों में प्रतिबंधित भी है। लेकिन आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक दल ने इसके जरिए मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले उदासीन हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन्स में बदलने का निश्चय किया है ताकि मानव मस्तिष्क सकारात्मक सोचने लगे।

गुजरात में

बुलेट ट्रेन ट्रैक निर्माण की रफ्तार तेज

गुजरात के अहमदाबाद से महाराष्ट्र के मुंबई तक बन रहे बुलेट ट्रेन ट्रैक का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नवसारी में अंबिका नदी पर ट्रेन ट्रैक का पुल बन कर तैयार हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि नवसारी में जून महीने में बुलेट परियोजना का पूर्ण हुआ यह तीसरा पुल है। इससे पहले पूर्णा नदी पर आमडपोर-मोलधरा गांव के मींढोला नदी पर और आसना गांव के पास भी बुलेट ट्रैक के पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की घोषणा की गई थी। ज्ञात रहे कि गुजरात-महाराष्ट्र के बुलेट ट्रेन ट्रैक पर 24 ब्रिज बनने हैं।

रेडियो जॉकी मारियो बेकेस

रेडियो शो का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

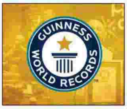

ऑस्ट्रेलिया के रेडियो जॉकी मारियो बेकेस ने 55 घंटे और 26 मिनट तक लाइव रेडियो शो कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। शो के दौरान बेकेस ने कई लोगों के इंटरव्यू लिए। कई लोगों से शो के बारे में मशविरा भी किया। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान चिकित्सा सहायता भी मौजूद रही।

नासा के

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से शनि का नया रूप दिखा

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से शनि ग्रह का नवीनतम रूप देखने को मिला है। इस टेलीस्कोप द्वारा इन्फ्रारेड में लिए गए चित्र में शनि अंधकारमय प्रतीत होता है। दरअसल सूर्य की किरणें वायुमंडल में मीथेन द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। लेकिन इसके बर्फीले वलय अद्भुत चमक रहे हैं। शनि के अनेक चंद्रमा में से तीन-एंसेलेड्स, टेथिस और डायोन इसमें बांयी ओर देखे जा सकते हैं।

स्मृति शेष

अमेरिका के अरबपति जेम्स ब्राउन का निधन

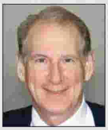

अमेरिकी व्यवसायी अरबपति निदेशक जेम्स ब्राउन का 70 वर्ष की उम्र में सड़क हादसे में निधन हो गया है। जेम्स अपने फैमिली बिजनेस 'हेनरी क्राउन एंड कंपनी' के सीईओ थे। वे जेपी मॉर्गन, जनरल डायनेमिक्स और सारा ली सहित कई कंपनियों के निदेशक भी थे। वे हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका दौरे पर सम्मान भोज में भी शामिल हुए थे।

नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडएनफ का निधन

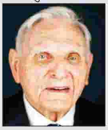

नोबेल पुरस्कार विजेता और लिथियम-आयन बैटरी के निर्माता वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉन बी गुडएनफ का टेक्सास के ऑस्टिन में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे टेक्सास विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं। उन्हें लिथियम-आयरन बैटरी, रिचार्जेबल पावर स्रोत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रसायन विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

आयुष विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु व्याख्याता अगद तंत्र (Lecturer agad tantra) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित
20/2023/05/07/2023	अंतिम तिथि 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक)	आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 13.09.2023

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता अगद तंत्र (Lecturer agad tantra) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 04.08.2023 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 03.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. व्याख्याता अगद तंत्र (Lecturer agad tantra) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीगकार किए जाएंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अत: अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट-IV का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:00 बजे तक) तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र रुपये 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अत: वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

E. पात्रता :-

1. **शैक्षणिक अर्हता -**

   अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

   1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।
   2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।
   3. संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

   उपाधि का नाम - BAMS एवं MD (अगद तंत्र)

2. **रोज़गार पंजीयन -**

   (क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

   (ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

3. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं।

F. परीक्षा नियम/निर्देश आदि :-

1. चयन/परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन/निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों/निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन/परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 5901/2019, 25181/2019 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा/चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

G. अन्य निर्देश :-

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं, संशोधन आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल/पत्राचार/दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण नहीं किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावेजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर

दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा। सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

3. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टत: परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना वर्जित रहती है अतएव औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** एवं रोजगार और निर्माण समाचार-पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

परिशिष्ट-I

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1.	व्याख्याता अगद तंत्र (Lecturer agad tantra)	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के पत्र क्रमांक 1-18/2019/1-59 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार व्याख्याता अगद तंत्र (Lecturer agad tantra) का पुनरीक्षित पद विवरण निम्नातनुसार रखा गया है -

मुख्य भाग (87%)	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रावधिक भाग (13%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

दो पद का विवरण

01	**पद का नाम**	:	**व्याख्याता अगद तंत्र** (Lecturer agad tantra)
	विभाग का नाम	:	**आयुष विभाग**
	श्रेणी	:	राजपत्रित **(द्वितीय श्रेणी)**
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	56100-177500
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	अध्यापन कार्य एवं चिकित्सालयीन कार्य।

तीन **शैक्षणिक अर्हता** : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

1- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष जैसा कि भारतीय चिकित्सा केन्दीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अर्हता।

3- संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् के साथ एक वैध पंजीकरण जहां वह नियोजित है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केन्द्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण-पत्र।

उपाधि का नाम : BAMS एवं MD (अगद तंत्र)

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

(4) जिस श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं है वे अनारक्षित पदों के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: (क) आयु सीमा : 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(ख) आयु सीमा में छूट : **मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अत: सभी अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी। आयु सीमा में अन्य कोई छूट देय नहीं होगी।**

सात **आयु संगणना तिथि** **01.01.2024**

आठ **अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष**

नौ **चयन प्रक्रिया :-** चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विज्ञापित पदों हेतु निम्नानुसार संख्या में तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

वर्ग/प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित, अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य, पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप:-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्नत श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(2) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के **परिशिष्ट IV** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेंगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट -II**

(ii) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश **परिशिष्ट -III**

(iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-IV**

सचिव

परिशिष्ट-II

आयु सीमा में छूट

एक **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

तथा

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक, दिनांक 18.09.2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रवर्गों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष

की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। अत: उक्त आदेश के अनुपालन में समस्त छूटों को मिलाकर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के स्थान पर 48 वर्ष होगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-

1. भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।
2. भूतपूर्व सैनिकों हेतु देय आयु-सीमा की छूट तथा आरक्षण केवल उन अभ्यर्थियों को देय होगा जो आवेदन करने की तिथि को अथवा उसके पूर्व सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अभ्यर्थी को प्रमाणीकरण हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप : (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट : (01) उपरोक्त परिशिष्ट – ''एक'' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

(तीन) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनु. जाति, अनु. जनजाति तथा अ.पि. वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 48 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 48 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट - III

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. किसी भी पद हेतु विज्ञापित विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख साक्षात्कार पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होगें। यदि अभिलेखों की जाँच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीदवारी स्वत: निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा।
2. आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा ।
3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जाँच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें।
5. म.प्र. के मूल निवासी ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों को ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि के वित्तीय वर्ष का ही मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं, उसके पूर्व एवं पश्चात के वित्तीय वर्ष के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगें, ऐसी स्थिति में आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी और इस संबंध में आवेदक द्वारा यदि ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र के अभाव में, अनारक्षित श्रेणी में मान्य किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते है तो उन्हें मान्य नहीं किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाएगा।
6. यदि आवेदक म.प्र. शासन में शासकीय सेवक होने की स्थिति में ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से साक्षात्कार दिवस तक की तिथि में निरन्तर सेवा में है तो ऐसी स्थिति में ही आवेदक को, शासकीय सेवक के आयु-सीमा का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
7. यदि आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की तिथि को शासकीय सेवा में है किन्तु साक्षात्कार दिवस को शासकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को शासकीय सेवक को देय आयु सीमा की छूट का लाभ देय नहीं होगा। अधिक आयु होने पर उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. यदि म.प्र. के मूल निवासी आवेदक भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र में स्वयं को भूतपूर्व सैनिक दर्शाया गया है किन्तु ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे है या होने वाले हो ऐसी स्थिति में आवेदक को भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ प्रदाय नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में आवेदक द्वारा श्रेणी परिवर्तन हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे।
9. **दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्यायलय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में आवेदक की दिव्यांगता श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य है।
10. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरुष/महिला, दिव्यांगजन की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
11. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें।
12. मध्यप्रदेश के मूलनिवासी आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। साक्षात्कार दिवस को किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी । इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा ।

अर्हता से संबंधित अभिलेखों की मान्यता तिथि के संदर्भ में आवश्यक निर्देश

क्रमांक	अभिलेख		निर्देश
1.	आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास स्नातकोत्तर उपाधि होना आवश्यक है।
2.	चिकित्सा परिषद् में स्थाई पंजीयन		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद् में स्थाई पंजीयन होना आवश्याक है। अन्य प्रदेशों के पंजीकृत अभ्यर्थियों को चयन होने पर मध्यप्रदेश के चिकित्सा परिषद् में पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा ।
3.	रोज़गार पंजीयन	(क)	माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
		(ख)	मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
		(ग)	मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
4.	मध्यप्रदेश के मूल निवास/ स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास/ स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
5.	जाति प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी के पास अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र में उनके क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणीकरण भी अनिवार्य है।
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र		मध्यप्रदेश के मूल निवास/स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद जारी अथवा पूर्व के वित्तीय वर्ष/वर्षों हेतु जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे।
7.	भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र		ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को अभ्यर्थी सेना की सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हो एवं उसके पास विहित प्राधिकारी द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।
8.	शासकीय सेवकों होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र/विभाग को सूचना अभिलेख		जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुति करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्यप वाछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुरत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

9.	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र	मध्यप्रदेश के मूल-निवासी दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\ www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्यर होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

टीप -

1. अभ्यर्थी की पात्रता श्रेणी के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् ऑनलाइन फार्म की छायाप्रति के साथ उपरोक्तानुसार उल्लेखित अभिलेखों की छायाप्रति आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) तक आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगी। डाक विभाग या अन्य किसी प्रायवेट एजेंसी के माध्यम से आयोग को प्रेषित किए गए अभिलेख आयोग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.09.2023 (शाम 6:00 बजे) के पश्चात् प्राप्त होने पर अभ्यिर्थियों की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी, उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाकर निरस्त किया जाएगा।
2. साक्षात्कार दिवस पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को भेजे गए शैक्षणिक दस्तावेजों की छायाप्रति का आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य किया जाएगा, अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यतर्थी की उपरोक्त पद की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन बिना विचार किए निरस्त किया जाएगा।

परिशिष्ट-IV

आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

(क) उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
1. www.mponline.gov.in 2. mppsc.mp.gov.in

(ख) अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(ग) अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखे।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है, किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

(घ) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

(ङ) आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व एक बार पुन: अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

(च) आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी तत्समय ही Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "Proceed for Payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यार्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

(छ) **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 06.08.2023 से 05.09.2023 (दोपहर 12:बजे) तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 250 निर्धारित है अत: आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ दिव्यांगता/शासकीय सेवक/जन्म/तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अत: त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। नाम/माता-पिता का नाम/लिंग/श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहर नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

(ज) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 250/-	**रुपये 500/-**

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 03.09.2023 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-
दूरभाष :- हेल्पलाइन – 0755-6720220 तथा 0755-6720221

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षो/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र : दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्यातण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं --------------------- आयोग के मध्यप्रदेश शासन के आयुष विभाग हेतु व्याख्याता अगद तंत्र (Lecturer agad tantra) क्रमांक **20/2023 दिनांक 05/07/2023** के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मै निम्नानुसार घोषणा करता हूँ

1. मै -------------------- पुत्र/पुत्री श्री---------------------- निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/------------------ जिला ------------, मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मै ---------------- जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

दिनांक :- -----------------

हस्ताक्षर----------------------
नाम--------------------------
रोल नंबर---------------------

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/ छंटनी किए गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को

(शेष अगले पृष्ठ पर)

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)

5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462011

NOTICE INVITING TENDER No. 234/MTN/2023 (BW)

No./10488/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 05.07.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. Table-1: Name of Work : Within 5 Year Maintenance (BW)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Betul	1	6767000.00
2	Seoni	1	580000.00

2. Table-2 : Name of Work : Post 5 Year (BW)

S.No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Narmadapuram	1	6587000.00
2	Umaria	1	6238000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **10.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110688/2023

R-48759/2023

CH Group of Institutions

Approved by AICTE & Affiliated to DAVV

Palia Road, Near Ujjain Toll Booth, INDORE

Invites Application for the vacant post, to fulfill vacancy at INDORE CAMPUS

Principal ▪ HOD
Professor ▪ Asst. Professor
For all the above faculties of Management.
Admission Counselor
Scholarship Incharge
Admin Officer ▪ Accountant
Designer-cum-Editor
Front Desk

Qualifications & Experience
As per AICTE / UGC / Code 28 norms

Send or mail your resume at-
chcollegejobs@gmail.com
Helpline No. **96445-11139**

VIGILANCE

R-48750/2023

एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India

(इण्डो-जर्मन टूल रूम, इन्दौर)

291-बी, 302-ए, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर (म.प्र.)-452015
ई-मेल: trg@igtr-indore.com, Ph.: 0731-4210700, 4210709, 4210743

igtr

एससी एसटी के उमीद्वारों के लिए ट्यूशन फीस निःशुल्क

एससी एसटी के उमीद्वारों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट

प्रवेश सूचना-2023-24

ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.व्ही.टी. स्वीकृत डिप्लोमा/आई.टी.आई पाठ्यक्रम

इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर

सभी कोर्सेस में SC/ST छात्रों को ट्यूशन फीस निःशुल्क एवं उम्र में 3 साल की छूट

इंडो जर्मन टूल रूम, इन्दौर में निम्न कोर्सेस संचालित किये जा रहे है, सभी कार्सेस AICTE अथवा NCVT से मान्यता प्राप्त है। इन सभी कोर्स की उद्योगों में बहुत मांग है तथा रोजगार की संभावना भी अत्यधिक है ।

	क्र.	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	न्यूनतम पात्रता	कोर्स की मान्यता	
GROUP "A"	1	एडवास डिप्लोमा इन टूल एण्ड हाई मेकिंग (ADTDM)	4 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण (सामान्य 60%) (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिंछडा वर्ग 50%) दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 19 वर्ष	AICTE	समूह 'A' के लिए स्कैन करें
	2	डिप्लोमा इन मेकाट्रॉनिक्स (DIM)	3 साल			
	3	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस (DICS)	3 साल			
GROUP "B"	4	डिप्लोमा इन वोकेशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी (D Voc)	3 साल	10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष		
	5	सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीनिष्ट ट्रेड	2 साल	गणित एवं विज्ञान विषय सहित 10वीं उत्तीर्ण दिनांक 01/08/2023 को आयु सीमा 15 से 23 वर्ष	NCVT (ITI)	समूह 'B' के लिए स्कैन करें
	6	सर्टिफिकेट कोर्स इन फिटर ट्रेड	2 साल			
	7	सर्टिफिकेट कोर्स इन वेल्डर ट्रेड	1 साल			

- क्रमांक 1 से क्रमांक 3 (ग्रुप-A) के लिए आवेदन फॉर्म 24/04/2023 से कॉलेज में आकर या क्यू आर कोड स्कैन करके जमा कर सकेगे।
- क्रमांक 1 से क्रमांक 3 (ग्रुप-A) के लिए प्रवेश परीक्षा दिनांक 25/06/2023 को होगी एवं प्रवेश 10वी के मेरिट एवं प्रवेश परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर 03/07/2023 से शुरु होगे।
- क्रमांक 4 से क्रमांक 7 (ग्रुप-B) के लिए प्रवेश कॉलेज लेवल काउंसिलिंग आधार पर 24/04/2023 से शुरु होगे।
- क्रमांक 5 से क्रमांक 7 के कोर्सस में प्रवेश के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.igtr-indore.com देखे एवं कॉलेज में आकर जानकारी प्राप्त करें। कोर्स के फॉर्म वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- प्रशासन एवं परिस्थिति के अनुसार किसी भी दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है।

deepak

सम्पर्क : सोमवार से शनिवार सुबह 9.30 से शाम 5:00 तक

291/बी-302/ए, सेक्टर-ई, इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इन्दौर- 452015

आप 9009000276, 7415816011 अथवा 9977703559 पर Whatsapp द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते है

R-48751/2023

स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से जाने हाल-चाल

भोपाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने वीडियो काल से पन्ना और सीहोर जिले के अस्पतालों में भर्ती मरीजों से संवाद किया। उन्होंने मरीजों से अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और उपचार के संबंध में चर्चा की।

स्वास्थ्य मंत्री ने पन्ना जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवेन्द्र नगर में मरीजों को मिल रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थ डीएमओ डॉ. अभिषेक जैन से चर्चा की। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपचार के लिये पहुंचे मरीजों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। दवाइयां नि:शुल्क मिल रही हैं। सीहोर जिले के जावर स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती मरीजों ने बताया कि उन्हें उपचार, नि:शुल्क दवाइयां और भोजन भी मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वेदाखेड़ी में उपचार कराने पहुँचे मरीजों से चर्चा की। मरीजों ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। सेंटर पर दवाई नि:शुल्क मिलती है।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा तथा आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व अभिप्रमाणन फार्म तथा अन्य वांछित अभिलेख प्रेषण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत अभिलेखों में अपने नियोक्ता को दी गई लिखित सूचना (नियोक्ता की प्राप्ति अभिस्वीकृति सहित) तथा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रस्तुत अभिलेखों में उक्त अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता या उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

(क) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

(ख) प्रतिरूपण किया हो; या

(ग) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

(घ) कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

(ड़) ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

(च) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

(छ) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

(ज) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

(झ) उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

(ञ) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है अनर्ह ठहरा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।**

8. **परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश (परीक्षा आयोजन की स्थिति में) :**

(क) परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जाएगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा।

(ख) परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट तथा **www.mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध कराए गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

(ग) साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हों जाएगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(क) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ख) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(ग) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(घ) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(ड़) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(च) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

जी-16266/48744/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 3775/18/2022/चयन इंदौर, दिनांक : 22.06.2023

दन्त शल्य चिकित्सक परीक्षा-2022

चयन- सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

पदनाम - दन्त शल्य चिकित्सक

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **01/2022 दिनांक 01.02.2022** एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद - **दन्त शल्य चिकित्सक** के कुल 193 पद (अनारक्षित-46, अ.जा.-36, अ.ज.जा.-40, अ.पि.वर्ग-52, ई.डब्ल्यू.एस.-19) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित (अनारक्षित-15, अ.जा.-12, अ.ज.जा.-13, अ.पि. वर्ग-17, ई.डब्ल्यू.एस.-06) (कुल विज्ञापित पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांग-03, श्रवणबाधित दिव्यांग-03, दृष्टिबाधित दिव्यांग-03 पद एवं बहु-दिव्यांग-03 पद आरक्षित) विज्ञापित किये गये हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिये **दन्त शल्य चिकित्सक परीक्षा-2022 दिनांक 03.07.2022** को आयोजित की गई। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा परिणाम दिनांक 10.10.2022, 13.10.2022 एवं 30.11.2022 को घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अंतर्गत पदनाम- **दन्त शल्य चिकित्सक** हेतु अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **30.05.2023 से 02.06.2023 तक** आयोजित किये गये हैं।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 1 जी/विज्ञप्त/सेल/-संविदा/2023/476 दिनांक 02.05.2023 में उल्लेखित रिक्त के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 03/01/2022 दिनांक 02.05.2023 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 01/2022 दिनांक 01.02.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है, जिसके अनुसार, परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किये जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित हैं। प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अतएव, लिखित + साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

दन्त शल्य चिकित्सक

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	46	36	40	27	19	168
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	15	12	13	9	6	
कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	3					
कुल पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	3					
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	3					
कुल पदों में से बहु-दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद	3					

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	100499	SHIVANI RAI	F	UNRF	OBC
2	100022	DHIRAJ BHAIYYAJI DUFARE	M	UNR	SC
3	102349	RITU SHARMA	F प्रावधिक	UNRF	UNR
4	102620	DIWAKAR MISHRA	M	UNR	UNR
5	103971	NIKITA SINGHAL	F	UNRF	EWS
6	104215	MUKESH DANGI	M	UNR	OBC
7	101102	KUMARI SAPNA	F	UNRF	OBC
8	102300	SAPNA MISHRA	F	UNRF	UNR
9	103866	PRIYANKA GUPTA	F	UNRF	UNR
10	101680	ANKITA GUPTA	F	UNRF	UNR
11	100444	AYUSHI GUPTA	F	UNRF	UNR
12	100004	NAZREGUL SHIREEN	F	UNRF	UNR
13	102712	DHEERAJ GOVINDANI	M	UNR	UNR
14	103876	ANSHU GAUTAM	F	UNRF	UNR
15	100621	RAVI PRATAP SINGH	M	UNR	OBC
16	104122	LOKENDRA SINGH	M	UNR	SC
17	103546	PRATEEK MISHRA	M	UNR	UNR
18	100252	NIDHI JAIN	F	UNRF	EWS
19	101070	BHANENDRA KUMAR SUMAN	M	UNR	SC
20	101204	PARIDHI SHUKLA	F	UNRF	UNR
21	101604	MEENU BHADAURIA	F	UNRF	UNR
22	101781	SHIREEN KHAN	F	UNRF	UNR
23	103120	SHAILENDRA CHANDELA	M	UNR	OBC
24	100064	SAURABH KUMAR DUBEY	M	UNR	UNR
25	102177	SHOBHIT TIWARI	M	UNR	UNR
26	102144	RAJNI KUSHWAH	F	UNRF	UNR
27	100787	RUPALI	F प्रावधिक	UNR	UNR
28	102943	MANISH SANGTANI	M	UNR	UNR
29	100352	VISHAL KUMAR	M	UNR	OBC
30	102153	PRIYANK SAXENA	M	UNR	UNR
31	100058	UZMA SHAFIYA	F	UNR	UNR
32	100321	ADITEE INGLE	F	UNR	OBC
33	101108	ANIL KUMAR BUNKAR	M	UNR	SC
34	100686	PRAMENDRA SINGH KUSHWAH	M	UNR	OBC
35	104127	RUCHI GUPTA	F	UNR	UNR
36	100579	ARUN VERMA	M	OBC	OBC
37	101918	PANCHRAJ KUMAR VERMA	M	OBC	OBC
38	101702	MANJULA BHATPAGAR	F	SCF	SC
39	103880	ASHISH KUMAR RAO	M	OBC	OBC
40	100790	KESHAV SINGH DANGI	M	OBC	OBC
41	103169	AMIT KUMAR SAHU	M	OBC	OBC
42	102716	SRISHTI GUPTA	F	EWSF	EWS
43	103572	KULDEEP SINGH THAKUR	M	OBC	OBC
44	101232	MANJU PARASHAR	F	EWSF	EWS
45	101458	BHARATI CHAUDHARY	F	SCF	SC
46	101004	RAJESH KUMAR SONDHIYA	M	OBC	OBC
47	102050	MOHD HASAN KHAN	M	OBC	OBC
48	100152	SHWETA NAIK	F	SCF	SC
49	103336	VANDNA KUSHWAHA	F	OBCF	OBC
50	103180	MADHURI UIEKAY	F	STF	ST
51	100046	ANURAG PAL	M	OBC	OBC
52	100060	ASHISH VERMA	M प्रावधिक	OBC	OBC
53	100281	BRAJESH AHIRWAR	M	SC	SC
54	102896	RAGHVENDRA KUMAR CHOUDHARY	M	OBC	OBC
55	103194	KINJELK PETHIA	F	OBCF	OBC
56	100090	BRAJBHUSHAN PATEL	M	OBC	OBC
57	100177	DHARMENDRA BIJAPARI	M	OBC	OBC
58	100010	SHIV NARAYAN MAINYA	M	SC	SC
59	104003	JYOTI SURYAVANSHI	F	SCF	SC
60	100446	PALLAVI SINGH	F	OBCF	OBC
61	101289	AMRITA YADAV	F	OBCF	OBC
62	102606	HARSH SHARMA	M	EWS	EWS
63	100037	YASHWANT SINGH SASTYA	M	ST	ST
64	100690	ASHUTOSH AGARWAL	M प्रावधिक	EWS	EWS
65	102410	PRIYANSH ARJARIYA	M	EWS	EWS
66	103167	RAVI SHANKAR SHUKLA	M	EWS	EWS
67	100219	PRINCE SONI	M प्रावधिक	OBC	OBC
68	102376	NIKHIL MORIWAL	M	OBC	OBC
69	100110	MEETA PATIDAR	F	OBCF	OBC
70	101185	RIMPAL JAIN	F	EWSF	EWS
71	102515	VIDHYA BHIKONDE	F	OBCF	OBC
72	100508	PREMLATA GOYAL	F	SCF	SC
73	103832	HIMANSHU GUPTA	M	EWS	EWS
74	101132	NEHA MESHRAM	F	SCF	SC
75	102030	SHALUBHA MACHGAHE	F	OBCF	OBC
76	103105	RUPESH CHAUDHARY	M प्रावधिक	SC	SC
77	104092	SURAJ SINGH	M	SC	SC
78	100714	AMIT VARMA	M	ST	ST
79	104141	TIGER YADAV	M	OBC	OBC
80	100358	SHYAM LAL SETHIYA	M	EWS	EWS
81	100135	SHWETA SINGH	F	OBCF	OBC
82	104359	SHIVANI JAAT	F	OBCF	OBC
83	100796	ASHWINI DAYMA	M	OBC	OBC
84	103948	JAY KUMAR PIPPAL	M	SC	SC
85	103482	TAPASYA SUNGARIYA	F	SCF	SC
86	103688	DEVENDRA SISODIYA	M	SC	SC
87	103061	AMEE SINGH BAGHEL	F	EWSF	EWS
88	103060	ANAMIKA JAIN	F	EWSF	EWS
89	102445	RINI SINGH	F	STF	ST
90	101294	SANSRITI SHARMA	F	EWSF	EWS
91	100554	RINA VERMA	F	SCF	SC
92	100926	ARCHANA SHUKLA	F	EWS	EWS
93	102412	HEMANT CHAURAHA	M	EWS	EWS
94	103168	SHEFALI	F	EWS	EWS
95	102918	PRAVEEN KUMAR DWIVEDI	M	EWS	EWS
96	103528	RITU PATEL	F	OBCHO अस्थिबाधित	OBC
97	104346	ARUSHI CHAURE	F प्रावधिक	SCF	SC

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

98	102250	DEVENDRA SINGH RATHORE	M	ST	ST
99	102740	YASHODEEP CHAUHAN	M	SC	SC
100	101299	AVANTI AHIRWAR	F	SCF	SC
101	101770	HARSH VIBHOR BHARTI	M	SC	SC
102	102267	VIBHASH RATONIA	M	SC	SC
103	100336	RAMDAS PRAJAPATI	M	SC	SC
104	101377	SONU SONI	F	SCF	SC
105	100291	APURVA FULWARE	F	SCF	SC
106	102898	MANISH KUMAR AHIRWAL	M	SC	SC
107	101776	SWAPNIL KAKORIYA	M	ST	ST
108	100606	ZENAB KHAN	F	UNRHO अस्थिबाधित	UNR
109	100700	SMITA PARATE	F	STF	ST
110	100225	SHUBHANJALI BANSOD	F	SC	SC
111	103231	SHAILENDRA DASS	M	ST	ST
112	102663	VIJAY LAXMI RATONIA	F	SC	SC
113	100611	NEELAM NAGLE	F प्रावधिक	SC	SC
114	103088	SHWETA MANGESH SHELKAR	F	SC	SC
115	101990	BHAGWAT RAO KAPSE	M	SC	SC
116	102976	MAYURI SINGH	F	SC	SC
117	102004	ANNU RAI	F	SC	SC
118	100967	KESHAV PRASAD	M	SC	SC
119	101983	NEHA GAHALOD	F	SC	SC
120	100077	BADRI CHOUDHARY	M	SC	SC
121	100859	NEELAM BOURASI	F	SC	SC
122	103718	VARDUTTA JAIN	M	UNRHB दृष्टिबाधित	UNR
123	100851	DAYARAM KANNOJE	M	ST	ST
124	102035	DEEPAK SINGH CHOUDHARY	M	SC	SC
125	100958	VISHAL BAMNIYA	M प्रावधिक	ST	ST
126	101310	SANGINI KARJARE	F	STF	ST
127	101801	ANJALI KOTHARI	F	SC	SC
128	101069	SONIYA HATILA	F	STF	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		श्रेणी
1	103400	SONALI JAIN	F		UNR
2	101156	SHUBHANGI PARMAR	F		UNR
3	103280	PALLAVI SHUKLA	F		UNR
4	100149	ARCHANA TRIPATHI	F		UNR
5	104174	ANUSHA DIXIT	F		UNR
6	102253	PRAGYA TRIVEDI	F		UNR
7	102929	ANSHUL CHOUBEY	M		UNR
8	102204	ALKA MISHRA	F		UNR
9	102156	KRITI SHRIVASTAVA	F		UNR
10	100938	KRITIKA KAR	F	प्रावधिक	UNR
11	100107	NEHA SHUKLA	F		UNR
12	102266	DIVYA NARSWANI	F		UNR
13	102720	DEEPAK PATEL	M		OBC
14	101829	DUVESH SINGH MARAN	M		OBC
15	103339	SOURABH KOSTA	M		OBC
16	100247	RUDRA KUMAR GUPTA	M		OBC
17	102124	KSHITIJ CHAURASIA	M		OBC
18	100987	PRIYANKA NAMDEV	F		OBC
19	100074	SHAIBA SHAIKH	F		OBC
20	103589	ASHISH DUBEY	M		EWS
21	101815	SHABEENA QURESHI	F		EWS
22	100848	SUMIT DUBEY	M		EWS
23	102389	KRISHNA MURARI PASTARIYA	M		EWS
24	102568	ANURAG CHAUDHARY	M		SC
25	101145	POORVA ATAL	F		EWS
26	101639	NEHA THAKUR	F		SC
27	101000	MINALI WADIA	F		SC
28	104218	BABEETA SOLIYA	F		SC
29	100542	SHIVANI GORA	F		SC

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं, जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हों। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती हैं तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन अंतर्गत शुद्धि पत्र क्रमांक 02/01/2022 दिनांक 24.05.2022 में वर्णित कंडिका चार में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी तथा मान. न्यायालय के अंतरिम निर्णय के परिपालन में आयु का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चयन परिणाम मान. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखे जाकर रोके गये हैं।
5. कुल विज्ञापित पदों में से शुद्धि पत्र दिनांक 02.05.2022 में उल्लेखित मुख्य भाग-87 प्रतिशत हेतु विज्ञापित कुल 168 पदों में से 28 पद (अ.ज.जा.-28) योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 12 पद (अ.बा.-03, श्र.बा.-03, दृ.बा.-03, बहु-दि.-03 पद) विज्ञापित हैं परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण (अ.बा.-01, श्र.बा.-03, दृ.बा.-02, बहु-दि.-03 पद) कुल 09 पद रिक्त रहे हैं। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों में से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अत: कुल 09 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गये हैं। इस प्रकार कुल 28+09 = 37 पद रिक्त रहे हैं।

जी-15875/48735/2023 सचिव

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION

Regional Office 1st Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park
Khandwa Road, Indore (M.P.) 452001 E-mail : indoreakvn@gmail.com, www.invest.mp.gov.in

No. MPIDC/R.O.-INDORE/TECH/2023/5119 Date : 04.07.2023

NOTICE INVITING TENDER

MPIDC Regional office Indore (formerly known as MPAKVN (I) Ltd., Indore) invites online Percentage Rate tender from eligible contractors registered in MPPWD and having relevant experience individually through **e-portal : https://www.mptenders.gov.in** as mentioned below-

S. No.	Name of work	PAC	Cost of tender form	EMD	Last date of submission
1.	Repairing and Maintenance of existing IT Park 1 & 2 building including replacement of Poly Carbonic Sheet & Fire Fighting accessories in Crystal I.T.Park (SEZ), Indore.	Rs. 95.07 Lakhs+LUT	Rs. 11800/- i/c GST	Rs. 95070/-	24.07.2023
2.	Operation & Comprehensive Maintenance of HVAC System installed at Crystal IT Park Indore (SEZ) for the period of 2 years (24 Months) round the clock i/c Sunday and Holiday.	Rs. 91.95 Lakhs+LUT	Rs. 11800/- i/c GST	Rs. 91950/-	24.07.2023
3.	Operation & Maintenance of Elevators Lifts 12 Nos. system installed at Crystal IT Park Indore (SEZ) for the period of 3 years (36 Months) round the clock i/c Sunday and Holiday.	Rs. 89.60 Lakhs+LUT	Rs. 11800/- i/c GST	Rs. 89600/-	24.07.2023
4.	Supply & Installation of CCTV Surveillance System at Crystal IT Park, Indore.	Rs. 10.72 Lakhs+LUT	Rs. 2360/- i/c GST	Rs. 21440/-	24.07.2023
5.	Supply, Installation Testing & Commissioning of Electric Pump and Motors at Service road Smart Industrial Park, Natrip, Pithampur, Distt. Dhar.	Rs. 8.20 Lakhs+ GST	Rs. 2360/- i/c GST	Rs. 16400/-	24.07.2023

Detailed NIT along with other details can be viewed on above mentioned portals.
Note : The NIT will be uploaded on website of e-procurement system– **http://www.mptenders.gov.in** within 3 days from publication in newspaper.

M.P. Madhyam/110672/2023 **EXECUTIVE ENGINEER**

R-48753/2023

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनारक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये लाभार्थ विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना (स्नातकोत्तर एवं पी-एच.डी. उपाधि के लिये)

मध्यप्रदेश के सामान्य अनारक्षित वर्ग के मूल निवासी तथा प्रतिभावान विद्यार्थी जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा स्नातक/स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा विदेशों में स्थित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित सूची के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु स्नातकोत्तर/पी-एच.डी. शोध उपाधि कार्यक्रम के लिये प्रवेश प्राप्त किया हो। जो कि राज्य सहायता छात्रवृत्ति हेतु शैक्षणिक सत्र 2023-24 (जुलाई 2023 से प्रारंभ होने वाले सत्र) के लिये रहेगा, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्राप्त आवेदनों के आधार पर पात्रतानुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये अधिकतम 07 एवं पी.एचडी. पाठ्यक्रम के लिये अधिकतम 03 आवेदकों का नियमानुसार चयन किया जायेगा। पात्रता हेतु विद्यार्थी या उसके परिवार की आय समस्त स्रोतों से आठ लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो।

विदेश में अध्ययन करने के लिये राज्य सहायता प्राप्त करने हेतु अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष अधिकतम 02 वर्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता को समस्त विवरण सहित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर नवीन निर्देश के अंतर्गत 'विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना की मार्गदर्शिका' शीर्षक पर अंकित है, वहां से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। अपात्र/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के लिये आवेदन जमा करने की पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि 26.06.2023 में वृद्धि कर **दिनांक 10.07.2023** निर्धारित की जाती है।

आवेदन फार्म कार्यालयीन समय में कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, तृतीय तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल में व्यक्तिश: जमा करना अथवा डाक द्वारा प्रेषित करना आवश्यक है।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल

जी-15921/48736/2023 छात्रवृत्ति शाखा, दूरभाष नं. : 0755-2554763

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.-462 011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

NOTICE INVITING TENDER No. 229/MTN/2023

No./10482/22/D-12/NIT-Maint./2023 Bhopal, Dated : 05.07.2023

Online Tenders for the following works are invited on the E-Procurement System portal **https://mptenders.gov.in** as detailed below.

- **SSR Applicable :-** SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority effective from 05.11.2019 and amendments upto issue date of NIT.

1. **Table No. 1 :- Name of Work :-** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 5 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Agar Malwa	1	8857234.00
	Ashoknagar	1	6869028.00
2	Barwani	1	2318854.00
3	Dhar	1	15458716.00
4	Gwalior	1	3217643.00
5	Jhabua	1	13530984.00
6	Khargone	1	22799822.00
7	Neemuch	1	786663.00
8	Raisen	2	14586962.00
9	Rajgarh	2	26968324.00
10	Ratlam	1	6501456.00
11	Rewa	2	10620275.00
12	Sehore	2	24688898.00
13	Seoni	1	5845812.00
14	Shahdol	2	18484044.00
15	Shajapur	1	13531748.00
16	Sheopur	1	9769284.00
17	Singrauli	1	9325330.00
18	Ujjain	4	61725861.00
19	Umaria	3	33938509.00
20	Vidisha	1	7002803.00

2. **Table No. 2 :- Name of Work :-** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 10 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Agar Malwa	1	15684453.00
	Alirajpur	1	11764782.00
2	Dewas	2	5938241.00
3	Gwalior	1	4965097.00
4	Jhabua	1	11015350.00
5	Khargone	1	5768868.00
6	Sagar	1	3945612.00
7	Ujjain	1	6631111.00

3. **Table No. 3 :- Name of Work :-** Repair/Maintenance of the Rural Roads for Five Years Constructed Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna. (Post 15 Year)

S. No.	Name of District	No. of Packages	Total PAC (in Rs.)
1	Agar Malwa	1	3492825.00
2	Dewas	1	14238822.00
3	Morena	1	24301651.00
4	Panna	1	16920910.00
5	Singrauli	1	4241937.00
6	Tikamgarh	1	39231460.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **07.07.2023 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)

M.P. Madhyam/110677/2023

R-48754/2023

NON-CET 2023 ADMISSION
INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES
CENTER OF EXCELLENCE
DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE

(NAAC Accredited A+ Grade University)

DIRECT ADMISSION – NO ENTRANCE EXAMINATION

APPLICATIONS ARE INVITED UNDER FOLLOWING PROGRAMMES FOR FEW VACANT SEATS

MBA (Executive) 2 Yrs (For Working Professional Only) Weekend Classes **Specializations Offered** Finance, Marketing, HR, IT, Operations, Disaster Management Healthcare and Hospital Administration	Candidates having Graduate or Postgraduate degree with minimum 45% marks from a recognized University and having executive/ managerial experience of at least **FIVE YEARS** after graduation **OR** At least **TWO YEARS** experience after Post Graduation in Industry/Government sector will be eligible for admission. Professional and Self-Employed Entrepreneur will also be eligible for admission provided he/she is a Graduate/Postgraduate with at least 45% marks and has been working in self-employment for at least TWO YEARS after graduation.
MBA (Hospital Administration) 2 Yrs	MBBS, BDS, B.Sc. (Nursing), Bachelor in Hospital Administration, B. Pharm. and other Medical Degree of a recognized University with duration equal to MBBS with minimum 50% marks. Internship is necessary wherever applicable.
MBA (Public Health) 2 Yrs	MBBS, BDS, B.Sc. (Nursing) and Post graduates in the same disciplines from a recognized university with minimum 50% marks. Internship is necessary wherever applicable.

No upper age limit and admission through merit based on the percentage of marks in Graduation/Post Graduation. Relaxation of 5% of marks in qualifying examination will be given to SC/ST/OBC and physically handicapped candidates. Apply through **davv.mponline.gov.in latest by 25th July 2023**. Counselling will be on 30th July 2023 at IMS. For more details visit University website **http://www.ims.dauniv.ac.in**

M.P. Madhyam/110713/2023 **DIRECTOR**

R-48763/2023

पहली बार सेक्टर ऑफिसर करेंगे मतदाता सूची का वाचन

भोपाल, मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन-2023 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने बताया कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान पहली बार एक नई पहल की जा रही है। मतदाता सूची में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए दो अगस्त से शुरू हो रहे द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर द्वारा इस बार मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ भी उपस्थित रहेंगे। यह कार्य तीन से 10 अगस्त तक चलेगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण में एक घर में यदि 6 से अधिक मतदाता निवासरत होने पर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में होने वाली गतिविधियां

दो अगस्त को प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों, जिला मुख्यालयों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। राजनीतिक दलों को प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। दिनांक दो से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन लिए जाएंगे। जो मतदाता एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे। दिनांक 31 अगस्त तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण 22 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। दिनांक चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

अनूपपुर में एयरपोर्ट एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए खाद्य मंत्री की पहल

अनूपपुर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर में एयरपोर्ट, चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने विगत दिन प्रधानमंत्री के शहडोल प्रवास के दौरान उन्हें पत्र सौंपे। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षा, परिवहन एवं चिकित्सा क्षेत्रीय विकास की पहचान होती है। अनूपपुर माँ नर्मदा की उद्गम स्थली है। धार्मिक आस्था के साथ पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण स्थान है। यहां विकास की अनंत संभावनाएं हैं। हमारा जनजातीय युवा सुविधा मिलने पर अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।

एयरपोर्ट से उद्योग एवं पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

खाद्य मंत्री ने कहा कि अनूपपुर में अमरकंटक जैसे प्राचीन, ऐतिहासिक, पवित्र तीर्थ स्थान हैं, जहां दर्शनार्थियों का आना लगा रहता है। मैंने उड़ान योजना में एयरपोर्ट बनाए जाने का अनुरोध किया है। इसके बन जाने से हवाई सेवाओं से देशी-विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो यहां कोयला खदानें, अमरकंटक थर्मल पॉवर प्लांट, मोजर बेयर जैसी कंपनियां स्थापित हैं। हवाई सुविधाओं से उद्योगपतियों एवं अन्य नई कंपनियां अपने उद्योग स्थापित कर सकेंगी।

कृषकों को मिलेगी नई तकनीक

श्री सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अनूपपुर जनजातीय बहुल क्षेत्र है। यहां का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। विगत 2 दशक में केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के विकास कार्यों से अनूपपुर भी अन्य विकसित जिलों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। कृषि की नई तकनीकी से युवाओं को परिचित कराने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है। यहां के युवा को कृषि की दिशा में एक नई राह मिलेगी। वहीं छात्रों को स्थानीय स्तर पर कृषि शिक्षा की सुविधा मिलेगी।

चिकित्सा के क्षेत्र में मिलेगी बड़ी राहत

श्री सिंह ने बताया कि अनूपपुर में राष्ट्रीय स्तर का चिकित्सा शिक्षा संस्थान की बहुत आवश्यकता है फिर चाहे वह चिकित्सा शिक्षा के रूप में हो अथवा चिकित्सा सुविधा के रूप में। प्रधानमंत्री को स्थानीय लोगों की इस बहुत पुरानी मांग से अवगत कराते हुए मैंने राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोले जाने का अनुरोध किया है। यहां चिकित्सा सुविधा इसलिए भी आवश्यक है कि सिकल सेल, एनीमिया जैसी गंभीर बीमार से पीड़ितों को स्थानीय स्तर पर ही उपचार मिल सकेगा। युवा हुनरमंद है तो कृषि ही नहीं वह चिकित्सा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर सकेगा। स्थानीय स्तर पर उसे चिकित्सा शिक्षा की सुविधा मिलने से यहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगा।

दूर-दराज क्षेत्र के रोगियों को आयुष क्योर एप से दिया जा रहा है यूनानी चिकित्सा का लाभ

भोपाल, मध्यप्रदेश में आयुष क्योर एप के माध्यम से दूर-दराज क्षेत्रों के मरीजों को ख्याति प्राप्त यूनानी विशेषज्ञों द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। ये यूनानी चिकित्सक हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से जुड़े हुए हैं।

एप के माध्यम से रोगियों को त्वचा रोग, महिला रोग, नाक, कान एवं गला रोग के अलावा सामान्य मेडिसिन का यूनानी विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। एप का फायदा उन बुजुर्गों को मिल रहा है, जो किसी कारणवश चिकित्सालय नहीं आ सकते हैं। विशेषज्ञों द्वारा दिया गया परामर्श डिजिटलप्रिस्क्रिप्शन द्वारा लाभार्थी के मोबाइल में सुरक्षित रहता है।

आयुष विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आयुष क्योर एप से जुड़े रोगियों को शासकीय औषधालयों से नि:शुल्क दवाई उपलब्ध कराई जाए। यूनानी चिकित्सा पद्धति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी प्राचीन चिकित्स पद्धति है, जो करीब 2500 वर्ष पुरानी है। यह विधा यूनान से रोम और मिस्र होते हुए अरब एवं ईरान पहुंची है। इसके बाद भारत में भी इस विधा में अनेक अनुसंधान हुए हैं।

लोक निर्माण मंत्री द्वारा 227 करोड़ की लागत के 47 कार्यों को मंजूरी

भोपाल, लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में 227 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से 47 कार्यों की मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग की स्थाई वित्त समिति की 248वीं बैठक 105 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से 9 पुल तथा 28 करोड़ 49 लाख रुपये लागत के चार कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृति स्थायी वित्त समिति की प्रदान की गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि 248वीं बैठक में नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत साधपुरा प्रधानमंत्री सड़क से चूरना, कालाआखार, श्रीढाना, खकरापुर मार्ग 12 कि.मी. के लिए 14 करोड़ एक लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई है, इसी क्रम में नरसिंहपुर जिले में एनएच 26 से बरमान खुर्द 3 कि.मी. की 7 करोड़ 49 लाख रुपये, मंडला जिले में डोंगरगांव सुडगांव, सालीवाड़ा मार्ग 5 कि.मी. की 4 करोड़ 82 लाख रुपये की तथा अशोक नगर जिले में लिधौरा से गता लंबाई 3 कि.मी., 2 करोड़ 16 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि 9 पुल जिनमें एक रेलवे अंडर ब्रिज भी शामिल है वह 105 करोड़ 15 लाख रुपये से बनाए जाएंगे, जिनकी स्वीकृति की प्रदान की गई है। इनमें सागर जिले में 11 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से बड़गांव से परंका मार्ग में सत्तीघाट सुनार नदी पर, बड़गान परंका मार्ग पर देहार (सत्तीघाट) उच्चस्तरीय पुल का निर्माण एवं 8 करोड़ 44 लाख रुपये से राहतगढ़ छिरखेड़ा दरकोजी मार्ग पर बैरनीघाट के पास बीना नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, खरगोन जिले में 18 करोड़ 99 लाख रुपये से कसरावद पीपलगोन मार्ग पर वेदा नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण, इंदौर जिले में 7 करोड़ 73 लाख रुपये से जामोदी सोलसिंधी अतरालिया क्षिप्रा नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, रतलाम जिले में 4 करोड़ 35 लाख रुपये से रतलाम में रेल्वे क्रासिंग क्र. 80 मोरवानी पर अण्डर ब्रिज का निर्माण, पन्ना जिले में 10 करोड़ एक लाख रुपये से पवई विकासखण्ड के ग्राम उमरहट मेन्हा में केन नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, दमोह जिले में 16 करोड़ 42 लाख रुपये से नरयावली मंगोला के सीतानगर में सुनार नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण, रीवा जिले में 16 करोड़ 60 लाख रुपये से सोहागी बड़गांव कोरगांव में बेलन नदी (डीह) पर पहुंच मार्ग सहित पुल एवं 11 करोड़ 59 लाख रुपये से रौसर चौराहे से कुठुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण, भोपाल जिले 8 करोड़ 85 लाख रुपये से भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर एवं रीवा संभाग में पुलों, फ्लॉय ओव्हर, आर.ओ.बी. के लिए कन्सल्टेंसी सेवाओं के लिए स्वीकृति दी है। रीवा, सतना एवं शहडोल जिले के सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। जिसमें रीवा जिले में 7 करोड़ 83 लाख रुपये से डेल्ही से देवगांव तिवरियान तक व्हाया सेमरी, कोलगढ़, मैथीरी का निर्माण, सतना जिले में 2 करोड़ 22 लाख रुपये से मझगवां से गुलवार कोठार, शहडोल जिले में 93 लाख रुपये से लालपुर से ग्राम पकरिया का निर्माण की स्वीकृति दी है। इसी क्रम में दतिया में 2 करोड़ 7 लाख रुपये से ग्राम मकरारी से पंचपरगढ़ तथा 99 लाख रुपये गवर्नमेंट कॉलोनी अनामय आश्रम से पंचशील नगर मार्ग निर्माण, ग्वालियर जिले में 12 करोड़ 64 लाख रुपये से लश्कर से तिघरा मार्ग के उन्नयन के लिये बुरहानपुर जिले में 6 करोड़ 52 लाख रुपये सिवल केरपानी आमुल्ला परेठा मार्ग निर्माण कार्य, धार जिले में 67 लाख रुपये डाक बंगला माण्डव उन्नयन व अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यालय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास, उज्जैन संभाग, उज्जैन

बाल भवन, विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर, कोठी रोड, उज्जैन
ई-मेल - jdwcdujj@mp.gov.in

क्रमांक : मबावि/2023/899 उज्जैन, दिनांक : 28.06.2023

विज्ञप्ति

मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/3440/1784/2019/50-2 (ए.एन) भोपाल दिनांक 21.08.2019 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उज्जैन संभाग के जिलों में संचालित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई (मानसेवी) एवं मानदेय आधारित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पात्र महिलाओं के जिलेवार निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

स. क्र.	जिला	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या	आंगनवाड़ी सहायिका पद संख्या	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या	जिला कार्यालय का संपर्क नंबर
01	उज्जैन	18	26	0	07342511658-9425973115
02	देवास	15	22	0	07272250117-7489718277
03	शाजापुर	05	07	0	07364226639-9425991300
04	आगरमालवा	1	4	0	07362259114/9425940942
05	रतलाम	15	28	02	07412270433-9479852967
06	मंदसौर	02	21	0	07422242543-9407115784
07	नीमच	07	06	0	07423231020-7987238309
	योग	63	114	2	

- आंगनवाड़ी केन्द्रवार/ग्रामवार/वार्डवार वास्तविक रिक्त पद की जानकारी एवं नियम, निर्देश, शर्तें आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
- संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन-पत्र मय आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित जिले की बाल विकास परियोजना कार्यालय में **दिनांक 25.07.2023** को सायंकाल 06.00 बजे तक कार्यालय दिवस में निर्धारित प्रारूप में जमा कराकर प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं।
- जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक नियम/निर्देश आदि की जानकारी विभागीय वेबसाइट/ऑनलाइन पोर्टल, जिला कार्यालय एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में उपलब्ध है।
- संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, उज्जैन के पते पर प्रेषित आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- रिक्त पदों एवं अन्य किसी विस्तृत जानकारी के संबंध में संबंधित जिला कार्यालय के दूरभाष पर जो विज्ञप्ति के अंतिम कॉलमों में अंकित है पर संपर्क किया जा सकता है।
- परियोजना अंतर्गत विज्ञप्ति रिक्त पदों की संख्या एवं स्थान की जानकारी संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित की जावेगी।

संभागीय संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास उज्जैन संभाग, उज्जैन

जी-15946/48737/2023

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

E-mail : cepwdcentral@mp.nic.in, Phone No. : 0761-2621541, Fax No. 0761-2678521

निविदा सूचना क्रमांक-11/सा/2023-24 जबलपुर, दिनांक : 30.06.2023

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के मार्फत निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य वेबसाइट **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र उक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने पर वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. लोटिया से झिरपानी मार्ग (ग्रामीण मार्ग) का निर्माण लं. 7.16 कि.मी. कार्य मय विद्युतीकरण पोल शिफ्टिंग एवं झूलते तारों की उंचाई बढ़ाने कार्य सहित निर्माण कार्य।

स. क्र.	टेण्डर आई.डी.	जिला/ संभाग	आमंत्रण	ठेके की अनु. राशि (लाख में)	अमानत राशि (लाख में)	निविदा प्रपत्र राशि	समयावधि
01	2023_PWDRB_ 283315_1	छिंदवाड़ा	चतुर्थ	878.86 लाख	8,78,900/-	20,000/-	16 माह वर्षाऋतु सहित

टीप :– निविदा का विस्तृत विवरण (टेण्डर डाक्यूमेंट) म.प्र. शासन की निविदा पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 21.07.2023 समय 5.30 PM तक** है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जावेगा। पृथक से समाचारपत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य अभियंता, लो.नि.वि.
जबलपुर परिक्षेत्र जबलपुर

जी-16046/48739/2023

MAA SHANTA DEVI COLLEGE OF MANAGEMENT

ITARSI ROAD SAKADEHI BETUL (M.P.)

FACULTY STAFF REQUIREMENT

S.No.	Post	No. of Posts
1.	Principal	1
2.	Professor	8
3.	Asst. Professor	8
4.	Computer Operator	2
5.	Peon	1

Affiliated To Barkatullah University Bhopal M.P. & All India Council for Technical Education, New Delhi.
Email : msdpcollegebtl@gmail.com, Mob. : 9425003213, 7000863213

R-48749/2023

कार्यालय अधीक्षक शास. दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ

उ.मा. विद्यालय, मुरार, ग्वालियर म.प्र.

Email ID - gbdhscgwl12@gmail.com, Office Tel. No. : 0751-2461878

क्रमांक/स्था./गेस्ट फे. (अतिथि)/2023/173 ग्वालियर, दिनांक : 30.06.2023

विज्ञप्ति

म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्वालियर में निम्नांकित रिक्त पदों पर आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताधारी व्यक्तियों को सेवाएं गेस्ट फैकल्टी (अतिथि) के रूप में शिक्षण सत्र वर्ष 2023-24 के अध्यापन कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	आयु	शैक्षणिक योग्यता
1.	व्याख्याता (श्रवण बाधितार्थ)	02	21 से 40 वर्ष	1. कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातकोत्तर। 2. संबंधित निःशक्तता में विशेष बी.एड. परीक्षा 3. हिन्दी एवं अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान 4. कम्प्यूटर का सामान्य ज्ञान
2	शिक्षक (श्रवण बाधितार्थ)	02	21 से 40 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. विकलांगता से संबंधित विशेष बी.एड. परीक्षा 3. कम्प्यूटर एप्लीकेशन में 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा 4. हिन्दी एवं अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान

नियम व शर्तें -

1. मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक /एफ क-44-13/2018/20-2 भोपाल दिनांक 03.10.18 के अनुसार अतिथि शिक्षकों के लिए मासिक मानदेय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। के अनुसार मानदेय भुगतान किया जावेगा।
2. चयन प्रक्रिया - चयन प्रक्रिया मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम के मापदण्डों के अंतर्गत मेरिट के आधार पर की जावेगी।
3. पद क्रमांक 1 एवं 2 के लिए संबंधित क्षेत्र में अध्यापन कार्य का 02 वर्ष के अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।
4. अतिथि विशेष व्याख्याता/शिक्षण पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितिकरण किये जाने का कोई भी दावा/वाद-विवाद स्वीकार्य एवं मान्य नहीं किया जावेगा।
5. ये पद मध्यप्रदेश शासन की सेवाओं के अंतर्गत नहीं है।
6. पद क्रमांक 1 एवं 2 के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली में जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
7. सभी नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई/तत्कालीन व्यवस्था है, शासन द्वारा पद पूर्ति किये जाने पर अतिथि व्याख्याता/शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
8. अगर उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने का इच्छुक है तो से पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है एवं आवेदन के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में अतिथि विशेष व्याख्याता/अतिथि शिक्षक लिखना अनिवार्य है।
9. अतिथि विशेष व्याख्याता/अतिथि शिक्षकों को निर्धारित मानदेय में उम्मीदवारों की नियुक्ति होने पर किसी भी समय आवश्यकता न होने पर कार्यमुक्त करने का अधिकार नियोक्ता को होगा।
10. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में समस्त दस्तावेज/प्रमाण-पत्रों सहित स्व-सत्यापित छायाप्रति के साथ दिनांक 17.07.2023 सायं 5.00 बजे तक कार्यालय अधीक्षक शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ उ.मा.विद्यालय, नवीन आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, हुरावली (हरिखेड़ा), मुरार, ग्वालियर म.प्र. को प्रस्तुत करना होगा। नियत तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधीक्षक
शास. दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ
उ.मा. विद्यालय, ग्वालियर म.प्र.

आवेदन पत्र

प्रति, **आवेदक का छायाचित्र**

कार्यालय अधीक्षक
शास. दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ
उच्च माध्य. विद्यालय मुरार, ग्वालियर म.प्र.

1. पदनाम (जिसके लिये आवेदन किया गया है)..
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम
   (क) हिन्दी में ....
   (ख) अंग्रेजी में ....
3. जन्मतिथि - अंकों में ....शब्दों में..........................
4. पिता/पति का नाम ....
5. स्थायी पता ....
   ....
6. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
7. शैक्षणिक योग्यता -

स. क्र.	परीक्षा का नाम	वर्ष	मण्डल/विश्वविद्यालय/ संस्था का नाम	प्रतिशत	अनुभव
1	2	3	4	5	6

8. अनुभव ....
9. अन्य कोई जानकारी देना चाहे ....

नोट :– हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी/स्नातक/अनुभव अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।

स्थान : ....
दिनांक : .... **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

पूरा नाम ....
फोन/मोबा.नं. ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार दी जानकारी सत्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पूरा नाम ....
फोन/मोबा.नं. ....

जी-16016/48738/2023

कार्यालय संचालक, राज्य स्तरीय रोज़गार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भदभदा रोड, भोपाल

विज्ञप्ति

"म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अभिनव योजना पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना-2022" अंतर्गत प्रदेश पिछड़े वर्ग युवाओं को आकर्षक वेतन पर रोज़गार हेतु जापान जाने का पुन: अवसर"

प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए हाल ही में लागू की गई योजना पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना-2022" अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के 200 युवाओं को भारत सरकार की Technical Intern Training Program (TITP) योजना के तहत 03 से 05 वर्षों के लिए आकर्षक वेतन पर इंटर्न के रूप में जापान भेजा जा रहा है। योजनान्तर्गत रोज़गार के क्षेत्र, निर्धारित शेष सीट्स एवं न्यूनतम आवश्यक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जॉब रोल	शेष स्वीकृत सीट्स	लिंग अनुसार पात्रता	न्यूनतम आवश्यक योग्यता
1.	केयर वर्कर	115	केवल महिला आवेदकों के लिए	1. म.प्र. का मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग जाति के सम्मिलित, वार्षिक आय रु. 08 लाख से कम 2. आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य 3. स्नातक उत्तीर्ण 4. आवेदक का कोई अपराधिक रिकार्ड न हो।
2.	स्काफोल्डिंग, इंटरियर बोर्ड पेस्टिंग, एप्लिकेशन ऑफ कन्सट्रक्शन इक्यूपमेंट, रोड कन्सट्रक्शन	25	केवल पुरुष आवेदकों के लिए	1. म.प्र. का मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग जाति में सम्मिलित, वार्षिक आय रु. 08 लाख से कम 2. आयु 18 से 30 वर्ष के मध्य 3. आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण 4. आवेदक का कोई अपराधिक रिकार्ड न हो।

उपरोक्त जॉब रोल्स के लिए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं योग्य इच्छुक युवाओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। कृपया पूर्ण रूप से भरे हुए एवं स्वप्रमाणित आवश्यक अभिलेख संलग्न करते हुए **दिनांक 31.07.2023 तक** अपने आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में डाक द्वारा एवं कार्यालय को ई-मेल ID dir.setc@mp.gov.in के माध्यम से अथवा संबंधित जिले के विभागीय सहायक संचालक कार्यालय के माध्यम से पहुंचाना सुनिश्चित करें। आवेदन का प्रारूप रोज़गार निर्माण समाचार पत्र के आगामी 10.07.2023 के अंक से अथवा विभाग की वेबसाइट **www.bcwalfare.mp.nic.in** से प्राप्त किया जा सकता है। योजना की विस्तृत जानकारी प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण से भी प्राप्त की जा सकती है। योजनान्तर्गत योग्य आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तत्संबंध में आवेदन को पृथक सूचित किया जाएगा। योजना की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संचालक
राज्य स्तरीय रोज. एवं प्रशि. केंद्र
(पिछड़ा वर्ग एवं अ.सं.क.), भोपाल

पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को जापान में रोज़गार उपलब्ध कराने की योजना-2022 अंतर्गत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग के इच्छुक युवाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु

आवेदन-पत्र प्रारूप

जॉब रोल - केयर वर्कर/कन्स्ट्रक्शन

(1) आवेदक का नाम :– .... पिता का नाम :– ....

(2) पता :– ....

....

(3) आवेदक का संपर्क दूरभाष क्रमांक एवं ई-मेल आई.डी. :– ....
(न्यूनतम दो दूरभाष क्रमांक आवश्यक) ....

(4) आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तदानुसार मूल निवास का पता :– ....
....
(म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी डिजीटल मूल निवासी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

(5) आवेदक की पिछड़ा वर्ग की जाती :– ....
(यदि हां तो म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

(6) आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय :– रुपये ....
(म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नवीनतम आय प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)

(7) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी/ग्रेड	प्राप्तांक/पूर्णांक
01	हाईस्कूल			
02	हायर सेकेन्ड्री			
03	ITI/Polytechnic (For Construction Sector)			
04	स्नातक (केयर वर्कर जॉब रोल हेतु) केवल महिला प्रतिभागी ही आवेदन हेतु पात्र होंगी			
05	अन्य			

(8) 01 अगस्त, 2023 को आवेदक की आयु :- ....वर्ष .... माह............ दिवस..................
(आयु सीमा 18 से 30 वर्ष)

(9) आवेदक का आधार क्रमांक :– ....

(10) आवेदक का कोई अपराधिक रिकार्ड है अथवा नहीं :– ....
(यदि नहीं तो तत्संबंध में 10 रुपये के स्टाम्प पर आवेदक का घोषणा पत्र संलग्न करें।)

(11) योजना अंतर्गत जापान में रोज़गार हेतु अनुमानतः रुपये 2,01,800/- का व्यय अनुमानित है, जिसमें से आवेदक द्वारा स्वयं एवं चाहे जाने पर ऋण के रूप में कुल राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख) व्यय की जाना है क्या आवेदक उक्त राशि व्यय करने हेतु तत्पर है :– .... (यदि हां तो तत्संबध में 10 रुपये के नोटरी कर स्टाम्प पर बना हुआ स्वयं का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करें।)
(बिन्दु क्रमांक 01 से 09 के संबंध में स्वयं प्रमाणित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है।)

मैं...पिता.. एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णता सत्य है एवं मैंने उक्त योजना के समस्त पहलुओं को भलीभांति समझ लिया है। मैं जापान में रोज़गार हेतु अपनी ओर से व्यय की जाने वाली राशि रुपये 1,00,000/- (स्वयं द्वारा रुपये 25,000/- + स्वयं अथवा ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गई राशि रुपये 75,000/-) निर्धारित समय पर विभाग द्वारा मांगे जाने पर देने हेतु पूर्णता सहमत हूं।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक का नाम ....

आवेदक का पता..

जी-16137/48741/2023

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 12/मु.अ.(सेतु परिक्षेत्र)/वर्ष 2023-24 **भोपाल, दिनांक : 30.06.2023**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

<table>
<tr><td colspan="6">क्र. एवं कार्य का नाम :– 1. दमोह जिले के हिनौता-मुराछ-पाली मार्ग में सुनार नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कलवर्ट सहित कार्य।</td></tr>
<tr><th>टेण्डर क्रमांक</th><th>जिला</th><th>कार्य का प्रकार</th><th>आमंत्रण क्र.</th><th>कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)</th><th>ई.एम.डी. राशि एवं टेण्डर फीस तथा निविदा से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज जमा करने हेतु।</th></tr>
<tr><td>2023_PWDRB_ 288234_1</td><td>दमोह</td><td>पुल कार्य</td><td>प्रथम</td><td>1326.75</td><td>केवल ऑनलाइन</td></tr>
<tr><td colspan="6">क्र. एवं कार्य का नाम :– 2. सागर जिले के रहली विधानसभा अंतर्गत (पैकेज 02 पुल कार्य) 1. सागर जिले के छुल्ला-बेरखेड़ी कि.मी. 3/10 में कोपरा नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित। 2. सागर जिले के बलेह-सलैया मार्ग के कि.मी. 4/6 में मदैनी नाला पर पहुंच मार्ग सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित।</td></tr>
<tr><td>2023_PWDRB_ 288235_1</td><td>सागर</td><td>पुल कार्य</td><td>प्रथम</td><td>1025.27</td><td>केवल ऑनलाइन</td></tr>
<tr><td colspan="6">क्र. एवं कार्य का नाम :– 3. दमोह जिले के जरौंध सिमरी मार्ग के व्यारमा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य एवं एच.पी. कलवर्ट सहित कार्य।</td></tr>
<tr><td>2023_PWDRB_ 288236_1</td><td>दमोह</td><td>पुल कार्य</td><td>प्रथम</td><td>687.27</td><td>केवल ऑनलाइन</td></tr>
<tr><td colspan="6">क्र. एवं कार्य का नाम :– 4. सागर जिले के ग्राम ढकराना से लोटना-लोटनी मार्ग के कि.मी. 1/2 में धसान नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित।</td></tr>
<tr><td>2023_PWDRB_ 288240_1</td><td>सागर</td><td>पुल कार्य</td><td>प्रथम</td><td>616.50</td><td>केवल ऑनलाइन</td></tr>
<tr><td colspan="6">क्र. एवं कार्य का नाम :– 5. सागर जिले के मण्डला-लोहागर मार्ग के कि.मी. 6/10 में कैथ नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण सुरक्षा कार्य सहित।</td></tr>
<tr><td>2023_PWDRB_ 288241_1</td><td>सागर</td><td>पुल कार्य</td><td>प्रथम</td><td>534.14</td><td>केवल ऑनलाइन</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>कुल योग</td><td>4189.93</td><td></td></tr>
</table>

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 21.07.2023 (17.30) बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता
लो.नि.वि. सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल

जी-16106/48740/2023

कौशल विकास संचालनालय म.प्र. (मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड)

(विज्ञप्ति)

क्रमांक-कौविसं/स्टेट सेल/2023/11074 **भोपाल, दिनांक : 04.07.2023**

शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश 2023 हेतु समय चक्र

गतिविधियां	दिनांक/समय
द्वितीय चयन सूची जारी करना, अपग्रेड के साथ	09.07.2023
द्वितीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश	10.07.2023 से 12.07.2023
म.प्र. राज्य एवं राज्य के बाहर के आवेदकों द्वारा प्रवेश पोर्टल पर आवेदन हेतु नवीन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार। इच्छित संस्थाओं तथा व्यवसायों की प्राथमिकता क्रम का चयन करना/इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता के क्रम में च्वाईस फिलिंग लॉक करने के पूर्व तक त्रुटि सुधार।	14.07.2023 से 21.07.2023
कॉमन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जावेगी	22.07.2023
कॉमन रैंक में यदि प्राप्तांकों में त्रुटि हो तो सुधार हेतु आवेदकों द्वारा ईमेल **mpiticounselling@gmail.com** के माध्यम से सायं 05 बजे तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं संबंधित अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।	23.07.2023
तृतीय चयन सूची जारी करना।	26.07.2023
तृतीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश।	27.07.2023 से 29.07.2023
चतुर्थ चयन सूची जारी करना, अपग्रेड के साथ	02.08.2023
चतुर्थ चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश।	03.08.2023 से 05.08.2023

प्रवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें।
फोन नं. - 9171257462, 9174457462, 9111749057, ईमेल - mpiticounselling@gmail.com

प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश	आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ
1. प्रवेश सत्र 2023 में शासकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) में प्रवेश हेतु आवेदकों को **www.dsd.mp.gov.in** पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। 2. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक निकटतम कम्प्यूटर सेंटर, स्वयं के कम्प्यूटर अथवा मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर निकटतम शासकीय संस्थाओं की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। 3. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने हेतु स्वयं की फोटो एवं हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, हाईस्कूल अंक, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणपत्र आदि। 4. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने पर आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आवेदक की शैक्षणिक योग्यता एवं च्वाईस फिलिंग पोर्टल पर दर्ज की जावेगी। 5. आवेदक रजिस्ट्रेशन/च्वाईस फिलिंग शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/यूपीआई से Google pay, Phone pay, Paytm के माध्यम से भी कर सकते हैं।	1. अगस्त 2023 से नये सत्र में शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रवेश की प्रक्रिया **www.dsd.mp.gov.in** के माध्यम से प्रारंभ। 2. समस्त आवेदकों को रजिस्ट्रेशन तथा च्वाइस फिलिंग करना अनिवार्य। 3. दसवीं पश्चात आईटीआई में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी म.प्र. राज्य ओपन स्कूल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा 12वीं समकक्षता योजना में 5564 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा लाभ लिया गया है। 4. ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (DST) के अंतर्गत प्रशिक्षण के साथ-साथ उद्योगों में भी कार्य करने का अनुभव। 5. World Skill Competition में इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिता में सम्मिलित होने का अवसर। 6. प्रतिष्ठित उद्योगों में रोज़गार के अवसर। 7. विशेष आईटीआई (एकलव्य एवं अंबेडकर आईटीआई) में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के आवेदकों हेतु निःशुल्क आवास, भोपाल सुविधा एवं रु. 1000 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोज़गार निर्माण बोर्ड

जी-16149/48742/2023

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धि पत्र क्रमांक 02/11/2022, दिनांक 28.06.2023

राज्य सेवा परीक्षा 2022

राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का रिक्ति विवरण

01 आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु ''राज्य सेवा परीक्षा-2022'' का विज्ञापन क्रमांक 11/2022, दिनांक 30.12.2022 आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.mp.gov.in** पर जारी किया गया है।

02 उपरोक्त विज्ञापन में अंतिम रूप से निम्नानुसार पद विज्ञापित किए गए थे :–

स. क्र.	विभाग एवं पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				पदों की कुल संख्या
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HN	MD	
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																				
	सामान्य प्रशासन विभाग																				
1.	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	8	4	5	7	3	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	27
	गृह (पुलिस) विभाग																				
2.	उप पुलिस अधीक्षक	6	4	4	6	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
3.	जिला सेनानी/जूनियर स्टॉफ ऑफीसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	जेल विभाग																				
4.	अधीक्षक, जिला जेल	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	वित्त विभाग																				
5.	मध्यप्रदेश वित्त सेवा	1	1	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	स्कूल शिक्षा विभाग																				
6.	सहायक संचालक	20	11	14	20	7	7	4	5	7	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	72
	सहकारिता विभाग																				
7.	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	श्रम विभाग																				
8.	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहर कर्मकार अधिनियम)	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	महिला एवं बाल विकास विभाग																				
9.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक	3	6	4	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	जनसम्पर्क विभाग																				
10.	सहायक संचालक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	वाणिज्यिक कर विभाग																				
11.	जिला पंजीयक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12.	जिला आबकारी अधिकारी	1	3	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	7
	नगरीय विकास एवं आवास विभाग																				
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ''ख''	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग																				
14.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद)	3	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13
15.	विकास खण्ड अधिकारी	4	2	3	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14
	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक																				
	राजस्व विभाग																				
16.	नायब तहसीलदार	3	1	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	वाणिज्यिक कर विभाग																				
17.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	35	13	15	17	8	12	4	5	6	3	3	1	2	2	1	0	2	3	0	88
18.	उप पंजीयक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19.	आबकारी उप निरीक्षक	0	17	23	12	1	0	6	8	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	53
	सहकारिता विभाग																				
20.	सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी	9	5	6	8	3	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		31
	वित्त विभाग																				
21.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	23	6	9	11	5	8	2	3	4	2	2	1	1	1	0	1	0	1	1	54
	परिहवन विभाग																				
22.	परिवहन उप निरीक्षक	9	5	8	8	3	3	2	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33
	कुल पद	**126**	**82**	**103**	**110**	**36**	**42**	**27**	**32**	**37**	**11**	**6**	**2**	**3**	**3**	**1**	**4**	**7**	**7**	**2**	**457**

03 सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधित रूप में घोषित किया जाना है, इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार मुख्य भाग 87% (14% अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है -

(शेष अगले षृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

स. क्र.	पदनाम	विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या				पदों की कुल संख्या
			UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HN	MD	
1.	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	सामान्य प्रशासन विभाग	8	4	5	4	3	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	24
2.	उप पुलिस अधीक्षक	गृह (पुलिस) विभाग	6	4	4	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
3.	जिला सेनानी/जूनियर स्टॉफ ऑफीसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक	गृह (पुलिस) विभाग	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
4.	अधीक्षक, जिला जेल	जेल विभाग	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.	मध्यप्रदेश वित्त सेवा	वित्त विभाग	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
6.	सहायक संचालक	स्कूल शिक्षा विभाग	20	11	14	10	7	7	4	5	4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	62
7.	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	सहकारिता विभाग	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8.	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम)	श्रम विभाग	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक	महिला एवं बाल विकास विभाग	3	6	4	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
10.	सहायक संचालक	जनसम्पर्क विभाग	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	जिला पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12.	जिला आबकारी अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग	1	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ''ख''	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	3	2	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	11
15.	विकासखण्ड अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण	4	2	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
16.	नायब तहसीलदार	राजस्व विभाग	3	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
17.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	35	13	15	9	8	12	4	5	3	3	3	1	2	2	1	0	2	3	0	80
18.	उप पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
19.	आबकारी उप निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	0	17	23	6	1	0	6	8	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	47
20.	सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी	सहकारिता विभाग	9	5	6	4	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
21.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	वित्त विभाग	23	6	9	6	5	8	2	3	2	2	2	1	1	1	0	1	0	1	1	49
22.	परिवहन उप निरीक्षक	परिवहन विभाग	9	5	8	4	3	3	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29
	कुल पद		**126**	**82**	**103**	**58**	**36**	**42**	**27**	**32**	**23**	**11**	**6**	**2**	**3**	**3**	**1**	**4**	**7**	**7**	**2**	**405**

04 संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार प्रावधिक भाग 13% (अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण निम्नानुसार है -

स. क्र.	पदनाम	विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					पदों की कुल संख्या
			UR (काल्पनिक)	SC	ST	OBC	EWS	UR (काल्पनिक)	SC	ST	OBC	EWS	
1.	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	सामान्य प्रशासन विभाग	3	-	-	3	-	1	-	-	1	-	3
2.	उप पुलिस अधीक्षक	गृह (पुलिस) विभाग	3	-	-	3	-	1	-	-	1	-	3
3.	जिला सेनानी/जूनियर स्टॉफ ऑफीसर/क्वार्टर मास्टर/मुख्य अनुदेशक	गृह (पुलिस) विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
4.	अधीक्षक, जिला जेल	जेल विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
5.	मध्यप्रदेश वित्त सेवा	वित्त विभाग	2	-	-	2	-	0	-	-	0	-	2
6.	सहायक संचालक	स्कूल शिक्षा विभाग	10	-	-	10	-	3	-	-	3	-	10
7.	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	सहकारिता विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
8.	श्रम पदाधिकारी (मुख्य निरीक्षक, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम)	श्रम विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
9.	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/सहायक संचालक	महिला एवं बाल विकास विभाग	1	-	-	1	-	0	-	-	0	-	1
10.	सहायक संचालक	जनसम्पर्क विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
11.	जिला पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
12.	जिला आबकारी अधिकारी	वाणिज्यिक कर विभाग	1	-	-	1	-	0	-	-	0	-	1
13.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ''ख''	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0
14.	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2	-	-	2	-	0	-	-	0	-	2
15.	विकासखण्ड अधिकारी	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2	-	-	2	-	0	-	-	0	-	2
16.	नायब तहसीलदार	राजस्व विभाग	1	-	-	1	-	0	-	-	0	-	1
17.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	8	-	-	8	-	3	-	-	3	-	8
18.	उप पंजीयक	वाणिज्यिक कर विभाग	0	-	-		-	0	-	-		-	0
19.	आबकारी उप निरीक्षक	वाणिज्यिक कर विभाग	6	-	-	6	-	2	-	-	2	-	6
20.	सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी	सहकारिता विभाग	4	-	-	4	-	1	-	-	1	-	4
21.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	वित्त विभाग	5	-	-	5	-	2	-	-	2	-	5
22.	परिवहन उप निरीक्षक	परिवहन विभाग	4	-	-	4	-	1	-	-	1	-	4
	कुल पद		**52**	**-**	**-**	**52**	**-**	**14**	**-**	**-**	**14**	**-**	**52**

टीप - उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।

05 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-16245/48765/2023 **उप सचिव**

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 4764/24/2022/चयन इंदौर, दिनांक : 05.07.2023

पदनाम - शिशु रोग विशेषज्ञ

चयन - सूची (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **09/2022 दिनांक 17.08.2022** एवं समय-समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद - **शिशु रोग विशेषज्ञ** के कुल - 128 पद (अनारक्षित-35, अ.जा.-20, अ.ज.जा.-25, अ.पि.वर्ग-35, ई.डब्ल्यू.एस.-13) इनमें से महिलाओं हेतु आरक्षित पद - अनारक्षित-12, अ.जा.-07, अ.ज.जा.-08, अ.पि.वर्ग-12, ई.डब्ल्यू.एस.-04 (कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद - अस्थिबाधित - 02, दृष्टिबाधित - 02, श्रवणबाधित - 02 एवं बहु-दिव्यांग-02 पद आरक्षित) विज्ञापित किए गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 21.06.2023 से 23.06.2023 तक** आयोजित किए गए।

2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें के पत्र क्रमांक/1/जी/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2022/1655 दिनांक 18.11.2022 में उल्लेखित रिक्ति विवरण के अनुसार आयोग द्वारा विज्ञापित शुद्धि पत्र क्रमांक 01/09/2022 दिनांक 24.11.2022 के माध्यम से उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 09/2022 दिनांक 17.08.2022 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन विज्ञापित किया गया है जिसके अनुसार, चयन परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने के प्रावधान के तहत मुख्य भाग हेतु पुनरीक्षित रिक्तियों का विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है। प्रावधिक भाग-13 प्रतिशत में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या निरंक होने के परिणामस्वरूप पृथक से प्रावधिक भाग का चयन परिणाम जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. अतएव साक्षात्कार में प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :-

शिशु रोग विशेषज्ञ
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग - 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	35	20	25	18	13	111
इनमें से महिलाओं के लिए आरक्षित पद	12	7	8	6	4	

कुल पदों में से अस्थिबाधित दिव्यांगजनों के लिए अनारक्षित पद	2
कुल पदों में से दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	2
कुल पदों में से श्रवणबाधित दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	2
कुल पदों में से बहु-दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद	2

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		Seat	श्रेणी
1.	8742	SANJAY KUMAR ROY	M	प्रावधिक	UNR	UNR
2.	8701	BRAJMOHAN GUPTA	M		UNR	UNR
3.	8834	SWETA JAIN	F		UNRF	UNR
4.	8734	SHOAIB BEG MIRZA	M		UNR	UNR
5.	8777	NANDAN SHARMA	M		UNR	UNR
6.	8840	AANCHAL SACHDEVA	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
7.	8720	SOURABH SONI	M	प्रावधिक	UNR	UNR
8.	8804	RAHUL SODHIYA	M		UNR	UNR
9.	8882	BHAVESH MOTWANI	M	प्रावधिक	UNR	UNR
10.	8829	VAISHALI NIGAM	F		UNRF	UNR
11.	8744	AMAN SHRIVASTAVA	M		UNR	UNR
12.	8715	KAVITA TIWARI	F		UNRF	UNR
13.	8822	ASHUTOSH SHARMA	M		UNR	UNR
14.	8775	MANISH KUMAR SHARMA	M		UNR	UNR
15.	8818	SUPRIYA	F	प्रावधिक	UNR	UNR
16.	8880	SHRISH SHRIVASTAVA	M		UNR	UNR
17.	8782	ABHINAV JAIN	M		UNR	UNR
18.	8755	ANKIT DASHORE	M	प्रावधिक	UNR	UNR
19.	8750	DHARMENDRA SINGH	M		UNR	UNR
20.	8716	NIDA MIRZA	F		UNRF	UNR
21.	8890	KANCHAN CHOUBEY	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
22.	8707	ANKITA DUBEY	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
23.	8762	SWATI JOSHI	F		UNRF	UNR
24.	8893	SHIKHA GUPTA	F		UNRF	UNR
25.	8864	SUMAN CHOUDHARY	F		UNRF	UNR
26.	8873	PREETI SHARMA	F	प्रावधिक	UNRF	UNR
27.	8879	RATNESH KUMAR NAMDEO	M		OBC	OBC
28.	8870	DEEPAK KUMAR PATEL	M		OBC	OBC
29.	8808	PUSHPENDRA SINGH	M	प्रावधिक	OBC	OBC
30.	8761	ANKIT CHOURASIA	M		OBC	OBC
31.	8747	CHITRA SONI	F		UNRF	UNR
32.	8865	PRAVEEN CHANDRAVANSHI	M		OBC	OBC
33.	8805	ROHIT KUMAR SAHU	M	प्रावधिक	OBC	OBC
34.	8745	VINAY KUMAR SINGH	M		OBC	OBC
35.	8851	RAHUL SOLANKI	M		ST	ST
36.	8740	BRIJESH YADAV	M	प्रावधिक	OBC	OBC
37.	8866	POOJA MUVEL	F	प्रावधिक	STF	ST
38.	8824	DEVI SINGH GURJAR	M		OBC	OBC
39.	8749	RAMESHWAR SINGH MEENA	M		OBC	OBC
40.	8809	HARSHVARDHAN KUDAPE	M	प्रावधिक	ST	ST
41.	8856	CHANDAN KACHHWAHA	M		SC	SC
42.	8798	VIPIN THAKUR	M	प्रावधिक	OBC	OBC
43.	8772	MAHEEP KUMAR RAJAK	M		OBC	OBC
44.	8844	SUBHASH BARDE	M		ST	ST
45.	8836	JAYENDRA ARYA	M	प्रावधिक	SC	SC
46.	8842	PAWAN PATIDAR	M		OBC	OBC
47.	8889	HITESH SOLANKI	M		ST	ST
48.	8746	DEVRAJ SINGH	M		SC	SC
49.	8748	PEEYUSH SURYAWANSHI	M		OBC	OBC
50.	8730	MAHENDRA AHIRWAR	M		SC	SC
51.	8869	ANAND NAGDEVE	M		SC	SC
52.	8752	PUJA RAWAT	F	प्रावधिक	STF	ST
53.	8795	DEVENDRA SINGH KAUSHIK	M		SC	SC
54.	8848	HARSHLATA DHURWEY	F	प्रावधिक	STF	ST
55.	8833	DENILA UIKEY	F	प्रावधिक	STF	ST
56.	8801	PRADEEP KUMAR SOMESH	M		SC	SC
57.	8821	VIJAY SINGH UCHADIYA	M		SC	SC
58.	8735	DEEPSHIKHA NAMDEO	F		OBCF	OBC
59.	8773	BHAGYASHREE THAKUR	F	प्रावधिक	OBCF	OBC
60.	8888	KULDEEP SINGH THAKUR	M	प्रावधिक	ST	ST
61.	8780	DILIP KUMAR MANDAL	M		SC	SC
62.	8705	VIKAS TALWARE	M		SC	SC
63.	8838	SANJAY KUMARSINGH GOND	M		ST	ST
64.	8729	AKHILESH SORADA	M		SC	SC
65.	8816	KAMLESH KUMAR THAKUR	M		ST	ST
66.	8702	SUMITRA VARSHI	F	प्रावधिक	SCF	SC
67.	8847	SONU SHARMA	M	अस्तिबाधित	UNRHO	UNR
68.	8789	MUKESH KUMAR PRAJAPATI	M		SC	SC
69.	8719	GAURAV SHARMA	M		EWS	EWS
70.	8766	INDRAJEET BHOYER	M	प्रावधिक	ST	ST
71.	8884	SAINKI AGRAWAL	M		EWS	EWS
72.	8737	KISHAN SINGH RAJAWAT	M	प्रावधिक	EWS	EWS
73.	8736	JYOTIKA KUMRE	F		STF	ST
74.	8733	BUDDHA PRIYA SAMRAT	M		SC	SC
75.	8832	HEMANT GARG	M		SC	SC
76.	8711	TULSI DEVI DHURVEY	F		STF	ST
77.	8718	HIMANSHU VERMA	M		SC	SC
78.	8739	RASHMI PRAJAPATI	F		SCF	SC
79.	8820	RUCHI SONKAR	F	प्रावधिक	SCF	SC
80.	8891	VANDNA DEVI LODHI	F		OBCF	OBC
81.	8886	SEEMA CHAUDHARY	F	प्रावधिक	SCF	SC
82.	8813	PRIYANKA BORDIYA	F	प्रावधिक	OBCF	OBC
83.	8853	PRIYANKA CHHARI	F		SCF	SC

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग		श्रेणी
1.	8871	ABDUL FIROJ KHAN	M		UNR
2.	8850	ABHINAY JAIN	M	प्रावधिक	UNR
3.	8793	ANUPAM ATRE	M		UNR
4.	8835	ASHUTOSH KUMAR SHARMA	M		UNR
5.	8717	GOURAV PATEL	M		UNR
6.	8757	SOUBHAGYA KHARE	M		UNR
7.	8738	AMIT KUMAR SINGH	M		OBC
8.	8731	BEENA SAHU	F		UNR
9.	8732	BRIJESH KUMAR PATEL	M		OBC
10.	8764	BHUPENDRA GOUR	M	प्रावधिक	OBC
11.	8721	CHETAN PANWAR	M		OBC
12.	8713	PRATISHTHA GAHOI	F		UNR
13.	8819	ANKIT KUMAR PAWAR	M	प्रावधिक	OBC
14.	8814	DOLLY GUPTA	F	प्रावधिक	UNR
15.	8784	PUSHPENDRA KUMAR CHOUKIKER	M	प्रावधिक	SC
16.	8779	NEERAJ SARSIA	M	प्रावधिक	SC
17.	8861	PRIYKANT TOMAR	M		SC
18.	8771	UNIQUE SAGAR	M		SC
19.	8756	ARJUN SINGH PARIHAR	M	प्रावधिक	SC

टीप :-

1. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए हैं जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।
2. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-2/97/3/एक भोपाल, दिनांक 10.02.1997 की कंडिका 05 के परिपालन में घोषित की गई चयन सूची में पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में महिलाओं हेतु आरक्षित पदों को संबंधित प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान प्रावधानित है।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
4. कुल विज्ञापित पदों में से शुद्धिपत्र दिनांक 24.11.2022 में उल्लेखित मुख्य भाग - 87 प्रतिशत हेतु विज्ञापित कुल 111 पदों में से 21 पद (ई.डब्ल्यू.एस. - 10, अ.ज.जा. - 11 पद) योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त रहे हैं। कुल विज्ञापित पदों में से दिव्यांग श्रेणी हेतु 08 पद (अ.बा.-02, श्र.बा.-02, दृ.बा.-02, बहु-दिव्यांग-02 पद) विज्ञापित है परन्तु दिव्यांग श्रेणी हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण (अ.बा.-01, श्र.बा.-02, दृ.बा.-02, बहु-दिव्यांग-02 पद) कुल 07 पद रिक्त रहे है। शासन निर्देश के परिपालन में दिव्यांगजनों के पद रिक्त रहने की स्थिति में अनारक्षित वर्ग के विज्ञापित पदों में से उतने ही पद रिक्त रखे जाने का प्रावधान है। अत: कुल 07 पद दिव्यांगजनों के रिक्त पद के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से रिक्त रखे गए है। इस प्रकार कुल 21+07=28 पद रिक्त रहे हैं।
5. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 एवं डब्ल्यू.पी. 27744/2022 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी प्रकार ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन की अभ्यर्थिता विज्ञापन में वर्णित परिशिष्ट-एक की कंडिका चार में उल्लेखित याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

जी-16241/48764/2023 **सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर**

स्मार्ट सिटी मिशन के आठ वर्ष

स्मार्ट भारत के निर्माण की ओर एक कदम हैं स्मार्ट सिटी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार 'स्मार्ट सिटी' सिर्फ शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का अभियान नहीं है, बल्कि यह देश को एक नई पहचान देने का मिशन है। यह यंग इंडिया, न्यू इंडिया का प्रतीक है। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है, जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायें और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे। साथ ही एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का मौका दें। इन शहरों में विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा। स्मार्ट सिटी की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, जिसे सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। अलग-अलग लोगों के लिये इसका आशय अलग-अलग है। स्मार्ट सिटी की संकल्पना, शहर-दर-शहर और देश-दर-देश भिन्न होती है। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। स्मार्ट शहर का मतलब स्मार्ट डिजाइन, सुविधाएं, स्मार्ट परिवहन के साथ-साथ तकनीक के माध्यम से जटिलताओं का समाधान करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस भूमिका को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी मिशन पर केंद्र सरकार बड़ा निवेश कर रही है। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन सर्वोत्तम अभ्यास, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ देश आगे बढ़ रहा है। यह मिशन शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर रहा है।

कब शुरू हुआ था मिशन?

भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) की शुरुआत की थी। 100 स्मार्ट शहरों का चयन जनवरी, 2016 से जून, 2018 तक चयन के 4 दौर के माध्यम से पूरा किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों ने अपने चयन के बाद से काफी प्रगति दिखाई है।

स्मार्ट सिटी क्या है?

स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का मौका दें। विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों और देश के हिस्सों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।

क्यों जरूरी है स्मार्ट सिटी मिशन?

Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।

स्मार्ट सिटीज की विशेषताएं

- पर्याप्त पानी की आपूर्ति
- निश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
- सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- सुशासन, विशेष रूप से ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- टिकाऊ पर्यावरण
- नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा
- स्वास्थ्य और शिक्षा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि जब तक हम चीजों को टुकड़ों-टुकड़ों में लेते हैं तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हमें एक व्यापक, आपस में जुड़े और दृष्टि-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण के साथ स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कर 100 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इस परिवर्तनकारी मिशन का उद्देश्य शहरों में मूलभूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, अपने नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्वच्छ एवं टिकाऊ माहौल देना, शहरी आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति पर काम करना है।

आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 22 शहरों जिसमें आगरा, वाराणसी, रांची, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, पुणे, पिम्परी चिंचवाड़, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, काकीनाड, कोयंबटूर, इरोड, भुवनेश्वर, सलेम, विशाखापत्तनम, वेल्लोर, मदुरई, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर हैं, इन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के सभी मापदंडों को पूरा किया है। बाकी 78 चुने हुए शहरों को ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली और टिकाऊ बनाने के लिए मिशन के तहत परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि वो शहर भी जल्द मानक पूरे करेंगे। काम की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2018 में जहां सालाना खर्च 1000 करोड़ रुपये था, वो बढ़कर अब 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। अभी तक 80 से अधिक स्मार्ट शहरों में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का संचालन शुरू हो गया है। इन केंद्रों (आईसीसीसी) ने कोविड प्रबंधन के लिए वॉर रूम के तौर पर काम कर महामारी से लड़ने में काफी मदद की है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- 100 शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है।
- 1,80,056 करोड़ रुपये से अधिक की कुल 7,847 परियोजनाओं को मंजूरी।
- 1,06,369 करोड़ रुपये की 5732 परियोजनाएं हुईं पूरी।
- 73,087 करोड़ रुपये की 2115 परियोजनाओं पर चल रहा है काम।
- 80 से अधिक एकीकृत कमान और नियंत्रण कक्ष चालू इस पर करीब 9,000 करोड़ रुपये खर्च।
- 721 स्मार्ट सड़क प्रोजेक्ट का काम करीब-करीब पूरा।

- रश्मि रंजन

(लेखिका, समसामयिक विषयों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान-खेल

1. ओलिंपिक खेलों में महिला फुटबॉल में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं?
(अ) अमेरिका (ब) जर्मनी
(स) नीदरलैंड द) नॉर्वे

2. इस वर्ष किस खिलाड़ी ने पुरुष स्क्वॉश चैम्पियनशिप का खिताब जीता है?
(अ) करीम अब्देल
(ब) अली फराग
(स) मुस्तफा असल
(द) सौरव घोषाल

3. कैरोलिना मारिन किस देश की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं?
(अ) डेनमार्क
(ब) आयरलैंड
(स) स्पेन
(द) इंडोनेशिया

4. फॉर्मूला-वन रेसर लुईस हैमिल्टन किस देश के खिलाड़ी हैं?
(अ) इटली
(ब) स्पेन
(स) जमैका
(द) ब्रिटेन

5. भारत ने इस वर्ष पुरुष वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कितने पदक जीते हैं?
(अ) एक (ब) दो
(स) तीन (द) चार

6. इस वर्ष किस देश में विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप आयोजित की जायेगी?
(अ) भारत (ब) डेनमार्क
(स) जापान (द) इंडोनेशिया

7. सलीम दुर्रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं?
(अ) क्रिकेट
(ब) हॉकी
(स) कबड्डी
(द) इनमें से कोई नहीं

8. वर्ष 2024 में यूएफा यूरो कप किस देश में खेला जाएगा?
(अ) इंग्लैंड
(ब) जर्मनी
(स) क्रोएशिया
(द) बेल्जियम

9. रंजन सिंह सोढ़ी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं?
(अ) निशानेबाजी
(ब) कुश्ती
(स) हॉकी
(द) कबड्डी

10. इनमें से कौन-सा खेल शीतकालीन (विंटर) ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं है?
(अ) आइस हॉकी
(ब) स्कीइंग
(स) स्पीड स्केटिंग
(द) रोइंग

11. अमेरिका की महिला क्रिस एवर्ट किस खेल की खिलाड़ी रह चुकी हैं?
(अ) मुक्केबाजी
(ब) जिम्नास्टिक
(स) टेनिस
(द) तैराकी

12. भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलिंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था?
(अ) वर्ष 1920
(ब) वर्ष 1928
(स) वर्ष 1932
(द) वर्ष 1948

13. वर्ष 2022 में इनमें से किस रेसर ने मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है?
(अ) मार्क मारक्वेज
(ब) एलेक्स रिंस
(स) फ्रांसेस्को बगनाया
(द) फेबियो क्वार्टारो

14. किस देश के नाम वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है?
(अ) श्रीलंका
(ब) ऑस्ट्रेलिया
(स) द. अफ्रीका
(द) इंग्लैंड

15. आईसीसी वन-डे वर्ल्डकप-2019 में किन देशों के बीच फाइनल मैच खेला गया था?
(अ) इंग्लैंड-न्यूजीलैंड
(ब) भारत-न्यूजीलैंड
(स) ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड
(द) पाकिस्तान-वेस्टइंडीज

16. इनमें से किस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा उम्र में एटीपी मास्टर्स खिताब जीतने का रिकॉर्ड है?
(अ) डेनियल नेस्टर
(ब) वेस्ली कूलहोफ
(स) आंद्रे अगासी
(द) रोहन बोपन्ना

17. फुटबॉलर लियोनल मेसी ने हाल ही में किस क्लब के साथ करार किया है?
(अ) अल इतिहाद
(ब) बेनफिका
(स) इंटर मियामी
(द) बेनफील्ड

18. इस वर्ष एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है?
(अ) पंकज आडवाणी
(ब) आमिर सरखोश
(स) चाउ होन मान
(द) इनमें से कोई नहीं

19. वर्ष 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है?
(अ) ली शिफेंग
(ब) शी युकी
(स) ली जी जिया
(द) इनमें से कोई नहीं

20. लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्डकप 2022 में कितने गोल किए थे?
(अ) तीन (ब) चार
(स) पांच (द) सात

21. पी.टी. ऊषा किस खेल में भारत की दिग्गज खिलाड़ी रह चुकी हैं?
(अ) एथेलेटिक्स (ब) हॉकी
(स) कुश्ती (द) मुक्केबाजी

22. वर्ष 2022 में किस देश ने एफआईएच महिला वर्ल्डकप जीता है?
(अ) ऑस्ट्रेलिया (ब) नीदरलैंड
(स) अर्जेंटीना (द) जर्मनी

23. बार्सिलोना के लिए खेलने वाले फेरन टॉरेस किस देश के फुटबॉलर हैं?
(अ) फ्रांस (ब) जर्मनी
(स) स्पेन (द) स्वीडन

24. इस वर्ष किस महिला खिलाड़ी ने मियामी ओपन टूर्नामेंट जीता है?
(अ) इलिना रिबाकिना
(ब) पेत्रा क्वितोवा
(स) ईगा स्वितेक
(द) कैरोलिना गार्सिया

25. किस भारतीय क्रिकेटर ने जनवरी 2023 महीने में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है?
(अ) हार्दिक पंड्या
(ब) शुभमन गिल
(स) श्रेयस अय्यर
(द) विराट कोहली

उत्तर

1. (अ), 2. (ब), 3. (स), 4. (द), 5. (स), 6. (ब), 7. (अ), 8. (ब), 9. (अ), 10. (द), 11. (स), 12. (ब), 13. (स), 14. (द), 15. (अ), 16. (द), 17. (स), 18. (ब), 19. (अ), 20. (द), 21. (अ), 22. (ब), 23. (स), 24. (ब), 25. (ब)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

सिविल सर्विस परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थी का साक्षात्कार

मेरी सफलता की कुंजी "कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, आत्म नियंत्रण और निरंतर अभ्यास" है - अमितेश राठी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अमितेश राठी ने 373वीं रैंक हासिल की है। मध्यप्रदेश के अमितेश राठी ने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अमितेश अपनी सफलता का श्रेय अपनी माता श्रीमती डॉ. माया राठी को देते हैं। "करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान।।" दोहे पर अमल करने वाले अमितेश ने 'रोज़गार और निर्माण' के लिए अपना कीमती समय निकालते हुए कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। प्रस्तुत हैं उनके साक्षात्कार के प्रमुख अंश ......

- **आपने इस क्षेत्र में जाने का मन कब और क्यों बनाया?**

❍ वैसे तो इस क्षेत्र में जाने का मन मेरा पहले से था, लेकिन सन 2020 में इस परीक्षा को लेकर दृढ़ निश्चय और पक्के इरादे से इसमें जाने का मन बनाया। मैं छात्र जीवन से ही सिविल सर्विस में जाना चाहता था, लेकिन आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए मैंने पहले नौकरी करने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब मैंने देखा कि निजी क्षेत्र की नौकरी से मुझे पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं इस नौकरी के लिए बना ही नहीं हूं, यहीं से मैंने पूरी तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मन बनाया था।

- **इस परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रेरणा और सफल होने के लिए सहयोग कहां से मिला?**

❍ मेरी माताजी शुरुआत से ही यह चाहती थीं कि मैं सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाऊं, इसलिए मुझे इस क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मेरी मां से मिली। मेरी माताजी, श्रीमती माया राठी स्वयं अर्थशास्त्र विषय की प्राध्यापिका हैं, वे भोपाल के शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय भोपाल में पदस्थ हैं। मेरी माताजी सदैव इस परीक्षा को लेकर मेरे साथ थीं, निरंतर उनका सहयोग मिला और सच कहूं तो मेरी इस सफलता में माताजी का योगदान सर्वाधिक रहा है।

- **आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है?**

❍ मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे परिवार में सभी लोग शिक्षा को काफी महत्व देते हैं, मेरे पिताजी स्नातकोत्तर परीक्षा पास हैं और माताजी पीएचडी की उपाधि प्राप्त हैं। मेरा छोटा भाई सिविल इंजीनियर है, वह वर्तमान में निजी क्षेत्र में कार्यरत है।

- **आपकी पढ़ाई से संबंधित अपने और परिवार के जीवन संघर्ष की ऐसी बातें जो आप साझा करना चाहते हों?**

❍ जीवन के साथ-साथ पढ़ाई के दौर में कई बार ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाती है जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति से बात करने के बाद मैं इतना ज्यादा हतोत्साहित (डिमोटिवेट) हुआ कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करना ही छोड़ दिया था तब मैंने यह मान लिया था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सभी नकारात्मकता को दूर कर देते हैं मेरे घर में ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने मुझे संबल दिया और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का उत्साहवर्धन प्रदान किया।

- **किसी भी परीक्षा में उम्र क्या मायने रखती है?**

❍ वैसे तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन कम उम्र में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने से आपको सफलता और उसके बाद पदोन्नत होने में काफी मदद मिलती है। जल्द सिलेक्ट होने का मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा समय तक सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। रिटायरमेंट तक आपको देश सेवा और जन सेवा करने का अधिक से अधिक अवसर मिलेगा।

- **इस परीक्षा के लिये आपने कौनसा विषय चुना था?**

❍ मैंने इस परीक्षा के लिए मुख्य विषय के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानवशास्त्र विषय का चयन किया था। यह एक ऐसा विज्ञान है, जिसके अंतर्गत मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है।

- **आपने इस परीक्षा में सफल होने के लिए किन-किन विषयों की किन-किन पुस्तकों का अध्ययन किया?**

❍ इतिहास विषय के लिए स्पेक्ट्रम प्रकाशन की पुस्तक, भूगोल के लिए एनसीईआरटी (NCERT), आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी (NCERT), अर्थशास्त्र (इकोनॉमिक्स) के लिए विवेक सिंह की पुस्तक और राजनीति विज्ञान (पॉलिटिकल साइंस) के लिए लक्ष्मीकांत की पुस्तक का अध्ययन किया। इसके साथ ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं का भी निरंतर अध्ययन किया।

- **आपकी इस सफलता का राज क्या है?**

❍ कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और आत्म नियंत्रण। इसके साथ ही बार-बार विषय का रिवीजन करना और सुबह जल्दी उठना मेरी इस सफलता की कुंजी है।

- **पढ़ाई के लिए आपने दिनचर्या में क्या-क्या बदलाव किए?**

❍ सबसे पहले मैंने नौकरी छोड़ी, उसके बाद सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई के साथ-साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देता हूं। इसलिए सुबह का समय पढ़ाई के साथ-साथ एक्सरसाइज में भी देता था। मैं रात को ज्यादा नहीं जागा करता था।

- **परीक्षा की रणनीति कैसे तैयार की?**

❍ मैंने अपने कॉलेज के सीनियर से चर्चा करके तथा टॉपर्स के नोट्स देखकर परीक्षा की रणनीति तैयार की थी।

- **नोट्स कहां से और कैसे तैयार किये?**

❍ कोचिंग और इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल पर ही फोकस किया और वहां से नोट्स बनाए।

- **कम समय में अधिक से अधिक विषयों की तैयारी कैसे की?**

❍ उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं और जिन टॉपिक से कम सवाल आते हैं उन पर कम फोकस किया।

- **किन विषयों को ज्यादा समय और महत्व दिया?**

❍ सभी विषयों को बराबर समय और महत्व दिया।

- **अक्सर भूल जाने वाले तथ्यों और भ्रम पैदा करने वाली जानकारियों को कैसे याद रखा?**

❍ बार-बार रिवीजन करके तथा उन तथ्यों को लिखकर दीवार पर टांग कर मैंने उन्हें याद करने की कोशिश की।

- **परीक्षा की तैयारी करने में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? आप टेक्नोलॉजी पर कितने निर्भर थे?**

❍ परीक्षा की तैयारी में टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेक्नोलॉजी से तुरंत अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। मैं अपनी तैयारी के दौरान टेक्नोलॉजी का काफी प्रयोग करता था।

- **परीक्षा देते समय टाइम मैनेजमेंट (समय प्रबंधन) कैसे किया?**

❍ आंसर राइटिंग की ज्यादा प्रैक्टिस की ताकि परीक्षा के दौरान समय सीमा के अंदर उत्तर लिख सकूं।

- **इससे पहले आप इस परीक्षा में शामिल हुये थे, तब आपकी कौन सी रैंक थी? उसमें कमी कहां रह गई? सुधार करने के लिये आपने दोबारा किस पहलू पर जोर दिया?**

❍ इससे पहले मैंने 2021 में परीक्षा दी थी तब मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया था। मार्कशीट आने पर मुझे अपनी कमियों और खामियों का पता चला। आगे चलकर मैंने उन कमियों को दूर किया और 2022 की परीक्षा में सफलता अर्जित की।

- **प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी खुद को थोड़ा असहज महसूस करते हैं, यह कहां तक उचित है?**

❍ हिंदी माध्यम कभी भी इस परीक्षा में बाधा नहीं है, इस वर्ष तो हिंदी माध्यम के परीक्षार्थियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

- **ग्रामीण परिवेश वाले परीक्षार्थियों को इन परीक्षाओं में कैसी मुश्किलें आती हैं? इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है?**

❍ टेक्नोलॉजी के इस दौर में आजकल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोई अंतर नहीं बचा है। कोई भी परीक्षार्थी ऑनलाइन कक्षाएं लेकर तैयारी कर सकता है। मुश्किलें तो हर जगह हैं, लेकिन जो उसका समाधान निकालकर आगे बढ़ता है वही सफलता को प्राप्त करता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं निखरकर सामने आ रही हैं।

- **आपने साक्षात्कार की तैयारी कैसे की और इसकी क्या योजना बनाई?**

❍ करंट अफेयर्स पर ध्यान दिया, मेरी जो अभिरुचियां (हॉबियां) हैं, उनको लेकर प्रश्न तैयार करके अभ्यास किया। विषय से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास किया। साक्षात्कार की तैयारी के लिए मैंने कई सारे मॉक इंटरव्यू भी दिए थे।

- **जिस पद पर आपका चयन होगा, उस पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपके क्या विचार हैं?**

❍ जिस पद पर मेरा चयन होगा और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उसका मैं निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा।

- **जो परीक्षार्थी असफल हो जाते हैं उनको असफलता से उबरने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि आप कभी असफल हुए हैं तो उससे कैसे बाहर निकले?**

❍ "करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान..." यह नीति हर परीक्षार्थी को अपनानी चाहिए। मैं भी इसी रणनीति को अपनाते हुए असफलता से बाहर निकला हूं।

- **क्या आप "रोज़गार और निर्माण" पढ़ते हैं? यदि हां तो इसमें आपको कौन-कौन से कॉलम पसंद हैं?**

❍ मैं "रोज़गार और निर्माण" का नियमित पाठक हूं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले जो पेज हैं उनको और समसामयिकी सेक्शन को अधिक पसंद करता हूं। मेरी माताजी "रोज़गार और निर्माण" की नियमित लेखिका हैं।

- **इस साक्षात्कार के माध्यम से आप "रोज़गार और निर्माण" के युवा पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?**

❍ इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि वह अपने लक्ष्य पर फोकस करें तथा स्मार्ट रूप से पढ़ाई करें, कम समय में अधिक पढ़ाई पर फोकस करें, उन टॉपिक्स को अधिक से अधिक कवर करें जिनसे ज्यादातर सवाल परीक्षा में पूछे हैं।

- **आपसे फाइनल इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के सदस्यों द्वारा किस तरह के सवाल पूछे गए थे?**

◆ आप सिविल सर्विस के क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं?

◆ मेरा साक्षात्कार 24 मार्च को था, इस दिन विश्व टीबी (TB) दिवस मनाया जाता है। इसलिए मुझसे टीबी से संबंधित प्रश्न पूछे गए।

◆ चूंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं। अतः मुझसे पूछा गया कि दो लोगों की केमिस्ट्री ही क्यों मैच होती है, फिजिक्स या मैथमेटिक्स क्यों नहीं?

◆ भीमबेटका को लेकर सवाल पूछा गया?

◆ मुझसे यह पूछा गया था कि मैंने मुख्य विषय के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी विषय का ही चयन क्यों किया?

◆ ब्रिटेन और भारत के संबंधों पर प्रश्न पूछा गया।

साक्षात्कारकर्ता - विक्रम सिंह पटेल

मालवा-निमाड़ में एक वर्ष में बिजली के लिए दी 8792 करोड़ रुपये की सब्सिडी

भोपाल, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पात्र बिजली उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। एक वर्ष के दौरान औसत 47 लाख उपभोक्ताओं को 8792 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है। जारी वित्तीय वर्ष में यह सब्सिडी की राशि करीब 9200 करोड़ रुपये की प्रस्तावित है।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इंदौर जिले में लगभग साढ़े छः लाख उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ दिया गया है। कंपनी क्षेत्र में कुल 47 लाख 49 हजार रुपये उपभोक्ताओं को औसतन वर्ष भर सब्सिडी का लाभ दिया गया है। कंपनी स्तर पर गृह ज्योति योजना में औसत 33 लाख 21 हजार उपभोक्ताओं को 1699 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र 4 लाख 65 हजार उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए मुफ्त बिजली दी गई, जिस पर 2463 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।

इसी तरह किसान ज्योति योजना में 9 लाख 46 हजार किसानों को 4357 करोड़ की, 10 एचपी से उपर की मोटर वाले 9865 किसानों को 144 करोड़ की, उच्च दाब कनेक्शन से संबद्ध 37 उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 102 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदेश शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई। पावर लूम इकाइयों के 4733 संचालकों को 23 करोड़ की, ग्राम पंचायत, नगर परिषदों को स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के लिए 1316 कनेक्शनों पर 2 करोड़ 30 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है।

शासन आम लोगों के जीवन को सरल बनाने, बिल का भार कम करने एवं जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023

व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन बनाम रोज़गार सृजन

प्रसिद्ध विचारक जॉन डेवी के अनुसार To find out what one is fitted to do, and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness आशय स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति विशेष किस कार्य विशेष को करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होना यह जान लेना और ऐसे व्यक्ति विशेष को उस कार्य विशेष करने हेतु अवसर प्रदान करने से सर्वत्र प्रसन्नता की सर्वाधिक संभावना होती है।

जीविकोपार्जन के लिये व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक या फिर संयुक्त प्रकार के कार्य व्यावसायिक रूप से करना होता है। वस्तुत: शिक्षा प्राप्ति का एक प्रमुख उद्देश्य मनपसंद रोज़गार प्राप्त करना भी रहा है। वर्तमान में बढ़ती बेरोजगारी विशेषकर शिक्षित बेरोजगारी की समस्या सरकार और शिक्षाविदों की चिंता का एक विषय रही है फलस्वरूप विद्यालयीन शिक्षा पाठ्यक्रम में समसामयिक रूप से परिवर्तन होते रहे हैं। समय की मांग के अनुरूप और क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर भी ये परिवर्तन हुये हैं। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन भी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से हुआ है। स्मरणीय हो कि एक समय में तकली के माध्यम से सूत कातने और कागज के लिफाफे बनाने जैसे व्यावसायिक कार्यों का प्रारंभिक ज्ञान भी कई विद्यालयों में दिया जाता था। घरों में भी पतंग बनाने, गुड्डे-गुड़िया बनाने, मिट्टी के खिलौने आदि बनाने के कार्य शौकिया तौर पर किये जाते थे। इन सभी का उद्देश्य बच्चों में इन कार्यों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना और व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप इन पाठ्यसहगामी गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित कराना है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (National Curriculum Framwork 2023) में भी व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन कृषि, मेन्यूफेक्चरिंग और सेवा क्षेत्र तीन प्रमुख समूहों में वर्गीकृत करना प्रस्तावित है। सामान्यत: स्कूली शिक्षा स्तर पर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् अपरिहार्यकारण वश पारंपरिक महाविद्यालयीन उच्च शिक्षा अथवा तकनीकी शिक्षा में प्रवेश न लेने के इच्छुक कई विद्यार्थी स्व-अभिरूचि और

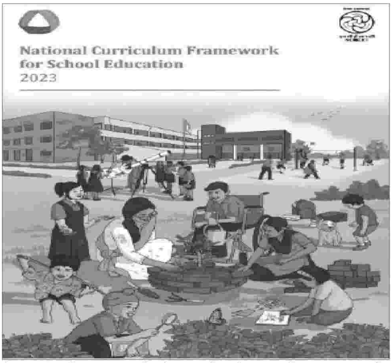

रोज़गार की अधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (I.T.I's) में विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

सरकार की यह मंशा है कि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में स्कूली स्तर पर कक्षा छठवीं से ही चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण का प्रारंभ कर दिया जाये ताकि औसत दर्जे के बौद्धिक स्तर के विद्यार्थी, स्वयं की अभिरुचि और पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इन व्यावसायिक प्रशिक्षणों की ओर अभिमुख हो सकें।

व्यावसायिक शिक्षा समावेशन का प्रमुख उद्देश्य सर्वप्रथम विद्यार्थियों को परिवेश से संबद्ध करते हुए दैनिक जीवन में अनुप्रयोग होने वाले विभिन्न व्यवसायिक कार्यों, औजारों और सेवाओं का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना है। कागज, मिट्टी और कपड़े से हस्तकला के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करना, सिलाई मशीन और कैंची के उपयोग से कपड़े सिलने का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने अर्थात् पॉटरी का प्रशिक्षण किचन गार्डन, फूलों की खेती, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग आदि विविध व्यवसाय का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाये।

विभिन्न प्रकार के उद्योगों में और घरेलू और व्यावसायिक स्तर पर अनुप्रयोग किये जाने वाले औजारों और मशीनों का प्रारंभिक ज्ञान और उनकी प्रयोग विधि का प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रस्तावित है। वेल्डिंग और लकड़ी से संबंधित कार्य अर्थात् कारपेंटर आदि के एडवांस कोर्स का प्रशिक्षण भी मसौदे में शामिल है। पेस्ट कंट्रोल यूनिट में कार्य करने नेचर फ्रेंडली फार्मिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, पशुपालन प्रबंधन, फूड प्रोसेसिंग, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजिन और ऑटोमेटिव सर्विस आदि मल्टी स्किल कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाना भी सम्मिलित करना प्रस्तावित है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सप्ताह में 2 से 3 घंटे का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाना प्रस्तावित होगा ताकि विद्यार्थी सैद्धांतिक के साथ-साथ उससे अधिक महत्वपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। मूल्यांकन में संबंधित प्रशिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष के स्थान पर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाना प्रस्तावित है। सुनियोजित तरीके से प्रोजेक्ट कार्य दिया जाना और प्रत्येक अकादमिक सत्रोपरांत कौशल मेले का आयोजन किया जाना भी प्रस्तावित है ताकि तदाधार पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायों, प्रशिक्षणों और रोज़गार क्षेत्रों से विद्यार्थी प्रारंभिक रूप से अवगत हो सकें और स्व-अभिरुचि, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर व्यवसाय का चयन कर सकें।

सेवा क्षेत्र में कम्यूनिकेशन अर्थात् बातचीत और संवाद करने की क्षमता जैसे दुकान में कार्य करते समय ग्राहक से और नर्सिंग होम और अस्पताल में कार्य करते समय रोगियों से बात करने का कौशल आदि विकसित करने पर भी जोर दिया जायेगा। हाउसकीपिंग, ब्यूटी कल्चर आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रावधानित है। प्रारंभिक और आधारभूत चरण में खेल-खेल में बहुआयामी क्षमता विकसित की जायेगी और इसे प्रीवोकेशनल केपेसिटीस नाम दिया जायेगा वहीं माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकि कार्यों से उन्हें अभिज्ञ कराया जायेगा ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसको अंतिम रूप से चयन कर इसमें अधिक से अधिक पारंगत होने का ज्ञान प्राप्त कर सकें। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु चार चरणों में दक्षता विकसित किया जाना प्रस्तावित है-

सी.जी.-1 'व्यवसाय विशेष के संबंध में आधारभूत कौशल विकसित करते हुए संबद्ध सामग्रियों और प्रविधि का ज्ञान कराना। इसके तीन उपचरणों में अभ्यास हेतु औजारों का पहचानना, व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से टास्क तक पहुंच करना और संबंधित सामग्रियों और संयंत्रों का मेन्टेनेन्स और प्रयोग विधि जानना।

सी.जी.-2 'व्यवसाय विशेष की उपयोगिता और स्थान का ज्ञान कराना। इसके तीन उपचरणों में व्यवसाय विशेष का दैनिक जीवन में योगदान का विवरण, कौशल और ज्ञान का अनुप्रयोग करना और संबद्ध उत्पादों और सामग्रियों का मूल्यांकन करना।

सी.जी.-3 'व्यवसाय विशेष करने के दौरान उससे संबंधित अनिवार्य मूल्यों की समझ विकसित करना। इसके उपचरणों में व्यवसाय विशेष का विस्तृत ज्ञान रखने के प्रति ध्यान केंद्रित करना, उत्सुकता और सृजनात्मकता बनाये रखना, संवेदनशीलता, टीम वर्क और पारस्परिक सहयोग से कार्य करना और भौतिक कार्या करने के प्रति रुचि विकसित करना।

सी.जी.-4 'कार्य विशेष के संबंध में आधारभूत कौशल विकसित करते हुए घरेलू स्तर पर उसके अनुप्रयोग का ज्ञान प्रदान करना। इसके उपचरण में व्यावसायिक कौशल अर्जित करते हुए घरेलू स्तर पर उसका अनुप्रयोग करना शामिल है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किसी भी प्रकार के कार्य हेतु तीन प्रकार के पाठ्यक्रम-लक्ष्य नियत होंगे।

सी.जी.- 5 कार्य में ज्ञान और तकनीकि को सम्मिलित करना

सी.जी.- 6 कार्य करने के दौरान उसमें संनिर्विष्ठ मूल्यों का अवलोकन अथवा अन्य किसी प्रकार से मूल्यांकन करना।

सी.जी.-7 होम बेस्ड टॉस्क में ज्ञान और कौशल को सम्मिलित करना। विद्यार्थी को किसी व्यवसाय विशेष के संबंध में ज्ञान प्रदत्त करने के पूर्व और इस दौरान निम्नानुसार प्रमुख सिद्धांतों को दृष्टिगत रखा जाना प्रस्तावित है -

1. विषयसामग्री विद्यार्थियों की अवस्था (आयु) के अनुरूप हो।
2. विषयसामग्री रोचक और अर्थपूर्ण हो।
3. विषयसामग्री श्रम की महत्ता प्रतिपादित करती हो और विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान का भाव जागृत करे।
4. विषयसामग्री उस व्यवसाय विशेष के समग्र पहलूओं का विस्तारित रूप को समाहित किये हो।
5. विषयसामग्री पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो।

निष्कर्षित रूप से कहा जा सकता है कि स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन और इसका समग्र रूप से क्रियान्वयन न केवल शिक्षित बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने में अप्रत्यक्ष रूप से एक समाधान निरूपित होगा बल्कि इसके और अधिक परिमार्जित स्वरूप का समावेशन करने से भविष्य में रोज़गार से भी असीम क्षेत्र और अवसर उद्‌भूत होने की संभावना भी होगी।

- संजय चनसौरिया
(लेखक, प्राचार्य हाईस्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन)

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

श्रमशक्ति और उद्योग जगत के बीच संतुलन बनाने का प्रयास

भोपाल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना ऐसी अभिनव पहल है, जिसका उद्योग जगत उत्साहपूर्वक स्वागत करेगा। कुशल श्रम बल और उद्योग जगत एक दूसरे के पूरक हैं और मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना इनके बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। उद्योग जगत से मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क को सफल बनाने के लिये सहयोग की अपील करते हुये श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश में अच्छा श्रम बल है और यहां हड़ताल से एक भी कार्य दिवस बर्बाद नहीं हुआ है। शेयरधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही के चलते उद्योग जगत को सर्वोत्तम सम्भव कौशल बल प्राप्त करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ग्लोबल स्किल पार्क औद्योगिक क्षेत्र की मानव संसाधन की सतत आपूर्ति का एक प्रबल चैनल बन सकते हैं। श्रीमती सिंधिया मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में सीआईआई (कॉन्फिडेरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज़) और मध्यप्रदेश शासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।

श्रीमती सिंधिया ने बताया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसिस के सहयोग से भोपाल में 34 एकड़ में महत्वाकांक्षी ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 6 हजार युवाओं को मेकाट्रानिक्स, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, प्रिसाइशन इंजीनियरिंग और नेटवर्क सिस्टम जैसे 09 क्षेत्रों में 60 उन्नत प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा। पार्क में शैक्षणिक स्थान, छात्रावास और खेलकूद सुविधाओं के साथ-साथ उद्योग जगत को समर्पित अत्याधुनिक प्रशिक्षण लैब और उत्कृष्टता केन्द्र होंगे, जो प्रशिक्षणार्थियों को सीखने और कमाने के लिए समुचित पर्यावरण उपलब्ध करेंगे।

अपर मुख्य सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार श्री मनु श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। योजना से औद्योगिक संस्थानों को मिलने वाले लाभ के बारे में चर्चा करते हुये श्री श्रीवास्तव ने बताया कि योजना में पंजीकृत छात्र-अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता के आधार पर प्रतिमाह 8 हजार से 10 हजार रुपये का स्टायपेंड प्राप्त होगा, जिसका 75 प्रतिशत व्यय राज्य शासन वहन करेगी। किसी भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा यह सर्वाधिक समर्थन है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन बेरोजगारी भत्ते के पक्ष में नहीं है। एक छात्र-अभ्यर्थी पर उद्योग प्रतिष्ठानों को प्रतिवर्ष 90 हजार रुपये तक की बचत होगी। छात्र-अभ्यर्थी पर ईपीएफ अधिनियम, बोनस अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शासन स्किल मार्केट विकसित करना चाहता है, जिससे प्रशिक्षण उपरांत कम्पनियां अपनी आवश्यकता अनुरूप युवाओं को बिना किसी आरक्षण के नियोजित कर सकेंगी। योजना से संबंधित पोर्टल में अब तक एक लाख से अधिक युवाओं और 11 हजार से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करवाया है।

प्रश्नोत्तर सत्र में मारुति उद्योग, वर्धमान समूह, जेके टायर्स, जूबीलेंट फूडवर्क्स, डब्ल्यूएनएस लिमिटेड, बीएसए कॉरपोरेशन, एसआरएफ लिमिटेड, एचडीजी लिमिटेड, ग्रीनको कंपनी के प्रतिनिधियों ने योजना के संदर्भ में अपने प्रस्ताव और सुझाव साझा किये।

कार्यक्रम में संचालक कौशल विकास श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को उद्योग के लिये तैयार करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क कौशल विकास की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा।

आयुष चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिये पीजी कोर्स प्रारंभ

भोपाल, मध्यप्रदेश में आयुष चिकित्सा शिक्षा की 3 चिकित्सा पद्धतियों आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के विस्तार के लिये आयुष विभाग द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में आयुष महाविद्यालयों में 177 सीट पर स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है।

राज्य के आयुष विभाग को आयुष चिकित्सा के विस्तार के लिये राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 114 करोड़ 40 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। राशि का उपयोग चिकित्सा व्यवस्था के उन्नयन में किया गया। पिछले वर्ष शासकीय आयुर्वेद फॉर्मेसी ग्वालियर द्वारा एक करोड़ 36 लाख रुपये और शासकीय यूनानी फॉर्मेसी भोपाल द्वारा 71 लाख रुपये की औषधियों का उत्पादन किया गया।

मलेरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मलेरिया प्रतिरोधक औषधि 'मलेरिया ऑफ-200' का वितरण दो चरण में किया गया।

खेल चर्चा

भवानी ने एशियन चैम्पियनशिप में जीता कांस्य पदक

वुजी, भारत की महिला तलवारबाज सीए भवानी देवी ने चीन में आयोजित एशियन तलवारबाजी चैम्पियनशिप में इतिहास रच दिया है। भवानी एशियन तलवारबाजी चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। चैम्पियनशिप में भवानी देवी ने महिलाओं की सेबर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में भवानी को उज्बेकिस्तान की जेनाब डेयिबेकोवा के खिलाफ कड़े मुकाबले में 14-15 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद भवानी कांस्य पदक जीतने में सफल रहीं।

विम्बलडन की इनामी राशि में की गई वृद्धि

लंदन, टेनिस के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट विम्बलडन का आयोजन करने वाली संस्था ऑल इंग्लैंड क्लब ने विम्बलडन की इनामी राशि बढ़ाने की घोषणा की है। विम्बलडन की इनामी राशि में लगभग 11 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। अब विम्बलडन की कुल इनामी राशि लगभग 5 करोड़ 65 लाख डॉलर होगी। विम्बलडन के आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष एकल वर्ग के विजेता को 30-30 लाख डॉलर मिलेंगे। वहीं एकल वर्ग के उपविजेताओं को मिलने वाली इनामी राशि में भी वृद्धि की गई है।

जूनियर महिला हॉकी टीम के कोच बने तुषार खांडेकर

नई दिल्ली, हॉकी इंडिया ने भारत के पूर्व कप्तान तुषार खांडेकर को भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। वे हरविंदर सिंह की जगह लेंगे। हरविंदर को इस वर्ष जनवरी में एरिक वोनिंग के पद छोड़ने के बाद जूनियर महिला हॉकी टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया था। तुषार खांडेकर की नियुक्ति इस नवंबर-दिसम्बर में चिली में आयोजित होने वाले जूनियर महिला हॉकी विश्वकप की तैयारियों के मद्देनजर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कई सफलताएं अर्जित करने वाले तुषार कोचिंग में भी खुद को साबित कर चुके हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त

लंदन, लॉर्ड्स में खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 43 रन से हराया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 416 रन बनाये। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ते हुए 110 रनों की पारी खेली, इसके जबाव में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 325 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 279 रन बनाये और इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई, जिसे कप्तान बेन स्टोक्स (155) ने संभाला और टीम को लक्ष्य के नजदीक तक ले गए, लेकिन जीत नहीं दिला सके। इंग्लिश टीम दूसरी पारी में 327 रन ही बना सकी।

सैफ चैम्पियनशिप

भारत नौवीं बार बना चैम्पियन

बेंगलुरू, भारतीय फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ (सैफ) चैम्पियनशिप का खिताब एक बार फिर अपने नाम किया है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच बेहद रोमांचक रहा जिसमें भारत ने कुवैत को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। भारत ने नौवीं बार सैफ चैम्पियनशिप जीती है। मैच में भारत के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने बेहतरीन खेल दिखाया और पेनाल्टी शूटआउट में दो गोल बचाये।

भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में शुरुआत से आक्रामक रणनीति अपनाई, लेकिन शुरुआती सफलता कुवैत के नाम रही। मैच के 14वें मिनट में शबैब अल खल्दी ने शानदार गोल दाग कर कुवैत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मैच में पिछड़ने के बावजूद भारतीय टीम ने आक्रामक खेल जारी रखा। 38वें मिनट में भारत के सहल अब्दुल समद ने गोल करने का मौका बनाया और लालियांजुआला छांगते को पास दिया। छांगते ने समद के पास को गोल में तब्दील कर भारत को मैच में बराबरी पर ला दिया। पहले हाफ में स्कोर 1-1 से बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों में बराबरी की टक्कर और आक्रामकता देखने को मिली, हालांकि दोनों ही टीमें दूसरे हाफ में गोल करने में असफल रहीं।

- भारत ने 9 बार, मालदीव ने 2 बार और बांग्लादेश, श्रीलंका तथा अफगानिस्तान ने 1-1 बार जीती है सैफ चैम्पियनशिप।
- भारत वर्ष 1993, 1997, 1999, 2005, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में भी बन चुका है विजेता।
- भारत ने घरेलू मैदान पर जब भी सैफ टूर्नामेंट का फाइनल खेला है तब जीता है।
- इस जीत के साथ ही भारत फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गया है।

सडन डेथ में जीता भारत

निर्धारित समय तक स्कोर बराबर रहा। इसके बाद अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमें गोल नहीं कर सकीं, जिससे मैच पेनाल्टी शूटआउट में गया। पेनाल्टी शूटआउट में दोनों टीमों ने 4-4 गोल किए। भारत के लिए कप्तान सुनील छेत्री, संदेश झिंगन, लालियांजुआला छांगते और शुभाशीष बोस ने गोल किए, जबकि उदांता सिंह मौका चूक गए।

पेनाल्टी शूटआउट के बाद मैच सडन डेथ में गया। सडन डेथ में भारत के लिए महेश सिंह गोल करने में सफल रहे, जबकि कुवैत के कप्तान खालिद अल इब्राहिम गोल नहीं कर पाये और भारत ने 5-4 से मैच जीत लिया।

दीक्षा डागर ने जीता लेडीज यूरोपियन टूर खिताब

बर्लिन, भारत की युवा गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक गणराज्य में आयोजित चेक लेडीज ओपन खिताब अपने नाम किया है। दीक्षा ने टूर्नामेंट के तीसरे और अंतिम दौर में 69 का कार्ड खेल कर चार शॉट के बड़े अंतराल से जीत दर्ज की। दीक्षा ने टूर्नामेंट में थाईलैंड की त्रिचैट छींगलैब को हराया। ये दीक्षा के गोल्फ कॅरियर का दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब है। इससे पहले दीक्षा ने वर्ष 2019 में यूरोपियन टूर खिताब जीता था। इसके अलावा दीक्षा वर्ष 2021 में लंदन में अरामको टीम सीरीज जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रही हैं।

सुर्तीथा और अयहिका ने जीता डब्ल्यूटीटी कंटेंडर खिताब

ट्यूनिस, सुतिर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की महिला युगल जोड़ी ने वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर खिताब जीत लिया है। सुर्तीथा और अयहिका की जोड़ी ने टूर्नामेंट के फाइनल में जापान की मियु किहारा और मिवा हैरिमोतो की जोड़ी को 3-1 (11-5, 11-6, 5-11, 13-11) से हराया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में जापानी जोड़ी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए आसानी से जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की शिन यूबिन और जियोन जिही की जोड़ी को 3-2 से हराया था। सुतिर्था और अयहिका की जोड़ी डब्ल्यूटीटी कंटेंडर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है।

नीरज ने लुसाने डायमंड लीग में जीता स्वर्ण पदक

लुसाने, भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने लुसाने में आयोजित डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में नीरज ने भाला फेंक स्पर्धा में 87.66 मीटर की दूरी तय कर पहला स्थान हासिल किया।

लुसाने डायमंड लीग में नीरज ने शुरुआत फाउल के साथ की। नीरज का पहला प्रयास फाउल रहा। इसके बाद नीरज ने दूसरे प्रयास में 83.52 मीटर, तीसरे प्रयास में 85.04 मीटर की दूरी तय की। चौथे प्रयास में नीरज फाउल कर बैठे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पांचवें प्रयास में 87.66 मीटर का थ्रो और अन्य एथलीटों को पीछे छोड़ दिया। नीरज को जूलियन वेबर ने टक्कर देने का प्रयास किया और अपने अंतिम प्रयास में 87.03 मीटर का थ्रो किया, लेकिन वे नीरज से पीछे रह गए।

- इस वर्ष नीरज का यह दूसरा और कुल आठवां अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है।
- इससे पहले नीरज ने इस वर्ष दोहा डायमंड लीग में भी स्वर्ण पदक जीता था।

नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा कि उनका अगला लक्ष्य विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतना है। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन 19 से 27 अगस्त तक हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा।

भारत ने आठवीं बार जीती एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप

बुसान, भारतीय कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप का खिताब जीता है। भारत ने चैम्पियनशिप के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराया। भारत ने आठवीं बार यह खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट में भारत ने एक भी मैच नहीं गंवाया।

फाइनल मैच में भारतीय टीम शुरुआत में ईरानी टीम से पिछड़ रही थी, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान पवन सेहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच के दसवें मिनट में ईरान को ऑलआउट कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने मैच के 19वें मिनट ईरान को दोबारा ऑलआउट कर दिया। भारत ने मैच के पहले हाफ तक 23-11 से बढ़त हासिल की।

मैच के दूसरे हाफ में ईरान की टीम ने आक्रामक रणनीति अपनाई। ईरान ने 29वें मिनट में कप्तान मोहम्मद रेजा चियानेह की शानदार रेड की बदौलत भारत को ऑलआउट किया। मैच के अंतिम समय में ईरान ने आक्रामक खेल से अंक अर्जित करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार खेल दिखाया और ईरान को चित कर दिया।

वन-डे विश्वकप-2023

आईसीसी ने घोषित किया कार्यक्रम

मुंबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस वर्ष भारत में खेले जाने वाले आईसीसी वन-डे क्रिकेट विश्वकप का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वन-डे विश्वकप का आयोजन अक्टूबर और नवम्बर महीने में किया जाएगा। विश्वकप का पहला मैच 5 अक्टूबर को गत विजेता इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ओपनिंग मैच के अलावा अहमदाबाद 19 नवंबर को फाइनल मैच की मेजबानी भी करेगा।

राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा विश्वकप

इस विश्वकप में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 10 में से 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि 2 टीमों का फैसला विश्वकप क्वालिफायर के जरिए होगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें विश्वकप में जगह बना चुकी हैं। यह विश्वकप राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा। इस फॉर्मेट के तहत सभी टीमें आपस में एक-एक मैच खेलेंगी। ग्रुप स्टेज में टॉप-4 में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनायेंगी।

- वन-डे विश्वकप-2023 में 10 टीमों के बीच कुल 48 मैच खेले जायेंगे।
- विश्वकप के मुकाबले 10 शहरों में किये जायेंगे आयोजित।

विश्वकप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। विश्वकप में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला भी देखने को मिलेगा। यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच वन-डे विश्वकप में अब तक सात मुकाबले खेले जा चुके हैं और हर बार भारत ने पाकिस्तान को मात दी है। इस विश्वकप से पहले एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर होगी।

इसके अलावा भारतीय टीम 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान, 19 अक्टूबर को बांग्लादेश, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड, 29 अक्टूबर को इंग्लैंड, 2 नवंबर को क्वालिफायर-टू, 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका और 11 नवंबर क्वालियर-वन के विरुद्ध मैच खेलेगी। विश्वकप का फाइनल 19 नवम्बर को खेला जाएगा।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो

दो सौ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी

आइसलैंड, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल में इतिहास रच दिया है। रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि यूरो क्वालिफायर में आइसलैंड के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की। इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मैच से पहले रोनाल्डो को सम्मानित किया। इस मैच में पुर्तगाल ने 1-0 से जीत दर्ज की, पुर्तगाल के लिए रोनाल्डो ने मैच के 89वें मिनट में गोल किया। ये रोनाल्डो के कॅरियर का 123वां गोल है। रोनाल्डो के नाम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के साथ-साथ क्लब फुटबॉल में भी सबसे ज्यादा गोल दागने का रिकॉर्ड दर्ज है। रोनाल्डो के प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल में 175 मैच खेले हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

पुतिन ने विद्रोह के बाद

पहली बार एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया

वैगनर ग्रुप के विद्रोह को कुचलने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आए।

- **रूसी अधिकारियों और वैगनर चीफ के बीच एक समझौते के बाद विद्रोह खत्म हो गया और प्रिगोझिन को पड़ोसी देश बेलारूस भेज दिया गया।**

पुतिन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।

पिछले महीने विद्रोह के दौरान वैगनर ग्रुप ने दो रूसी शहरों में कुछ सैन्य सुविधाओं पर कब्जे का दावा किया था और बड़ी संख्या में लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे। विद्रोह को देखते हुए क्रेमलिन ने रूसी राजधानी की सड़कों पर भारी हथियारों से लैस सैनिकों को तैनात कर दिया था। यह नजारा ऐसा था कि मानों देश में गृहयुद्ध शुरू होने वाला है। इस विद्रोह के बाद पहली बार पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आए। एससीओ की यह मीटिंग क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से, निपटने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की स्थिति पर केंद्रित रही।

दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह

भारत की समृद्ध शिक्षा प्रणाली भारत की समृद्धि की वाहक है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी

- **दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी।**
- **विश्वविद्यालय ने पिछले सौ वर्षों में काफी विकास और विस्तार किया है और अब इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज और 6 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं और इसने राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दिया है।**

समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में बनने वाले फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सेंटर और अकादमिक ब्लॉक के भवन की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए मेट्रो की सवारी की। उन्होंने यात्रा के दौरान छात्रों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचने पर प्रदर्शनी '100 वर्षों की यात्रा' का अवलोकन किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान उसकी उपलब्धियों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीयू की 100 साल की यात्रा में कई ऐतिहासिक अवसर रहे हैं जिन्होंने अनेक विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य लोगों के जीवन को जोड़ा है। उन्होंने टिप्पणी की कि दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है और इसने हर एक पल को जीवन से भर दिया है। प्रधानमंत्री ने शताब्दी समारोह पर प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने पुराने और नए पूर्ववर्ती छात्रों के एकत्रित होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आगे बढ़ने का एक अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा, "अगर इन सौ वर्षों के दौरान डीयू ने अपनी भावनाओं को जीवित रखा है, तो इसने अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है।" प्रधानमंत्री ने ज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जब भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे जीवंत विश्वविद्यालय थे, तब यह समृद्धि के शिखर पर था। उन्होंने उस समय के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में भारत की उच्च हिस्सेदारी को रेखांकित करते हुए कहा, "भारत की समृद्ध शिक्षा प्रणाली भारत की समृद्धि की वाहक है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्योन्मुखी शैक्षिक नीतियों और निर्णयों के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों की मान्यता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जहां 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आज 45 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधन का समापन करते हुए अपने मन और हृदय को उस लक्ष्य के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जो हमने जीवन में अपने लिए निर्धारित किया है। उन्होंने रेखांकित किया कि किसी राष्ट्र के मन और हृदय को तैयार करने का दायित्व उसके शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी नई पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए, चुनौतियों को स्वीकार करने और उनका सामना करने का स्वभाव होना चाहिए, यह केवल शैक्षणिक संस्थान के विजन और मिशन के माध्यम से ही संभव है।

हैती हिंसा

यूएन चीफ पहुंचे कैरेबियाई देश

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कैरेबियाई देश हैती पहुंचे और उन्होंने मजबूत सुरक्षा बलों वाले देशों से, गिरोहों की हिंसा से जूझ रहे इस देश को इससे निपटने में मदद करने का अनुरोध किया।

गुटेरेस ने हैती के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि हैती के प्रधानमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने का अनुरोध किया था, तो क्या ऐसे बलों की तैनाती की जाएगी या नहीं। इस पर गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री हेनरी से इस मुद्दे पर तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की

आवश्यकता के संबंध में बातचीत की है।

उन्होंने कहा, 'मैं यहां हैती के लोगों को यह बताने नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं यहां उनकी बात सुनने आया हूं। हैती को जितना जल्दी हो सके लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए।' जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनल मोइसे की हत्या के बाद से हेनरी देश की कमान संभाल रहे हैं।

फ्रांस में उग्र हुआ विरोध-प्रदर्शन

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 17 साल के एक किशोर की पुलिस गोलीबारी में हुई हत्या के बाद भड़का आंदोलन शांत नहीं हो

- **राष्ट्रपति मैक्रों ने शांति की अपील करते हुए अभिभावकों से अपने बच्चों को घरों पर ही रखने की अपील की। बावजूद इसके, विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों और इमारतों में आग लगा दी तथा दुकानों में लूटपाट की।**

पा रहा है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में उत्पात मचाया है। पेरिस के एक उपनगर में मेयर के घर में भीड़ ने जबरन कार घुसा दी, जिसमें मेयर की पत्नी और बच्चे घायल हो

गये हैं। दंगाइयों ने मेयर के घर में तोड़फोड़ और आगजनी भी की है।

मेयर विंसेंट जीनब्रून ने कहा कि उनके घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने कहा, उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर हमला किया है।

आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि पांचवीं रात हुए दंगों के दौरान गिरफ्तारियां बढ़कर 719 हो गई हैं। इससे कुछ घंटे पहले मंत्रालय ने 486 गिरफ्तारियों का अस्थायी आंकड़ा दिया था और कहा था कि हिंसा पहले की तुलना में कम होती दिख रही है। उस वक्त रात में लगभग 1,300 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पांच दिनों में कुल 2800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थीं।

देशभर में जारी हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जर्मनी का दौरा रद्द कर दिया है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने बताया कि हिंसा रोकने के लिए देशभर में 45,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

फिलिस्तीनियों पर इजरायल ने की एयरस्ट्राइक

इजरायली सुरक्षा बलों ने फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में शरणार्थी शिविरों समेत अन्य ठिकानों पर आधी

- **आईडीएफ ने कहा कि इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन में स्थानीय आतंकवादियों द्वारा इजरायल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए मुख्यालय पर हमला किया। मुख्यालय में हथियारों और विस्फोटकों के भंडारण के लिए एक गोदाम भी है।**

रात में एयरस्ट्राइक की है। रात में शुरू हुई मिसाइल हमले की कार्रवाई में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या पांच हो गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने कहा कि इजरायल ने तड़के जेनिन में कम से कम 10 हवाई हमले किये हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हमले के बाद इजराइली बख्तरबंद वाहनों का एक काफिले भी हमले किए गए जगहों से गुजरते देखा गया है। इन हमलों के बाद शरणार्थी शिविर की इमारतों के मलबे से धुआं निकलने लगा। इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने मध्य रात को कहा था कि वे "जेनिन क्षेत्र में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे थे।"

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाद में रात में कहा कि इजरायल के अभियान

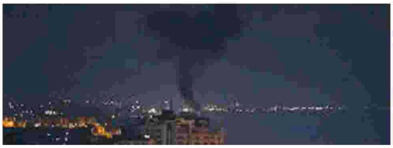

के दौरान दो लोग मारे गए और अन्य 10 घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा, "जेनिन शहर में तीन फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, रामल्ला शहर में एक की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर है।" जेनिन में इजरायल के अभियान के खिलाफ रामल्ला में रात भर विरोध प्रदर्शन किया गया।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक और फिलिस्तीनी, 21 वर्षीय मोहम्मद हसनैन को केंद्रीय कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रामल्लाह शहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर इजरायली सेना ने मार डाला। मंत्रालय ने अभी तक जेनिन में मारे गए चार लोगों की पहचान नहीं की है। इन हमलों में कम से कम 27 अन्य फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं, जिनमें आठ की हालत गंभीर है।

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली अभियान की शुरुआत से पहले जेनिन पर इजरायली हवाई हमले के दौरान एक व्यक्ति मारा गया और एक अन्य स्थानीय निवासी घायल हो गया।

ज्ञात रहे कि इजरायली सेना के ये हमले वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच हुए हैं। 2006 के बाद से क्षेत्र में पहला इजरायली ड्रोन हमला किया गया है। इसके अलावा जेनिन और उत्तरी फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर सैन्य छापे और फिलिस्तीनी गांवों पर भी हवाई हमले हुए हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी- मध्यप्रदेश माध्यम, प्रकाशक- मनीष सिंह, मुद्रक- मनीष सिंह द्वारा मेसर्स डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 10-11, सेक्टर-B, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित एवं मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक- राजीव तिवारी।